00095

सत्यमेव जयते

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का
प्रतिवेदन

संघ सरकार (सिविल)
स्वायत्त निकाय
2009-10 की संख्या 23

संसद के दोनों सदनों के पटल पर प्रस्तुत दि. 7 मई MAY 2010

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का
प्रतिवेदन

मार्च 2009 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

संघ सरकार (सिविल)
स्वायत्त निकाय
2009-2010 की संख्या 23

विषय-सूची

	पैराग्राफ	पृष्ठ
प्राक्कथन		v
विहंगावलोकन		vii
अध्याय I – सामान्य		
स्वायत्त निकायों के वार्षिक लेखे	1.1	1
संसद के दोनों सदनों के समक्ष केन्द्रीय स्वायत्त निकायों में लेखापरीक्षित लेखाओं के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब	1.2	4
प्रमाणीकरण लेखापरीक्षा के परिणाम	1.3	5
उपयोग प्रमाणपत्र	1.4	10
अध्याय II - उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक संवितरण मंत्रालय		
भारतीय मानक ब्यूरो		
भा.मा.ब्यू. मुख्यालय के मानक भवन के वातानुकूलन में विलम्ब	2.1	12
अध्याय III - स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय		
स्वास्थ्य विभाग		
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान		
जल प्रभारों की कम वसूली	3.1	14
उपकर की गैर-वसूली	3.2	15
अध्याय IV - मानव संसाधन विकास मंत्रालय		
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग		
नवोदय विद्यालय समिति		
किराय प्रभारों का परिहार्य भुगतान	4.1	17
अधिक स्थान को किराए पर लेने के कारण परिहार्य व्यय	4.2	18
माध्यमिक एवं उच्चतर शिक्षा विभाग		
दिल्ली विश्वविद्यालय		
अनुचित विनियोजन	4.3	20
भारतीय प्रोद्यौगिकी संस्थान		
बैंको तथा डाकघरों से लाईसेंस शुल्क की कम वसूली	4.4	21

भारतीय प्रोद्यौगिकी संस्थान, खड़गपुर		
छात्रवृत्ति का अनियमित भुगतान	4.5	23
अधिक भुगतान	4.6	23
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय		
परिहार्य व्यय	4.7	24
जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय		
लेखापरीक्षा के दृष्टांत पर वसूली	4.8	26
राष्ट्रीय प्रोद्यौगिकी संस्थान, दुर्गापुर तथा भारतीय प्रोद्यौगिकी संस्थान, खड़गपुर		
किराये की कम वसूली	4.9	27
राष्ट्रीय प्रोद्यौगिकी संस्थान, कुरूक्षेत्र		
लेखापरीक्षा दृष्टांत पर वसूली	4.10	28
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग		
चिकित्सा दावों की प्रतिपूर्ति पर अनियमित व्यय	4.11	29
संस्थानों को "विश्वविद्यालय के समकक्ष" का दर्जा प्रदान करना	4.12	30
हैदराबाद विश्वविद्यालय		
शिक्षण कर्मचारियों को अग्रिम वेतनवृद्धि अनियमित प्रदान करना	4.13	38
अध्याय V - सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय		
प्रसार भारती		
ब्याज का परिहार्य भुगतान	5.1	39
अध्याय VI - श्रम रोजगार मंत्रालय		
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन		
जल प्रभारों की कम वसूली	6.1	41
अध्याय VII - छोटे, लघु एवं मध्यम उपक्रम मंत्रालय		
खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग		
ब्याज का परिहार्य भुगतान	7.1	43
ब्याज की हानि	7.2	44
अध्याय VIII - जहाजरानी मंत्रालय		
कलकत्ता गोदी श्रम बोर्ड, कोलकाता		
राजस्व की हानि	8.1	46

कलकत्ता पत्तन न्यास		
निष्फल व्यय	8.2	47
परिहार्य हानि	8.3	48
ब्याज की हानि	8.4	50
मुम्बई पत्तन न्यास		
किराया प्रभारों की गैर-वसूली	8.5	52
तेल प्रदूषण उपकर का संग्रहण न करने के कारण सरकार को राजस्व की हानि	8.6	53
विद्युत प्रभारों की कम वसूली	8.7	55
विलंबित भुगतानों पर दंडात्मक ब्याज प्रभारित करने में विफलता	8.8	56
पारादीप पत्तन न्यास		
परिहार्य व्यय	8.9	57
तुतीकोरिन पत्तन न्यास		
राजस्व की हानि	8.10	58
अध्याय IX - शहरी विकास मंत्रालय		
दिल्ली विकास प्राधिकरण		
लो.नि.सा. प्रणाली पर राष्ट्रमण्डल खेल गाँव में आवासीय परिसर विकसित करने में कमियाँ	9.1	60
निधियों का अवरोधन	9.2	67
परिहार्य व्यय	9.3	69
परिहार्य व्यय	9.4	70
फ्लाई ऐश के लाने ले जाने में गैर-मितव्ययता के कारण अतिरिक्त व्यय	9.5	71
निधियों का अवरोधन	9.6	72
अध्याय - X		
लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई - संक्षिप्त स्थिति	10.1	75
परिशिष्ट		
I	नि.म.ले.प. (क.श.से.) अधिनियम, 1971 की धारा 19(2) तथा 20(1) के अन्तर्गत लेखापरीक्षित केन्द्रीय स्वायत्त निकायों को 2004-2005 से 2008-2009 के दौरान जारी किए गए अनुदान/ऋण	77

II	नि.म.ले.प.(क.श.से) अधिनियम 1971 की धारा 14(1) और 14(2) के अंतर्गत लेखापरीक्षित केन्द्रीय स्वायत्त निकायों को 2004-05 से 2008-09 के दौरान जारी किए गए अनुदान/ऋण	97
III	नि.म.ले.प. (क.श.से.) अधिनियम 1971 की धारा 19(2) और 20(1) के अन्तर्गत निकाय, जिनकी 2008-2009 की सूचना दिसम्बर 2009 तक प्राप्त नहीं हुई थी	108
IV	निकायों की सूची जिन्होंने लेखे तीन माह से अधिक के विलम्ब के उपरान्त प्रस्तुत किए	109
V	2008-09 की अवधि तक के लिए लेखों के प्रस्तुतीकरण में बकाया	111
VI	स्वायत्त निकायों की सूची जिनके संबंध में लेखापरीक्षित लेखे 31 दिसम्बर 2009 तक संसद के समक्ष प्रस्तुत नहीं किए गए थे	112
VII	स्वायत्त निकायों द्वारा संसद में वर्ष 2006-07 तथा 2007-08 के लिए लेखापरीक्षित लेखों के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब	115
VIII	बकाया उपयोग प्रमाण-पत्र	116
IX	बकाया कार्यवाही टिप्पणियां	127

प्राक्कथन

31 मार्च 2009 को समाप्त हुए वर्ष के लिए यह प्रतिवेदन, संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है। इस प्रतिवेदन में नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियां एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 के विविध प्रावधानों के अन्तर्गत केन्द्रीय स्वायत्त निकायों के वित्तीय लेनदेनों की नमूना लेखापरीक्षा के परिणाम दर्शाए गए हैं। इस प्रतिवेदन में 41 पैराग्राफ शामिल हैं।

लेखापरीक्षित संगठन परिवर्ती स्वरूप तथा विषयों वाले स्वायत्त निकाय हैं। इन संगठनों से आवश्यक रूप से सरकार द्वारा दी गई वित्तीय सहायता से कुछ विशिष्ट जन लोकोपयोगी सेवाएं पूरा करना अथवा सरकार की नीतियों तथा निश्चित कार्यक्रमों का निष्पादन करना अपेक्षित है। इन निकायों तथा प्राधिकरणों में महापत्तन न्यास, शैक्षिक संस्थान तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण शामिल हैं।

इस प्रतिवेदन में उल्लिखित मामले वर्ष 2008-2009 की अवधि के दौरान नमूना लेखापरीक्षा में जानकारी में आए।

विहंगावलोकन

सामान्य

स्वायत्त निकाय के वार्षिक लेखे

2008-09 में, 292 केन्द्रीय स्वायत्त निकाय थे जिनके लेखे नि.म.ले.प. (डी.पी.सी.) अधिनियम 1971 की धारा 19(2) तथा 20(1) के अंतर्गत प्रमाणित किये जाने थे। 2008-09 के दौरान, भारत सरकार ने 235 निकायों को 24845.65 करोड़ रू. के अनुदान/ऋण जारी किये। दस निकायों को जारी किये गये सरकारी अनुदानों की राशि की सूचना उपलब्ध नहीं थी। 278 केन्द्रीय स्वायत्त निकायों के 2007-08 के लेखे 30 जून 2008 तक लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराये जाने थे और लेखापरीक्षित लेखे 31 दिसम्बर 2008 तक संसद के समक्ष प्रस्तुत किये जाने थे। इनमें से 123 निकायों के लेखे लेखापरीक्षा को निर्धारित समय में प्रस्तुत किये गये थे। छः स्वायत्त निकायों के लेखे, संबंधित संगठन द्वारा, दिसम्बर 2009 तक प्रस्तुत नहीं किये गये थे।

(पैराग्राफ 1.1)

उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक संवितरण मंत्रालय

उपभोक्ता कार्य विभाग

भारतीय मानक ब्यूरो

अनुप्रयुक्त विनियोजन और अप्रभावी मॉनीटरिंग के कारण, भा.मा.ब्यू. ने 55.04 लाख रू. का निष्फल व्यय किया। इसके अतिरिक्त 26.43 लाख रू. की अव्ययित राशि एन.बी.सी.सी. से वसूल की जानी शेष थी।

(पैराग्राफ 2.1)

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान

संस्थान ने अपने स्टाफ से जल प्रभारों की कम वसूली के कारण अप्रैल 2004 से दिसम्बर 2008 के दौरान 95.68 लाख रू. की हानि उठाई।

(पैराग्राफ 3.1)

संस्थान ने ठेकेदारों के बिलों से 34.75 लाख रू. के उपकर की वसूली एवं दिल्ली भवन तथा अन्य निर्माण कर्मचारी कल्याण बोर्ड के उसका भुगतान जैसा कि भवन तथा

अन्य निर्माण कर्मचारी कल्याण बोर्ड को उसका भुगतान जैसा कि भवन तथा अन्य निर्माण कर्मचारी कल्याण बोर्ड को उसके उपकर अधिनियम के 1996 के अंतर्गत अपेक्षित था, नहीं की थी।

(पैराग्राफ 3.2)

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

नवोदय विद्यालय समिति

समिति कार्यालय भवन तथा प्रशिक्षण संस्थान के उद्देश्य के लिए अप्रैल 2002 में अधिग्रहित भूमि पर निर्माण करने में असफल रहा। इसके परिणामस्वरूप किराये और विस्तारण प्रभारों पर 2.53 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।

(पैराग्राफ 4.1)

दिल्ली विश्वविद्यालय

विश्वविद्यालय ने संस्थान के लिए स्थल तैयार किए बगैर 2007-08 के दौरान 4.06 करोड़ रू. की कीमत के उपकरण अधिप्राप्त किये। इसके परिणामस्वरूप उपकरण व्यर्थ पड़े रहे। इसके अतिरिक्त, अनुसंधान छात्र परिष्कृत उपकरणों के अभिप्रेत लाभ से वंचित रहे थे।

(पैराग्राफ 4.3)

भारतीय प्रौधोगिकी संस्थान, खड़गपुर

संस्थान ने अपने पी.एच.डी. छात्रों को 1 अप्रैल 2008 के मंत्रालय के लम्बित निर्णय के बजाय 1 अप्रैल 2007 से संशोधित दरों पर छात्रवृत्ति के लिए 1.35 करोड़ रू. का अनियमित भुगतान किया।

(पैराग्राफ 4.5)

इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू)

इग्नू ने तकनीकी परामर्शी तथा पेपर खरीद समिति की अनुशंसा की उपेक्षा की तथा निम्न दर की वैध दरों को अस्वीकार करके उच्च दर पर पेपर के 2.47 लाख रिम अधिप्राप्त किये। इसके परिणामस्वरूप, 56.56 लाख रू. का परिहार्य व्यय हुआ।

(पैराग्राफ 4.7)

राष्ट्रीय प्रोधौगिकी संस्थान, दुर्गापुर तथा भारतीय प्रोधौगिकी संस्थान, खड़गपुर

संस्थान बैंकों से भारत सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर किराया वसूल करने में असफल रहा और 75.03 लाख रू. के राजस्व की हानि उठाई।

(पैराग्राफ 4.9)

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने योजना में निहित दिशानिर्देशों का उल्लघंन करते हुए संस्थानों को "विश्वविद्यालय के समकक्ष" स्थिति प्रदान की जो विश्वविद्यालय शिक्षा में मानकों के मन्दन के जोखिम से भरा था।

(पैराग्राफ 4.12)

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय

प्रसार भारती

मै. एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन को देय भुगतानों की प्रक्रिया में विलम्ब के कारण प्रसार भारती द्वारा 27.87 लाख रू. के ब्याज का परिहार्य भुगतान हुआ।

(पैराग्राफ 5.1)

छोटे, लघु तथा मध्यम उद्यम मंत्रालय

खादी तथा ग्राम उद्योग आयोग

आयोग ने अपनी निजी आवश्यकता का निर्धारण नहीं किया था और अप्रयुक्त कर्जे की राशि का अनुचितरूप से अवधारण किया जिसके परिणामस्वरूप 30.03 लाख रू. के परिहार्य ब्याज का भुगतान हुआ जो कि निधि प्रबन्धन में त्रुटिपूर्ण आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को दर्शाता था।

(पैराग्राफ 7.1)

जहाजरानी मंत्रालय

कोलकाता पत्तन न्यास

पत्तन ने अधिक समय तक टिके निकर्षण पोत को रद्द करने के लिए, समय से कार्यवाही करने में विलम्ब के कारण 1.45 करोड़ रू. का निष्फल व्यय किया।

(पैराग्राफ 8.2)

लाइसेंस शुल्क की वसूली के लिए पत्तन द्वारा समय पर की गई कार्यवाही में विफलता के कारण, एक चूकाधीस पार्टी ने 17 वर्षों से अधिक के लिए भण्डारण शेड को अपने अधिकार में रखना जारी रखा जिसके कारण बकाया लाइसेंस शुल्क और क्षतियों के कारण 56.09 लाख रू. की परिहार्य हानि हुई।

(पैराग्राफ 8.3)

मुम्बई पत्तन न्यास

अन्तर्विभागीय विवाद को सुलझाने के लिए पत्तन की विफलता के परिणामस्वरूप किराया प्रभारों के 3.71 करोड़ रू. की गैर-वसूली हुई।

(पैराग्राफ 8.5)

पारादीप पत्तन न्यास

पत्तन ने भारतीय तेल निगम लिमिटिड (आई.ओ.सी.एल.) के सिंगल ब्यॉय मूरिंग (एस.बी.एम.) पर, आई.ओ.सी.एल. द्वारा एस.बी.एम. के प्रारम्भ करने में विलम्ब के करण, उपयोग के लिए किराये पर ली गई उच्च शक्ति वाली कर्षनाव के किराया प्रभारों के लिए 19.12 करोड़ रू. का परिहार्य व्यय किया।

(पैराग्राफ 8.9)

शहरी विकास मंत्रालय

दिल्ली विकास प्राधिकरण (दि.वि.प्रा.)

दि.वि.प्रा. ने राष्ट्रमण्डल खेल गांव में आवासीय परिसर के विकास को बेल आउट पैकेज उपलब्ध कराया जबकि पी.पी.पी. अनुबन्ध में कोई वित्तीय सहायता का प्रावधान नहीं था। पैकेज के अनुसार इसने दि.वि.प्रा. की मूल्यांकन समिति की अनुशंसाओं की उपेक्षा करते हुए उच्च लागत पर 333 अपार्टमेंट खरीदे, जिसके परिणामस्वरूप 89.24 करोड़ रू. का परिहार्य व्यय हुआ। दि.वि.प्रा. ने 65.23 करोड़ रू. के आनुपातिक शून्य को वसूल किये बगैर 4,40,301 व.फु. के अधिक तल क्षेत्र का निर्माण करने के लिए विकासक को भी अनुमत किया।

(पैराग्राफ 9.1)

दि.वि.प्रा. द्वारा स्थल के उचित सर्वेक्षण के बगैर परिधीय सीवर लाइनों को बिछाने के लिए प्रदान किए गए कार्य के परिणामस्वरूप 2.80 करोड़ रू. का अवरोधन हुआ।

(पैराग्राफ 9.2)

दि.वि.प्रा. के पहली बोली पर 6.23 करोड़ रू. में कमांड टैंक और पम्प हाऊस के निर्माण से सम्बन्धित कार्य के लिए निविदा अस्वीकार करने के अविवेकपूर्ण निर्णय और 8.34 करोड़ रू. पर दूसरी बोली में कार्य प्रदान करने के परिणामस्वरूप कार्य के समापन में अत्यधिक विलम्ब तथा 2.11 करोड़ रू. का परिहार्य अतिरिक्त व्यय हुआ।

(पैराग्राफ 9.3)

दि.वि.प्रा. द्वारा केन्द्रीय लोक निर्माण कार्य संहिता के प्रावधानों के उल्लघंन में पहली बोली में निविदा को अस्वीकार करने के परिणामस्वरूप 1.16 करोड़ रू. का परिहार्य व्यय हुआ।

(पैराग्राफ 9.4)

दि.वि.प्रा. द्वारा मुक्त स्थल की उपलब्धता सुनिश्चित किये बगैर कार्य के प्रारम्भ करने के परिणामस्वरूप निषेध और 68.47 लाख रू. की निधियों के अवरोधन संविदा के मोचन में हुआ।

(पैराग्राफ 9.6)

अध्याय I : सामान्य

1.1 स्वायत्त निकायों के वार्षिक लेखें

1.1.1 केन्द्रीय स्वायत्त निकायों को जारी अनुदान तथा ऋण

संसद द्वारा या उसके द्वारा बनाई गई विधि के अधीन तथा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा के विशिष्ट प्रावधानों को अन्तर्विष्ट करते हुए, निकायों की लेखापरीक्षा सांविधिक रूप से नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियां एवं सेवा शर्तें) अधिनियम 1971(अधिनियम) की धारा 19(2) के अन्तर्गत की जाती है। अन्य संगठनों (निगमों तथा संस्थाओं) की लेखापरीक्षा जनहित में उसी अधिनियम की धारा 20(1) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को सौंपी गई है। इन प्रावधानों के अन्तर्गत लेखापरीक्षा की प्रकृति वार्षिक लेखाओं के प्रमाणन के साथ-साथ धन की उपयोगिता की लेखापरीक्षा की है। इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय स्वायत्त निकाय जो संघ सरकार से अनुदानों तथा ऋणों द्वारा वित्त पोषित है अधिनियम की धारा 14(1) तथा 14(2) के प्रावधानों के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा की जाती है। इन प्रावधानों के अन्तर्गत लेखापरीक्षा धन की उपयोगिता लेखापरीक्षा की प्रकृति में निहित है।

2008-09 के दौरान, संघ सरकार के मंत्रालयों ने 392 स्वायत्त निकायों को 28636.19 करोड़ रू. की कुल अनुदान/ऋण जारी किया। इनमें से 235 स्वायत्त निकायों जिन्हें 2008-09 के दौरान 24845.65 करोड़ रू. के कुल अनुदान/ऋण जारी किए गए थे, के संबंध में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक एकमात्र लेखापरीक्षक थे। विवरण **परिशिष्ट-I** में दिए गए हैं। नियंत्रक-महालेखापरीक्षक अन्य 47 केन्द्रीय स्वायत्त निकायों जिन्हें 2008-09 के दौरान कोई अनुदान या ऋण जारी नहीं किया गया था, के भी एक मात्र लेखापरीक्षक थे।

विभिन्न मंत्रालयों द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार, 2008-09 के दौरान 157 निकायों को 3790.54 करोड़ रू. के कुल अनुदान/ऋण जारी किए गए थे जिनकी वित्तीय/प्रमाणीकरण लेखापरीक्षा निजी लेखापरीक्षकों को सौंपी गई थी। **परिशिष्ट-II** में विवरण दिए गए हैं। इन निकायों की अनुपालन तथा निष्पादन लेखापरीक्षा करना भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का उत्तरदायित्व है।

दस स्वायत्त निकायों के संबंध में सूचना संबंधित मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई थी **(परिशिष्ट-III)**।

31 मार्च 2009 को समाप्त होने वाले पिछले पांच वर्षों के दौरान सिविल मंत्रालयों/विभागों की दी गई सकल बजटीय सहायता में से सभी केन्द्रीय स्वायत्त निकायों को सहायता अनुदान के रूप में जारी की गई कुल केन्द्रीय सहायता का हिस्सा 0.55 प्रतिशत से 1.59 प्रतिशत के बीच था जैसाकि निम्न सारणी में दर्शाया गया है:

वर्ष	वर्ष के दौरान के.स्वा.नि. को जारी कुल केन्द्रीय सहायता की राशि *(करोड़ रूपयों में)*	सकल बजटीय सहायता[1] *(करोड़ रूपयों में)*	सकल बजटीय सहायता के संदर्भ में के.स्वा.नि. को दी गई केन्द्रीय सहायता की प्रतिशतता
2004-05	15637.35	982389.63	1.59
2005-06	16189.34	1523189.46	1.06
2006-07	11500.49	2085164.02	0.55
2007-08	20057.54	2445865.08	0.82
2008-09	28397.88	3220867.31	0.88

उपर्युक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि यद्यपि केन्द्रीय स्वायत्त निकायों को कुल सकल बजटीय सहायता की प्रतिशतता के रूप में जारी केन्द्रीय सहायता की राशि ने वर्ष 2004-05 में 1.59 प्रतिशत से वर्ष 2006-07 में 0.55 प्रतिशत तक यथेष्ट कमी दर्ज की, तथापि जब यह वर्ष 2006-07 में 0.55 प्रतिशत से वर्ष 2008-09 में 0.88 प्रतिशत तक बढ़ गई तब इसने 2007-08 तथा 2008-09 वर्षों में वृद्धि प्रवृति दर्ज की।

पिछले पांच वर्षों के दौरान केन्द्रीय स्वायत्त निकायों को जारी केन्द्रीय सहायता का और अधिक विश्लेषण करने से पता चला कि पांच केन्द्रीय स्वायत्त निकायों ने प्रत्येक मामले में सभी केन्द्रीय स्वायत्त निकायों को जारी कुल केन्द्रीय सहायता का पांच प्रतिशत या इससे अधिक अनुदान प्राप्त किए जैसा कि निम्नलिखित तालिका में दिया गया है:

वर्ष	सभी केन्द्रीय स्वायत्त निकायों को जारी कुल केन्द्रीय सहायता *(करोड़ रू.में)*	केन्द्रीय स्वायत्त निकाय को केन्द्रीय सहायता की राशि *(करोड़ रू.में)*					सभी केन्द्रीय स्वायत्त निकायों को जारी कुल केन्द्रीय सहायता के संदर्भ में निकाय को दी गई सहायता की प्रतिशतता				
		आई.सी.ए.आर.	वि.अ.आ.	प्र.भा.	सी.एस.आई.आर.	न.वि.स.	आई.सी.ए.आर.	वि.अ.आ.	प्र.भा.	सी.एस.आई.आर.	न.वि.स.
2004-05	15637.35	1626.96	1902.60	1010.78	1266.47	588.66	10.40	12.17	6.46	8.10	3.76
2005-06	16189.34	1839.00	1176.61	1078.02	1453.49	721.85	11.36	7.28	6.66	8.98	4.46
2006-07	11500.49	2174.59	1321.33	1133.68	1522.82	8.19	18.91	11.49	9.86	13.24	0.07
2007-08	20057.54	2230.43	1836.34	1093.27	1863.70	1104.80	11.12	9.16	5.45	9.29	5.51
2008-09	28397.88	2870.47	2514.00	1218.94	2356.20	1549.87	10.11	8.85	4.29	8.30	5.46
योग	91782.60	10741.45	8750.78	5534.69	8462.68	3973.37					

[1] स्त्रोतः विनियोग लेखे-संबंधित वर्षों के लिए संघ सरकार (सिविल)

सकल योग	37462.97	
समस्त स्वा.नि. को जारी कुल केन्द्रीय सहायता के संदर्भ में पांच स्वा.नि.को दी गई कुल सहायता की प्रतिशतता	40.82	

उपर्युक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि 31 मार्च 2009 को समाप्त होने वाले पिछले पांच वर्षों के दौरान उक्त पांच केन्द्रीय स्वायत्त निकायों ने ही समस्त केन्द्रीय स्वायत्त निकायों को जारी कुल केन्द्रीय सहायता का 40.82 प्रतिशत सहायता का लाभ उठाया था। यह और पाया गया था कि 2004-05 से 2008-09 वर्षों के दौरान 37462.97 करोड़ रू. के कुल अनुदान में से संबंधित वर्षों के अंत में अव्ययित शेष 179.23 करोड़ रू. से 997.15 करोड़ रू. के बीच था।

1.1.2 केन्द्रीय स्वायत्त निकायों द्वारा लेखाओं के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब

सदन के पटल पर रखे जाने वाले पत्रों की समिति ने अपने प्रथम प्रतिवेदन (5वीं लोकसभा) 1975-76 में सिफारिश की थी कि लेखा वर्ष की समाप्ति के बाद प्रत्येक स्वायत्त निकाय को तीन महीने की अवधि के भीतर अपने लेखे तैयार कर लेने चाहिए तथा उन्हें लेखापरीक्षा के लिए उपलब्ध कराना चाहिए और प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे, लेखा वर्ष की समाप्ति के नौ महीनों के भीतर संसद के समक्ष प्रस्तुत किए जाने चाहिए।

वर्ष 2007-08 के लिए 278 केन्द्रीय स्वायत्त निकायों के लेखाओं की लेखापरीक्षा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा की जानी थी। इनमें से, 123 स्वायत्त निकायों के लेखे, वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात लेखापरीक्षा हेतु उपलब्ध कराए गए थे। जबकि दिसम्बर 2009 तक छः स्वायत्त निकायों के लेखे प्रस्तुत नहीं किए गए थे तथा 150 स्वायत्त निकायों के लेखे देय तिथि के उपरान्त प्रस्तुत किए गए थे जैसा कि नीचे इंगित किया गया है:

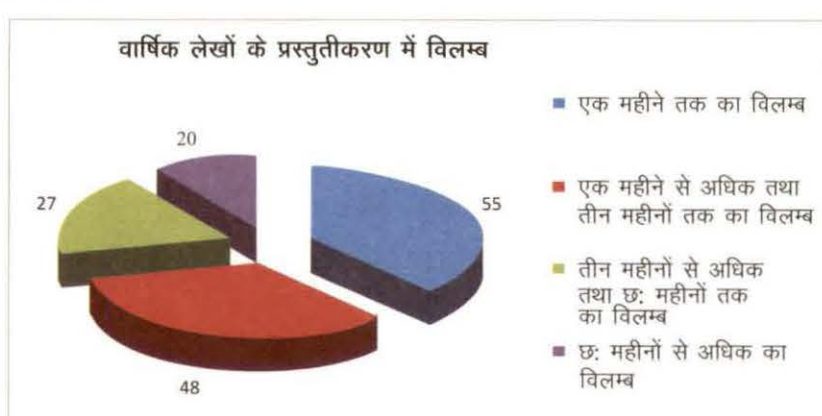

उन स्वायत्त निकायों, जिनके लेखे तीन माह से ऊपर विलम्बित रहे थे तथा उन निकायों जिनके लेखे दिसम्बर 2009 तक प्राप्त नहीं हुए, का ब्यौरा **परिशिष्ट-IV** में दिया गया है।

1.1.3 लेखाओं के प्रस्तुतीकरण का बकाया

चार स्वायत्त निकायों ने चार से उन्नीस वर्षों की बीच कई वर्षों हेतु अपने लेखे प्रस्तुत नहीं किए हैं **(परिशिष्ट- V)**।

लेखों का गैर-प्रस्तुतीकरण तथा लेखापरीक्षा के कारण तर्कसंगत आश्वासन प्रदान करना संभव नहीं होगा कि क्या;

- वांछित उद्देश्यों के लिए निर्धारित नियमावली के अनुसरण में अनुदान उपयोग किए गए थे;
- प्राप्तियों का सही प्रकार से निर्धारण, प्राप्ति तथा दर्ज किया गया था;
- अधिशेष निधियों तथा अप्रयुक्त शेषों के निवेश हेतु एक उपयुक्त प्रणाली विद्यमान थी;
- दायित्वों का सर्जन वैध था तथा सभी पहचान किए गए दायित्वों तथा हानियों हेतु प्रावधान बनाए गए थे;
- परिसम्पतियाँ तथा अन्य स्रोत अस्तित्व में थे; तथा
- लेखांकन अभिलेख सही एवं पूर्ण थे।

यह इन स्वायत्त निकायों पर वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली के अभाव तथा नियंत्रण की कमी को इंगित करेगा।

इस प्रकार, स्वायत्त निकायों द्वारा लेखाओं का गैर-प्रस्तुतीकरण न केवल अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करता है बल्कि गबन तथा दुष्प्रबंधन की सम्भावना से युक्त भी है।

1.2 संसद के दोनों सदनों के समक्ष केन्द्रीय स्वायत्त निकायों में लेखापरीक्षित लेखाओं के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षित केन्द्रीय स्वायत्त निकायों के लेखापरीक्षित लेखे नौ माह के भीतर अर्थात आगामी वित्तीय वर्ष की 31 दिसम्बर तक संसद में प्रस्तुत करने अपेक्षित होते हैं। समिति ने अपनी प्रथम रिपोर्ट (1975-76) में सदन के पटल पर प्रस्तुत किए गए कागजों पर अनुशंसा की थी कि स्वायत्त निकाय के लेखापरीक्षित लेखे संसद के समक्ष लेखांकन वर्ष की समाप्ति के नौ महीनों के भीतर प्रस्तुत किए जाएं।

संसद के समक्ष लेखापरीक्षित लेखाओं के प्रस्तुत करने की स्थिति की समीक्षा निम्न के अनुसार थीः

लेखा वर्ष	निकायों की कुल संख्या जिनके लिए लेखापरीक्षित लेखे जारी किए गए किन्तु संसद में प्रस्तुत नहीं किए गए	देय तिथि के उपरान्त प्रस्तुत लेखापरीक्षित लेखाओं की कुल संख्या
2006-07	3	1
2007-08	17	20
2008-09	49	-

इस प्रकार, यह देखा जा सकता है कि निर्धारित समय के भीतर संसद के समक्ष लेखापरीक्षित लेखाओं की बड़ी संख्या को प्रस्तुत नहीं किया गया था।

स्वायत्त निकायों के नामों सहित ब्यौरा जिनके लेखापरीक्षित लेखे संसद के समक्ष प्रस्तुत नहीं किए गए/देय तिथि के उपरान्त प्रस्तुत किए गए **परिशिष्ट**-VI तथा **परिशिष्ट**-VII में शामिल है।

1.3 प्रमाणीकरण लेखापरीक्षा के परिणाम

नियंत्रण महालेखापरीक्षक के अधिनियम (कर्त्तव्य शक्तियां एंव सेवा-शर्तें) 1971 की धारा 19(2) तथा 20(1) के अन्तर्गत लेखापरीक्षित प्रत्येक स्वायत्त निकाय पृथक लेखापरीखा प्रतिवेदन प्रमाणित अंतिम लेखाओं के साथ संलग्न करके मंत्रालयों द्वारा संसद के पटल पर रखे जाने अपेक्षित होते हैं। कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियां जो संबधित संगठनों/मंत्रालयों को जारी की गई थी, नीचे बताई गई हैः

1.3.1 लेखाओं का संशोधन

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा वर्ष 2008-09 के लिए केन्द्रीय स्वायत्त निकायों को वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा करने के परिणामस्वरूप 12 केन्द्रीय स्वायत्त निकायों ने अपने लेखाओं को संशोधित किया। लेखापरीक्षा के कहने पर लेखाओं के संशोधन से जो प्रभाव पड़ा वह निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया हैः

(करोड़ रूपयों में)

क्र.सं.	लेखा शीर्ष	तक वृद्धि	तक कमी
1	परिसम्पत्तियां	6.52	126.32
2	देयताएं	6.52	126.32
3	अधिशेष	20.28	4.09
4	घाटा	0.02	0.17

1.3.2 केन्द्रीय स्वायत्त निकायों के लेखाओं पर महत्वपूर्ण अभ्युक्तियां

(क) तूतीकोरिन पत्तन न्यास

आरक्षित पूंजी (620.48 करोड़ रू.)

यह निम्नलिखित कारण से 40.64 करोड़ रू. तक अधिक बताई गई थी।

(i) आरक्षित पूंजी में, सरकार द्वारा म.प.न्या. अधिनियम 1963 की धारा 29(1) (सी) के अंतर्गत न्यास का निर्माण होने के समय अर्थात 1 अप्रैल 1979 को 40.64 करोड़ रू. का निवेश किया गया तथा उसे स्थायी रूप में सरकार द्वारा समय-समय पर नियत किए गए ब्याज की सामान्य दर से आधी दर पर ब्याज की रियायती दर पर वापसी योग्य ऋण के रूप में मान लिया गया था। पत्तन के इस अनुरोध, (मई 1993) कि समस्त पूंजी को सहायता अनुदान के रूप में मान लिया जाए, को सरकार ने स्वीकार नहीं किया था। इस प्रकार, समस्त प्रारंभिक पूंजी को "आरक्षित पूंजी" के अंतर्गत दर्शाने की बजाय "ऋण पूंजी" के अंतर्गत दर्शाया जाना चाहिए। लेखाओं में ब्याज के भुगतान हेतु कोई प्रावधान नहीं किया गया था।

चालू देयता (114.57 करोड़ रू.)

(i) तमिलनाडु शारीरिक श्रमिक कल्याण बोर्ड को 0.30 प्रतिशत पर देय अंशदान देयता सर्जित नहीं की गई थी।

तमिलनाडु शारीरिक श्रमिक (रोजगार विनियम एवं कार्य शर्तें) अधिनियम, 1982 और तमिलनाडु शारीरिक श्रमिक (निर्माण श्रमिक) कल्याण अधिसूची 1994, के अनुसार, पत्तन द्वारा निष्पादित प्रत्येक कार्य की अनुमानित लागत का 0.30 प्रतिशत तमिलनाडु शारीरिक श्रमिक कल्याण निधि/बोर्ड को 1 जुलाई 1997 से प्रेषित किया जाना चाहिए था। 1997-98 से 2008-09 की अवधि के लिए 1.94 करोड़ रू. अंशदान देय था। चूंकि इस प्रकार के अंशदानों के भुगतान अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अनिवार्य है, इसे लेखाओं में दर्शाया जाना चाहिए। इस प्रकार, इस सीमा तक देयता कम बताई गई।

(ii) जहाजरानी मंत्रालय ने पत्तन को राष्ट्रीय समुद्रवर्ती अकादमी की स्थापना के लिए उसका 2.65 करोड़ रू. का अंशदान देने के लिए अंश और राशि को चरणों में जारी करने के निर्देश दिए (जनवरी 2006) जुलाई 2006 में 88 लाख रू. की पहली किश्त का भुगतान किया गया। 1.77 करोड़ रू. की शेष राशि का 31 मार्च 2009 तक न तो भुगतान किया गया और न ही लेखाओं में कोई प्रावधान किया गया था। पत्तन का उत्तर कि इस संबंध में न तो भारतीय पत्तन संस्था से, न ही राष्ट्रीय समुद्रवर्ती अकादमी

से कोई सूचना मिली थी, स्वीकार्य नहीं है क्योंकि पत्तन का अंश पूर्व निर्धारित था और तद्नुसार पहली किश्त का भुगतान किया गया था। लेखाओं में 1.77 करोड़ रू. का प्रावधान न करने के परिणामस्वरूप इस देयता को कम बताया गया था।

चालू परिसम्पतियाँ (49.82 करोड़ रू.)

(i) तूतीकोरिन पत्तन न्यास बोर्ड ने मैसर्स सेतू सेनूडरम कारपोरेशन लि. (एस.एस.सी.एल.) की ओर से निक्षेप कार्य के रूप में कार्य निष्पादन करने का अनुमोदन दिया था (जून 2005)। 31 मार्च 2009 को निष्पादित निर्माण कार्यों का कुल मूल्य 156.60 करोड़ रू. था। केन्द्रीय लोक कार्य लेखा संहिता के अनुसार, निष्पादित एंजेसी द्वारा किए गए कुल कार्य के सात प्रतिशत की दर पर क्षति प्रभार उद्ग्रहित किया जाना था। 31 मार्च 2009 तक एस.एस.सी.एल. के प्रति प्रोदभूत क्षति प्रभार 10.96 करोड़ रू. बनते थे। एस.एस.सी.एल. से वसूली योग्य क्षति प्रभार को, लेखाओं में नहीं किया गया था। पत्तन का उत्तर कि भारत सरकार का निर्णय प्रतीक्षित था, स्वीकार्य नहीं था।

निवेश (581.94 करोड़ रू.)

(i) **सरकार की दिशानिर्देशों के उल्लंघन में निवेश का किया जाना**

भारत सरकार एवं परिवहन मंत्रालय ज्ञापन 4 सितम्बर 1996 एवं पत्र सं0 पी.आर.आई. 15018/11/96 -पी.जी. दिनांक 24 अप्रैल 1997 के अनुसार, सभी मुख्य पत्तनों को अधिशेष निधियों का निवेश करते समय लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देशों का अनुपालन करना चाहिए। दिशानिर्देशों (14 दिसम्बर 1994) के अनुसार, निवेश को बैंको के साथ सावधि -जमा को छोड़कर एक वर्ष की परिपक्वता अवधि से अधिक के लिए नहीं किया जाना चाहिए। तथापि, 2008-09 के निवेश रजिस्टर से देखा गया, 162 करोड़ रू. की राशि को पूर्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में इंगित किए जाने के बावजूद, भारत सरकार दिशानिर्देशों के उल्लंघन में, एक वर्ष से 10 वर्ष से परिपक्वता अवधि के बीच प्रतिभूतियों एवं बांडों में निवेश किया गया था।

(ख) न्यू मैंगलूर पत्तन न्यास

वित्त एवं विविध आय (52.99 करोड़ रू.)

इसमें एक कोल जेटी के निर्माण के लिए 30 वर्षों की अवधि के लिए पट्टे पर भूमि के आबंटन के लिए "अपफ्रंट प्रीमियम " के रूप में यूदूपी पावर कॉरपोरेशन लि. (यू.पी.सी.एल.) से प्राप्त नौ करोड़ रू. शामिल थे। लेखाकंन मानदण्ड -19 (ए.एस.-19) के अनुसार, राशि को 30 वर्षों की अवधि के बराबर अभिज्ञात किया जाना चाहिए था।

ए.एस.-19 के अनुसार आय को अभिज्ञात न करने के परिणामस्वरूप वित्त एवं विविध आय तथा निवल अधिशेष को 8.70 करोड़ रू. से अधिक बताया गया।

(ग) जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास

विविध देनदार (395.65 करोड़ रू.)

विविध देनदार में पट्टा किराया, किराये का मार्गसधिकार प्रभार, भूतल पाईपलाईन प्रभार, न्यूनतम गांरटी संवेश प्रवाह प्रभार और जल प्रभार के प्रति टेंक फार्म ऑपरेटरों से वसूली योग्य राशियां बकाया होने के कारण 291.24 करोड़ रू. के शामिल थे। राशियां एक से नौ वर्षों के बीच की अवधि के लिए बकाया थी और मामला पंचाट के अधीन था। तथ्य यह था कि राशि का लम्बी अवधि से प्राप्त न होना दर्शाता था कि इसका प्राप्त करना संदेहास्पद था और सामान्यतः स्वीकार्य लेखाकंन सिद्धान्तों पर आधारित संदेहास्पद ऋणों के लिए उचित प्रावधान की आवश्यकता थी।

कर के लिए प्रावधान (211 करोड़ रू.)

उपरोक्त वर्ष 2008-09 के दौरान भारत सरकार कर्जे एवं उस पर ब्याज प्रतिलेखित (37.53 करोड़ रू.) के संबंध में किए गए अधिक प्रावधान पर भुगतान किए जाने वाले कर शामिल नहीं थे। इसके परिणामस्वरूप, 11.26 करोड़ रू. के कर के समक्ष लाभ को कम बताया गया तथा उसी के अनुरूप कराधान के लिए प्रावधान को कम बताया गया।

(घ) पारादीप पत्तन न्यास

पेंशन एवं उपदान निधि

(i) 1 जनवरी 2007 से 31 मार्च 2009 तक पेंशन के संशोधन के संबंध में सेवानिवृत्त कर्मचारियों को देय बकाया राशि की देयता को निकाला गया था। इसके परिणामस्वरूप चालू देयताओं एवं वित्त और विविध व्ययों को कम बताया गया और निवल अधिशेष को 6.88 करोड़ रू. से अधिक बताया गया था।

(ड़) कांडला पत्तन न्यास

स्थायी परिसम्पतियां, कुल ब्लॉक (1002.25 करोड़ रू.)

(i) स्थायी परिसम्पतियों को अतिजीवित और अनुपयोगी घोषित परिसम्पतियों की लागत का समायोजन न करने के कारण 5.15 करोड़ रू. से अधिक बताया गया था।

आय एवं व्यय लेखा

(i) वर्ष 2008-09 के लिए भूमि पट्टा और लाभ को भारतीय ऑयल कारपोरेशन से पूर्व वर्षों के देय पट्टा किराया की वसूली राशि का समाधान, विविध देनदार को क्रेडिट करने की बजाय वर्ष की आय के रूप में किए जाने के कारण 3.19 करोड़ रू. अधिक बताया गया था। परिणमस्वरूप, विविध देनदार 3.19 करोड़ रू. अधिक बताये गए थे।

(च) कोलकाता पत्तन न्यास

लाभ एवं हानि लेखा

(i) ड्रेजिंग कारपोरेशन ऑफ इण्डिया द्वारा प्रस्तुत मार्च 2009 माह के निकर्षण प्रभारों के संबंध में 2008-09 के लेखाकंन वर्ष से संबंधित 26.85 करोड़ रू. के डेबिट नोट को 2008-09 के लिए लेखाबद्ध किया जाना था। लेखांकन न किए जाने के परिणामस्वरूप, 26.85 करोड़ रू. के अधिशेष को अधिक बताए जाने के साथ-साथ वर्ष के राजस्व व्यय को कम बताया गया था।

(छ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

चालू देयताएं तथा प्रावधान (1.31 करोड़ रू.)

(i) पेंशन, अवकाश नकदीकरण तथा उपदान के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया था।

आय एवं व्यय लेखा

(i) पूर्व वर्ष में 19.59 करोड़ रू. के अव्ययित अनुदान (योजनेत्तर 37.74 करोड़ रू. तथा योजनागत (-) 18.15 करोड़ रू.) को आय के रूप में दर्शाया गया था। उसी तरह, जनजातीय कार्य मंत्रालय से संबंधित 27.69 करोड़ रू., "राष्ट्रीय खेल संगठन कार्यक्रम" से संबंधित 60 लाख रू. "दान निधि" के 24 लाख रू. तथा "राष्ट्रमंडल" से संबंधित एक लाख रू. के पिछले वर्षों के अंतशेषों को भी आय के रूप में लिया गया था। इसके परिणामस्वरूप 48.13 करोड़ रू. तक आय को अधिक बताया गया था।

(ज) केन्द्रीय विद्यालय संगठन

सामान्य

(i) उपदान, पेंशन तथा अवकाश नकदीकरण के लिए कोई प्रावधान जैसाकि स्वायत्त निकायों के लेखाओं के सामान्य फार्मेट में अपेक्षित था, नहीं किया गया है।

(झ) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद

सामान्य

(i) उपदान तथा अवकाश नकदीकरण के लिए कोई प्रावधान जैसाकि स्वायत्त निकायों के लेखाओं के सामान्य फार्मेट में अपेक्षित था, नहीं किया गया है।

स्थायी परिसम्पत्तियां (11.73 करोड़ रू.)

(i) स्थायी परिसम्पत्तियों पर कोई मूल्यह्रास नहीं दिया गया था जिसके परिणामस्वरूप स्थायी परिसम्पत्तियां अधिक बताई गई तथा व्यय कम बताया गया।

(ञ) खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग

चालू परिसम्पत्तियां, रोकड़ तथा बैंक शेष (123.84 करोड़ रू.)

मार्च 2009 में आहरित किए गए 136.75 करोड़ रू. के चैक, विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों को अनुदान जारी करने के लिए, अप्रैल 2009 में डिमाण्ड ड्राफ्ट प्राप्त करने के लिए बैंक को जारी किए गए थे। यह राशि 2008-09 के लिए व्यय के रूप में दर्ज की गई थी। इसके परिणामस्वरूप 136.75 करोड़ रू. तक बैंक शेष को कम तथा आय एवं व्यय लेख में व्यय को अधिक बताया गया था।

1.4 उपयोगिता प्रमाण-पत्र

सामान्य वित्तीय नियमावली के अनुसार सांविधिक निकायों/संगठनों को जारी अनुदानों के संबंध में अनुदानों के उपयोग के प्रमाणपत्र संबंधित निकायों/संगठन द्वारा वित्तीय वर्ष के समापन से 12 महीनों के भीतर प्रस्तुत करना अपेक्षित था। मार्च 2008 तक जारी अनुदानों के सम्बन्ध में 21930.12 करोड़ रु. की राशि के मार्च 2009 तक देय (जिस वित्तीय वर्ष में अनुदान जारी किए गए थे के 12 महीनों के उपरान्त) कुल 34845 बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की स्थिति दर्शाने वाला मंत्रालय/विभाग-वार विवरण **परिशिष्ट**-VIII में दिया गया है। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, सामाजिक

न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय, रेल मंत्रालय, निगम कार्य मंत्रालय, कोयला मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, उत्तर-पूर्वी विकास मंत्रालय, युवा मामले एवं खेल मंत्रालय, विज्ञान एवं तकनीकी मंत्रालय, दादरा एवं नागर हवेली प्रशासन तथा केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की सूचना प्रस्तुत नहीं की।

मार्च 2009 की समाप्ति पर 17868.23 करोड़ रु. की राशि के कुल 19182 उपयोगिता प्रमाणपत्र जो 10 प्रमुख मंत्रालयों/विभागों से प्रतीक्षित थे, में से 7096.31 करोड़ रु. की राशि के 15269 प्रमाणपत्र मार्च 2007 तक जारी अनुदानों से सम्बन्धित थे जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

31 मार्च 2009 तक बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र

(करोड रूपयो में)

क्र. सं.	मंत्रालय/विभाग	मार्च 2008 को समाप्त अवधि के लिए		मार्च 2007 को समाप्त अवधि के लिए	
		संख्या	राशि	संख्या	राशि
1	परिवार कल्याण	2083	7785.90	1605	3273.30
2	स्वास्थ्य	2091	2003.24	1377	897.09
3	माध्यमिक शिक्षा एवं साक्षरता विभाग	1476	1687.27	1262	536.63
4	सूचना प्रोद्यौगिकी	754	1240.00	399	735.01
5	वाणिज्य	214	1122.55	80	129.90
6	ग्रामीण विकास	579	1018.19	63	17.99
7	कृषि	439	883.74	253	469.79
8	उच्चतर शिक्षा विभाग	2439	798.57	2241	360.84
9	पर्यावरण तथा वन	8835	770.60	7914	507.09
10	शहरी विकास	272	558.17	75	168.67
योग		19182	17868.23	15269	7096.31

अध्याय II : उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक संवितरण मंत्रालय

2 भारतीय मानक ब्यूरो

2.1 भा.मा.ब्यू. मुख्यालय के मानक भवन के वातानुकूलन में विलम्ब

भा.मा.ब्यू. द्वारा अनुचित योजना और निष्प्रभावी मॉनीटरिंग के परिणामस्वरूप 55.04 लाख रू. का निष्फल व्यय।

भारतीय मानक ब्यूरो (भा.मा.ब्यू.) ने अपने भवनों, मानक भवन (मा.भ.) और मानकालय (मा.) के लिए एक नए केन्द्रीय वातानुकूलन संयंत्र की स्थापना करने के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श कार्य (प.प्र.प.) के लिए बोलियां आमंत्रित की (अप्रैल 2002)। भा.मा.ब्यू. ने इंजीनियरिंग प्रोजेक्टस इण्डिया लिमिटेड (इं.प्रो.इं.लि.) को आशय पत्र जारी किया (अगस्त 2002)। जिसने दोनों भवनों में वातानुकूलन की स्थापना के लिए 5.65 करोड़ रू. की लागत पर अपनी परामर्श कार्य रिपोर्ट प्रस्तुत की (अक्तूबर 2002)। तथापि, भा.मा.ब्यू. ने केवल मा.भ. भवन में केन्द्रीय वातानुकूलन उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया (मई 2003) और ई.प्रा.इं.लि. ने परिवर्तित कार्य क्षेत्र के कारण परियोजना को जारी नहीं रखा।

इसके पश्चात, भा.मा.ब्यू. ने मा.भ. के वातानूकूलन के लिए प.प्र.प. हेतु प्रस्ताव आमंत्रित किए (जून 2003) और नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन (एन.बी.सी.सी.) के साथ कार्य को फरवरी 2005 तक पूरा करने के लिए एक अनुबंध किया (फरवरी 2004)। तदनुसार, एन.बी.सी.सी. ने निविदाएं आमंत्रित की और 2.56 करोड़ रू. की लागत पर यह कार्य एक ठेकेदार को जून 2005 तक पूरा करने के लिए प्रदान कर दिया (सितम्बर 2004)। भा.मा.ब्यू. ने एन.बी.सी.सी. को कुल 72 लाख रू. जून 2005 (30 लाख रू.) और अप्रैल 2006 (42 लाख रू.) के अग्रिम भुगतान किए। ठेकेदार ने 35 लाख रू. की सामग्री खरीदने के पश्चात, सभी मदों के मूल्यों में वृद्धि के कारण, मार्च 2005 में कार्य स्थगित कर दिया। एन.बी.सी.सी. ने भा.मा.ब्यू. द्वारा जारी कुल 79.56 लाख रू. के प्रति किए गए कार्य के लिए 53.13 लाख रू. का अपना अंतिम बिल प्रस्तुत किया (नवम्बर 2008), जिसमें प.प्र.प. शुल्क सम्मिलित थे। भा.मा.ब्यू. ने एन.बी.सी.सी. के साथ करार समाप्त करने का निर्णय लिया (मार्च 2008)।

इसी दौरान, भा.मा.ब्यू. ने 1.85 लाख रू. के शुल्क पर एक अन्य परामर्शदाता, मैसर्स बिजोय कान्ट्रेक्टर ईंजीनियर्स को नियुक्त किया (मई 2007)। परामर्शदाता ने बताया कि

एन.बी.सी.सी. द्वारा प्रस्तावित योजना ठीक थी तथा कार्य को उसी अभिकल्प एवं मानदण्डों के साथ पूरा करना संभव था।

अन्त में, दोनों भवनों के वातानुकूलन संयंत्र को स्थापित करने का कार्य अन्य संबंद्ध कार्यों के साथ 15.92 करोड़ रू. की अनुमानित लागत पर 24 माह की समापन अवधि में पूरा करने हेतु केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (के.लो.नि.वि.) को सौंपा गया (दिसम्बर 2008)। के.लो.नि.वि. ने नवम्बर 2009 तक कार्य प्रारम्भ नहीं किया था।

लेखापरीक्षा जांच (मई 2009) ने प्रकट किया कि भा.मा.ब्यू. द्वारा अभिकल्पों में बारम्बार परिवर्तन किए जाने, वातानुकूलन के साथ अनिवार्य आधुनिकीकरण कार्य को अनुमोदित न करने, स्थान उपलब्ध न कराने तथा एन.बी.सी.सी. को धन राशि के जारी करने में देरी के कारण, कार्य पूरा नहीं किया जा सका था।

मंत्रालय ने उत्तर दिया (अक्तूबर 2009) कि कार्य के निष्पादन में विलम्ब के लिए अकेले एन.बी.सी.सी. जिम्मेदार थी। मंत्रालय ने आगे बताया कि प्रत्यक्ष सत्यापन के पश्चात पहले से खरीदे गए भण्डार के उपयोग की सम्भावना खोजी जाएगी।

मंत्रालय का दावा स्वीकार्य नहीं है क्योंकि निविदा आमंत्रित करने से पहले कार्य के क्षेत्र का निर्धारण न करने, अभिकल्प में बारम्बार परिवर्तनों, स्थान के सौंपने में देरी, कार्य को पूरा करने के समय की समाप्ति के बाद धनराशि को जारी करने और निष्प्रभावी मॉनीटरिंग के लिए भा.मा.ब्यू. आरोप्य था। इसके अतिरिक्त, खरीदे गए भण्डार का उपयोग किया जाएगा, यह तर्क कि के.लो.नि.वि. द्वारा अनुमानों, जो कि इसे ध्यान में रख कर नहीं बनाए गए थे द्वारा समर्थित नहीं था।

इस प्रकार, अनुचित योजना और निष्प्रभावी मॉनीटरिंग के कारण भा.मा.ब्यू. ने 55.04 लाख रू. का निष्फल व्यय किया। इसके अतिरिक्त, 26.43 लाख रू. की अव्ययित शेष राशि एन.बी.सी.सी. से वसूल की जानी शेष रही।

अध्याय III : स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य विभाग

3 अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान

3.1 जल प्रभारों की कम वसूली

अ.भा.आ.सं. के स्टाफ मकानों में जल मीटरों के गैर संस्थापन का परिणाम 95.68 लाख रू. की कम वसूली में हुआ।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (अ.भा.आ.सं) के पास छः मुख्य जल कनेक्शन हैं जो 2049 स्टाफ मकानों के लिए जल का प्रबंध करते हैं। इन स्टाफ मकानों की जल खपत को दि.ज़.बो.[2] तथा न.दि.न.प.[3] द्वारा मुख्य मीटरों के आधार पर वाणिज्यिक दरों पर प्रभारित किया जाता है। तथापि, 2004-05 से 2008-09 के दौरान अ.भा.आ.सं. अधिभोक्ताओं से जल खपत के लिए 6 रू. से 52 रू. प्रति माह के बीच की दरो पर प्रभारित कर रहा था। संस्थान प्राधिकारियों ने स्टाफ मकानों में अलग मीटर संस्थापित नहीं करवाए थे।

2004-05 से 2008-09 (दिसम्बर 2008 तक) के दौरान संस्थान ने वास्तविक जल खपत प्रभारों के प्रति दि.ज.बो. तथा न.दि.न.प. को 1.08 करोड़ रू. अदा किए। अ.भा.आ.सं. ने स्टाफ मकानों के अधिभोक्ताओं से जल प्रभारों के प्रति केवल 12.58 लाख रू. वसूल किए जिसका परिणाम अप्रैल 2004 से दिसम्बर 2008 तक खपत प्रभारों के रूप में 95.68 लाख रू. की कम वसूली में हुआ।

इस प्रकार, अ.भा.आ.सं. ने घरेलू कनेक्शन दरों, जिसकी राशि को निर्धारित नहीं किया जा सकता क्योंकि अलग मीटर संस्थापित नहीं किए गए थे, के आधार पर कर्मचारियों द्वारा सीधे दि.ज.बो. /न.दि.न.प. को अदा किए जाने थे, की अपेक्षा कम दरो पर जल प्रभारों की वसूली करके स्टाफ मकानों के अधिभोक्ताओं को अनभिप्रेत लाभ प्रदान किया।

6 रू. से 52 रू. प्रति माह की जल दर की स्वीकृति के आधार वाले दस्तावेज लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराए गए थे।

---

[2] दिल्ली जल बोर्ड (आयुर्विज्ञान नगर तथा मस्जिद मोठ)

[3] नई दिल्ली नगर परिषद {अंसारी नगर (पूर्वी) तथा अंसारी नगर (पश्चिमी परिसर) }

संस्थान ने मंत्रालय को सूचित किया (सितम्बर 2009) कि अधिभोक्ताओं से वसूलनीय जल प्रभारों का संशोधन विचाराधीन था तथा लेखापरीक्षा द्वारा इंगित कम वसूली को तदनुसार वसूल किया जाएगा।

संस्थान को तुरन्त प्रभाव से प्रत्येक स्टाफ मकान पर निजी मीटर संस्थापित करने चाहिए तथा दि.ज.बो. एवं न.दि.न.प. को अदा किए प्रभारों के संदर्भ में जल प्रभारों की वसूली करनी चाहिए।

मामला अगस्त 2009 को मंत्रालय को प्रेषित किया था तथा उनका उत्तर फरवरी 2010 तक प्रतीक्षित था।

3.2 उपकर की गैर-वसूली

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, दिल्ली ने ठेकेदारों के बिलों से 34.75 लाख रू. के उपकर की वसूली करके दिल्ली भवन तथा अन्य निर्माण कर्मचारी कल्याण बोर्ड को उसका भुगतान नहीं किया जैसा कि भवन तथा अन्य निर्माण कर्मचारी कल्याण उपकर अधिनियम 1996 के अंतर्गत अपेक्षित था। उपकर के गैर भुगतान के कारण अ.भा.आ.सं. ब्याज तथा अर्थदण्ड के भुगतान के लिए भी उत्तरदायी था।

भवन तथा अन्य निर्माण कर्मचारी कल्याण उपकर अधिनियम 1996, दो प्रतिशत से अधिक नहीं परन्तु किसी भी निर्माण कार्य में लगे हुए नियोक्ता द्वारा वहन की गई निर्माण की लागत एक प्रतिशत से कम न हो, की दर पर उद्ग्रहण का प्रावधान करता है। उकपर अधिनियम के अंतर्गत गठित भवन तथा अन्य निर्माण कर्मचारी कल्याण बोर्ड को अदा किया जाना होगा। अधिनियम विलम्ब के मामले में (धारा-8) प्रति माह के लिए दो प्रतिशत की दर से ब्याज के भुगतान का तथा निर्धारित समय के भीतर उपकर की गैर-अदायगी के मामले में, नियोक्ता पर देय उपकर की राशि से अधिक न हो के, अर्थदण्ड की उगाही (धारा-9) का भी प्रावधान करता है। इस केन्द्रीय कानून के अनुसरण में रा.रा.क्षे.[4] दिल्ली सरकार ने जनवरी 2002 में दिल्ली भवन तथा अन्य निर्माण कर्मचारी (आर.इ. एवं सी.एस.) नियमावली को अधिसूचित किया तथा बाद में सितम्बर 2002 में दिल्ली भवन तथा अन्य निर्माण कर्मचारी कल्याण बोर्ड का गठन किया। अगस्त 2005 में रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार ने अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत आवृत्त किसी भी कार्यकलाप को कर रहे सरकारी निकायों को उन्हें श्रम विभाग के साथ पंजीकृत करने तथा ठेकेदार को भुगतान करते समय उसके बिल में से उपकर के रूप में स्वीकृत लागत के एक प्रतिशत को काटने का निर्देश दिया। इस प्रकार संग्रहित की गई राशि

[4] राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र

का दिल्ली भवन तथा अन्य निर्माण कर्मचारी कल्याण बोर्ड को 30 दिन के भीतर भुगतान करना होता था।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (अ.भा.आ.सं.) के अभियांत्रिकी विभाग के अभिलेखों की संवीक्षा (जनवरी 2009) से प्रकट हुआ कि इसने अप्रैल 2005 से जनवरी 2009 की अवधि के दौरान विभिन्न ठेकेदारों को नियुक्त करके विभिन्न निर्माण कार्यों को करवाया तथा 34.75 करोड़ रू. का भुगतान किया। निर्माण कार्य की कुल राशि के एक प्रतिशत की दर से 34.75 लाख रू. के कुल उपकर की ठेकेदार के बिलों से कटौती की जानी थी। अ.भा.आ.सं. ठेकेदार के बिलों से उपकर की कटौती करने में विफल रहा। निर्धारित समय के भीतर उपकर गैर अदायगी ने अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार ब्याज तथा अर्थदण्ड को भी आकर्षित किया।

अ.भा.आ.सं. ने बताया (मई 2009) की उसने लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने के उपरान्त 1 फरवरी 2009 से निट/करारनामें में उपयुक्त प्रावधान को लगाकर ठेकेदार के बिलों से निर्धारित दर पर उपकर की कटौती करना आरम्भ कर दी थी। अ.भा.आ.सं. ने स्वीकार किया कि निट/करारनामें में संबंधित प्रावधान के अभाव में ठेकेदारों से उपकर की वसूली करना सम्भव नहीं था।

इस प्रकार, अ.भा.आ.सं. की उपकर की कटौती करने तथा उसका नामित प्राधिकरण को भुगतान करने में विफलता का परिणाम अधिनियम के अधिदेशात्मक प्रावधानों की गैर-अनुपालना में हुआ। अ.भा.आ.सं. चूक हेतु द्वारा कोई उत्तरदायित्व निर्धारित नहीं किया गया था।

मामला मंत्रालय को जून 2009 में प्रेषित किया गया था; उनका उत्तर फरवरी 2009 तक प्रतीक्षित था।

अध्याय IV : मानव संसाधन विकास मंत्रालय

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

नवोदय विद्यालय समिति

4.1 किराया प्रभारों का परिहार्य भुगतान

अप्रैल 2002 में अधिग्रहित भूमि पर कार्यालय भवन एवं प्रशिक्षण संस्थान का निर्माण करने में नवोदय विद्यालय समिति की विफलता किराया एवं विस्तार प्रभारों पर 2.53 करोड़ रू. के परिहार्य व्यय का कारण बनी।

नवोदय विद्यालय समिति (न.वि.स.) का अपना मुख्यालय कार्यालय कैलाश कालोनी, नई दिल्ली में एक किराये के स्थान में है जिसके लिए मार्च 2008 तक वैध पट्टे समझौते के अंतर्गत अप्रैल 2005 से 7,42,520/- रू. प्रति माह पट्टा किराया अदा कर रही है। 8,91,024 रू. प्रति माह के पट्टा किराए के प्रति पट्टा समझौता अप्रैल 2011 तक बढ़ा दिया गया था।

न.वि.स. ने अपने स्वयं के मुख्यालय भवन एवं प्रशिक्षण संस्थान के लिए, 1.38 करोड़ रू. की कीमत पर नोएडा[5] से 5000 वर्ग मी. के एक भूखण्ड का पट्टे पर अधिग्रहण किया (अर्पेल 2002)। भूखण्ड के पट्टे समझौते के निबंधन एवं शर्तों के अनुसार, निर्माण कार्य पांच वर्षों अर्थात मार्च 2007 तक पूर्ण किया जाना था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि अप्रैल 2002 में भूखण्ड का अधिग्रहण करने के पश्चात न.वि.स. ने भूखण्ड के अधिग्रहण के तीन वर्षों के पश्चात अप्रैल 2005 में 14.26 करोड़ रू. की अनुमानित लागत पर भवन के निर्माण के प्रस्ताव के लिए अपनी वित्त समिति की स्वीकृति प्राप्त की। प्रस्ताव चार वर्षों से अधिक के पश्चात जुलाई 2006 में मंत्रालय को प्रस्तुत किया गया था। कार्य फरवरी 2007 में के.लो.नि.वि.[6] को सौंपा गया था जबकि भवन के आरेखणों को नवम्बर 2007 में नोएडा की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया गया था। न.वि.स. द्वारा विभिन्न स्तरों पर विलम्ब के कारण, भवन का निर्माण जुलाई 2009 में, जोकि मार्च 2007 में भवन के पूरा होने की निर्धारित तिथि से लगभग 28 महीनों के बीत जाने के पश्चात है, प्रारम्भ किया गया था।

---

[5] नया ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण

[6] केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग

इस प्रकार, भूमि तथा पाँच वर्षों की अवधि के पर्याप्त समय की उपलब्धता के बावजूद भी भवन की गैर-समापन के कारण, न.वि.स. ने नए भवन में स्थानांतरण के पश्चात 8.91 लाख रू. प्रतिमाह की किराए देयता सहित अप्रैल 2007 से अगस्त 2009 तक की अवधि के लिए पट्टे पर भवन के किराए पर 2.39 करोड़ रू. का परिहार्य अतिरिक्त व्यय किया।

इसके अतिरिक्त न.वि.स. ने भवन पूरा होने की अंतिम तिथि बीत जाने पर अक्तूबर 2009 में आगे से नोएडा को 14.21 लाख रू. के विस्तार प्रभार तथा 5.50 लाख रू. प्रतिवर्ष की देयता भी अदा की थी।

अपने उत्तर में, न.वि.स. ने बताया (जून 2009) कि निर्माण शुरू करने में विलम्ब मुख्यतः 2002-05 के दौरान निधियों की अनुपलब्धता, नोएडा से आरेखणों की स्वीकृति में विलम्ब तथा स्थानीय प्राधिकरणों अर्थात अग्निशमन विभाग, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, खान विभाग आदि द्वारा अनापत्ति प्रमाणपत्र (अ.प्र.) को जारी करने में विलम्ब के कारण था। मंत्रालय ने प्रबन्ध के विचार पृष्ठांकित किए (दिसम्बर 2009)। तथापि, इसने आगे बताया कि परियोजना अक्तूबर 2010 तक पूरी की जानी अपेक्षित थी।

मंत्रालय/प्रबन्धन का उत्तर इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि परियोजना की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव न.वि.स. द्वारा भारत सरकार को जुलाई 2006, जो कि भूखण्ड के अधिग्रहण के चार वर्षों के पश्चात है, में प्रस्तुत किया गया था, स्वीकार्य नहीं है। इसके अतिरिक्त, न.वि.स. ने नोएडा द्वारा स्वीकृति के लिए भवन के आरेखणों को नवम्बर 2007, जो कि भवन के निर्माण की निर्धारित तिथि से आठ महीने बीत जाने के पश्चात् थे, में प्रस्तुत किया था। तथापि, न.वि.स. स्थानीय प्राधिकरणों अर्थात् अग्नि शमन विभाग, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण तथा खान विभाग आदि से उनकी अनुमति हेतु कब गई, इस मामले पर उत्तर मूक है।

4.2 अधिक स्थान को किराए पर लेने के कारण परिहार्य व्यय

नवोदय विद्यालय समिति के अपनी स्थान आवश्यकता से अधिक कार्यालय भवन किराए पर लेने के अविवेकपूर्ण निर्णय का परिणाम 92.34 लाख रू. के परिहार्य व्यय में हुआ।

नवोदय विद्यालय समिति (न.वि.स.) मुख्यालय कार्यालय जुलाई 2001 से इन्दिरा गाँधी इन्डोर (इ.गाँ.इ.) स्टेडियम में अपने किराएपर लिए गए परिसर से कार्य कर रही थी। इं.गाँ.इ. स्टेडियम में उपलब्ध कुल कार्यालय स्थान 13,371.66 वर्ग. फुट था। चूंकि स्थान अपर्याप्त था इसलिए अभिलेख कक्ष, पुस्तकालय तथा पुराने फर्नीचर/उपकरण

जिसने लगभग 3500 वर्ग फुट का स्थान घेरा हुआ था, को जवाहर नवोदय विद्यालय (ज.न.वि.) फरीदाबाद में स्थानांतरित कर दिए गये थे। अंशदान भविष्य निधि (सी.पी.एफ.) एवं समूह बीमा योजना (जी.आई.एस.), कक्ष को मुख्यालय से चण्डीगढ़ क्षेत्रीय कार्यालय भवन में स्थानांतरित कर दिए गए थे जहॉ वह 1000 वर्ग फुट का स्थान घेर कर कार्य कर रहा था। इस प्रकार, इन स्थानों पर न.वि.स. मुख्यालय कार्यालय हेतु प्रयुक्त किया कुल स्थान लगभग 18,000 वर्ग फुट था।

न.वि.स. ने इं.गाँ.इ. स्टेडियम से अपना मुख्यालय बदलने का निर्णय लिया (दिसम्बर 2004)। कार्यालय परिसर बदलने के मुख्य कारण, अन्य बातों के साथ-साथ, तीन विभिन्न स्थानों अर्थात् इं.गाँ.इ. स्टेडियम, ज.न.वि. फरीदाबाद एवं क्षे.का.चण्डीगढ़ से कार्यालय का कार्य करने, प्रशासनिक असुविधा के साथ-साथ सी.पी.एफ. एवं जी.आई.एस. कक्ष की उपयुक्त मानीटरिंग एवं पर्यावेक्षण की कमी थे। इसलिए यह विचार किया गया था कि उपयुक्त कार्य करने के लिए कार्यालय के पास एक ही स्थान पर कम से कम 20,000 वर्ग फुट का क्षेत्र होना चाहिए था। तद्नुसार, न.वि.स. मुख्यालयों के कार्यालय को अवस्थित करने के लिए अधिक उपयुक्त स्थान की पहचान करने का निर्णय लिया गया था (दिसम्बर 2004)।

न.वि.स. ने तीन वर्षों के लिए 7.43 लाख रू. प्रति माह के मासिक किराए पर 19,540 वर्ग फुट के विस्तारित क्षेत्र सहित एक भवन[7] जो पिछले किराए से 20 प्रतिशत की वृद्धि के साथ तीन वर्षों की अतिरिक्त अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता था, को किराए पर लेने के लिए एक समझौता किया (मार्च 2005)।

लेखापरीक्षा संवीक्षा (अगस्त 2009) ने प्रकट किया कि यद्यपि स्थान आवश्यकता में अन्य स्टेशनों पर स्थापित इकाईयों के लिए 4500 वर्ग फुट का क्षेत्र सम्मिलित था फिर भी जुलाई 2009 तक इनको नए भवन को अंतरित नहीं किया गया था। इस प्रकर, न.वि.स. उस परिसर से कार्य कर रही थी जहाँ आवश्यकता से अधिक स्थान घेरा हुआ था। परिणामतः, मई 2005 से जुलाई 2009 के दौरान न.वि.स. ने किराए पर 92.34 लाख रू. का अतिरिक्त व्यय किया।

[7] भवन का पता - ए- 28 कैलाश कालोनी

न.वि.स. ने बताया (अगस्त 2009) कि मुख्यालय का भवन इकाईयों, जो फरीदाबाद तथा चण्ड़ीगढ़ में जारी थी, को स्थान उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त नहीं था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि किराए पर लिए स्थान में बाह्य स्टेशन परिसरों से कार्य कर रही इकाईयों का 4500 वर्ग फुट का क्षेत्र सम्मिलित था। इसके अतिरिक्त, प्रशासनिक असुविधा तथा सी.पी.एफ. एवं जी.आई.एस. कक्षों की उपयुक्त मॉनीटरिंग एवं पर्यवेक्षक की कमी की समस्याएं जारी रहीं क्योंकि न.व.स. मुख्यालय एक स्थान से कार्य नहीं कर सका था।

मामला जून 2009 एवं मार्च 2010 में मंत्रालय को प्रेषित किया था; उनका उत्तर फरवरी 2010 तक प्रतीक्षित था।

माध्यमिक एवं उच्चतर शिक्षा विभाग

दिल्ली विश्वविद्यालय

4.3 अनुचित विनियोजन

2007-2008 के दौरान दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त किए गए 4.06 करोड़ रू. की कीमत के उपकरण संस्थापन के लिए स्थान तैयार करने में विलम्ब के कारण व्यर्थ रहे।

दिल्ली विश्वविद्यालय ने मार्च 2007 में विदेशी फर्मों को प्रयोगात्मक विज्ञान में अनुसंधान सुविधाओं का उन्नयन करने के लिए, भौतिकी एवं रसायन में अपनी प्रयोगशालाओं हेतु 13.53 करोड़ रू. की कीमत के विश्लेषणात्मक उपकरण[8] के आठ नगों की खरीद के लिए आदेश दिया। 7.68 करोड़ रू की कीमत के उपकरण के सात नग मई 2007 तथा अक्तूबर 2007 के बीच प्राप्त किए गए थे जबकि 5.85 करोड़ रू. की कीमत का एक नग जून 2008 में प्राप्त किया गया था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि विश्वविद्यालय ने उपकरण के सामयिक संस्थापन को सुसाध्य बनाने के लिए पहले स्थान तैयारी का कार्य प्रारम्भ नहीं किया था। स्थान तैयारी का. कार्य अक्तूबर 2007 में ही प्रारम्भ किया गया था उस समय तक विश्वविद्यालय द्वारा 7.68 करोड़ रू0 की कीमत के उपकरण पहले ही प्राप्त किए जा चुके थे। चूंकि प्रयोगशालाओं के नवीकरण, वातानुकूलन आदि का कार्य जनवरी 2008 तथा जनवरी

[8] उच्च समाधान ट्रांसमिशन इलेक्ट्रान सूक्ष्मदर्शी, टीईएम नमूना तैयारी उपकरण, इलीप्सोमीटर, उच्च् समाधान पॉवडर एक्स-रे डिफेरेक्टरोमीटर, एकल क्रिस्टल एक्स-रे डिफ्रेक्टोमीटर, 400 मे.ह. नाभकीय चुम्बक अनुनाद, सरकूलर डिनरोसिम स्पेक्ट्रीपोलरमीटर, डिफेरशियल, स्कैनिंग कैलोरीमीटर

2009 के बीच समाप्ति के लिए नवम्बर 2007 तथा सितम्बर 2008 के बीच देरी से सौंपा गया था इसलिए निर्माण कार्यों को समय पर पूरा नहीं किया जा सका था।

परिणामस्वरूप, 1.36 करोड़ रू. की कीमत के 400 मे.ह. नाभकीय चुम्बक अनुवाद (एन.एम.आर.) का संस्थापन, इस तथ्य के बावजूद, कि मार्च 2007 में इसका आदेश दिया गया था तथा अक्तूबर 2007 में सुपुदर्गी की गई थी, अक्तूबर 2009 तक पूर्ण नहीं किया गया था। इसी प्रकार, सितम्बर 2007 में सुपुर्द किए 2.70 करोड़ रू. की कीमत के दो उपकरणों को मई 2009 तथा अक्तूबर 2009 में लगभग दो वर्षों के पश्चात संस्थापित किये गये थे। इन दो उपकरणों की उपभोक्ता स्वीकृति अक्तूबर 2009 तक प्राप्त नहीं की गई थी।

इस प्रकार, संस्थापन हेतु आधारभूत अवसंरचना की उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना उपकरणों के प्रापण ने प्रबंधन द्वारा त्रुटिपूर्ण विनियोजन को प्रदर्शित किया जिसका परिणाम 4.06 करोड़ रू. के व्यर्थ निवेश में हुआ। इसके अतिरिक्त अनुसंधान छात्र ने परिष्कृत उपकरणों के अभिप्रेत लाभों से वंचित हुए थे।

मंत्रालय ने नवम्बर 2009 में बताया कि एन.एम.आर. को छोड़कर सभी उपकरण संस्थापित कर दिए गए थे तथा इस उपकरण को संस्थापन की नवम्बर 2009 तक पूरा किये जाने की सम्भावना थी। तथापि, उपकरण के संस्थापन की स्थिति मांगने की लेखापरीक्षा आपत्ति के प्रत्युत्तर में विश्वविद्यालय ने मार्च 2010 में बताया कि आठ में से केवल दो उपकरण संस्थापित किये गये थे। उत्तर विश्वविद्यालय और मंत्रालय दोनों के द्वारा पूर्व में प्रस्तुत स्थिति के विपरित था।

मंत्रालय सही स्थिति को अभिनिश्चित करेगा और सभी उपकरण की संस्थापना के लिए तत्काल कार्रवाई करेगा।

भारतीय प्रौद्यौगिकी संस्थान, दिल्ली

4.4 बैंको तथा डाकघरों से लाईसेंस शुल्क की कम वसूली

बैंकों तथा डाक घरों से लाइसेंस शुल्क की वसूली के लिए संपदा महानिदेशालय द्वारा निर्धारित दरों को लागू न करने का परिणाम 71.33 लाख रू. की कम वसूली में हुआ

संपदा महानिदेशालय, भारत सरकार, (स.म.) ने 16 मार्च 1999 से लागू सामान्य पूल से संचालन कर रहे बैंकों तथा डाकघरों से वसूलनीय लाइसेंस शुल्क की दरें निर्धारित की। दरें 1 अप्रैल 2002 तथा 1 अप्रैल 2005 को संशोधित की गई थीं।

भारतीय प्रोद्यौगिकी संस्थान, नई दिल्ली (भा.प्रो.सं.दि.) अपने परिसर के भीतर भारतीय स्टेट बैंक (भा.स्टेट बैं.), केनरा बैंक तथा डाकघर को स्थान प्रदान करता है। भा.प्रो.सं.दि. ने 1 जनवरी 1999 से लागू प्रथम वृद्धि सहित 10% प्रति वर्ष की दर पर लाईसेंस शुल्क बढ़ाने का निर्णय लिया (दिसम्बर, 1998)। तदनुसार, अप्रैल 1999 से मार्च 2009 के दौरान भा.प्रो.सं.दि. ने बैंकों से 32.31 रू. से 141.45 रू. प्रति वर्ग मी. तथा डाकघर से 5.53 रू. से 10.16 रू. प्रति वर्ग मी. के बीच लाईसेंस शुल्क वसूल किया। चूंकि दरें भारत सरकार द्वारा निर्धारित दरों से काफी कम थी, इसलिए सं.म. के अनुसार वसूलनीय 90.88 लाख रू. के प्रति 19.55 लाख रू. का लाइसेंस शुल्क वसूला गया था जिसका परिणाम 71.33 लाख रू. की कम वसूली में हुआ।

मंत्रालय ने उत्तर दिया (नवम्बर 2009) कि भारत सरकार की दरें सं.म. द्वारा आबंटित सामान्य पूल आवास स्थान हेतु लागू थे। इसने बाद में बताया कि चूंकि भा.प्रो.सं.दि. अपने द्वारा अनुरक्षित परिसर/संपदा के भीतर कार्य कर रहा था इसलिए सं.म. के आदेश लागू नहीं थे तथा प्रोद्यौगिकी संस्थान अधिनियम, 1961 संस्थान को इससे संबंधित अथवा निहित किसी भी संपदा के, ऐसे ढ़ंग जो सस्थान के उद्देश्यों को बढ़ावा देने के लिए उपयुक्त समझा जाए, साथ व्यवहार करने हेतु सशक्त है।

मंत्रालय का दावा न्यायसंगत नहीं है क्योंकि भा.प्रो.सं.दि. अपने परिसर में अपने स्टाफ सदस्यों को आबंटित आवास स्थान हेतु लाईसेंस शुल्क वसूलने के लिए सं.म. के आदेशों का अनुपालन करता है। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय ने अपनी कार्रवाई टिप्पणी (जुलाई 2006) में भारतीय प्रोद्यौगिकी संस्थान बॉम्बे (भा.प्रो.सं.बॉ.) की अपने परिसर में अपने कर्मचारियों को आबंटित मकानों के लिए भारत सरकार की दरों पर लाईसेंस शुल्क वसूलने की विफलता पर भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की 2005 की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं.4, संघ सरकार (सिविल) के पैरा 11.7 में लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार किया तथा बताया कि संस्थान ने इस संबंध में भारत के आदेशों को लागू करने का निर्णय ले लिया था।

इस प्रकार, मंत्रालय का उत्तर भा.प्रो.सं.बो. के मामले में लिए अपने पहले के आधार का विरोध करता है। मंत्रालय को भा.प्रो.सं.दि. परिसरों से संचालन कर रहे वाणिज्यिक स्थापनाओं पर सं.म. के आदेशों को लागू करना चाहिए।

भारतीय प्रोद्यौगिकी संस्थान, खड़गपुर

4.5 छात्रवृत्ति का अनियमित भुगतान

भारतीय प्रोद्यौगिकी संस्थान, खड़गपुर ने पी.एच.डी. छात्रों के लिए असिस्टेंटशिप/छात्रवृत्ति को 1 अप्रैल 2008 के स्थान पर 1 अप्रैल 2007 से संशोधित किया जिसके परिणामस्वरूप 1.35 करोड़ रू. का अनियमित भुगतान हुआ।

भारतीय प्रोद्यौगिकी संस्थान, खड़गपुर (संस्थान) ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय (मंत्रालय) से एक अहस्ताक्षरित पत्र प्राप्त किया (सितम्बर 2007) जिसमें कहा गया कि केन्द्रीय प्रोद्यौगिकी संस्थानों में असिसटेंटशिप/छात्रवृत्ति की दरों में संशोधन का मामला विचाराधीन था तथा प्रस्तावित दरों के अनुसार होने वाले व्यय तथा अपेक्षित अतिरिक्त व्यय का ब्यौरा मांगा गया था। मंत्रालय ने विभिन्न कार्यक्रमों के असिसटेंटशिप/छात्रवृत्ति की दर को 1 अप्रैल 2008 से संशोधित कर दिया (जुलाई 2008)।

लेखापरीक्षा ने पाया कि असिसटेंटशिप/छात्रवृत्ति के संबंध में मंत्रालय का लंबित निर्णय के सम्बन्ध में, संस्थान ने मंत्रालय के प्रस्तावित दर के समान ही 1 अप्रैल 2007 से असिसटेंटशिप/ छात्रवृत्ति की दर को पूर्वव्यापी प्रभाव से संशोधित कर दिया । संस्थान ने 10 मार्च 2008 को अप्रैल 2007 से फरवरी 2008 तक की अवधि का बकाया भुगतान कर दिया और मंत्रालय के अनुमोदन के बिना मार्च 2008 महीने का छात्रवृत्ति का भुगतान संशोधित दर पर 4 अप्रैल 2008 को कर दिया।

इस प्रकार संस्थान ने पी.एच.डी. छात्रों को 1 अप्रैल 2008 के बजाय 1 अप्रैल 2007 से संशोधित छात्रवृत्ति देने के कारण 1.35 करोड़ रू. का अनियमित भुगतान किया।

मामले मंत्रालय को जून 2009 में सूचित किया गया था; उनका उत्तर फरवरी 2010 तक प्रतीक्षित था।

4.6 अधिक भुगतान

भारतीय प्रोद्यौगिकी संस्थान, खड़गपुर, ने संविदा का उल्लघंन करते हुए संविदाकार को इस्पात की कीमतों में वृद्धि के रूप में 22.23 लाख रू. का अधिक भुगतान किया।

भारतीय प्रोद्यौगिकी संस्थान, खड़गपुर (संस्थान) ने टर्न की आधार पर पंडित मदन मोहन मालवीय हॉल, 800 कमरे वाला छात्रावास के निर्माण हेतु इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट (इंडिया) लिमिटेड (संविदाकार) के साथ संविदा की (दिसम्बर 2003)। करार के उपबंध 10(सी)

के अनुसार निर्माण कार्य में शामिल किसी भी सामग्री के दरों में वृद्धि होने पर संविदाकार को प्रतिपूर्ति की अनुमति संविदा के समय अभिभावी सामग्री की दर से 10 प्रतिशत से अधिक वृद्धि पर अनुमत होगी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि जून 2003 में संविदा के समय लौह-इस्पात की कीमत 18000 रू. प्रति मी.ट. थीं, जिसमें संविदा के समय की दर से 10 प्रतिशत से भी अधिक वृद्धि हुई। जनवरी 2004 और जनवरी 2005 के बीच संविदाकार ने निर्माण में कुल 1116.438 मी.ट. लौह इस्पात का प्रयोग किया जिसकी कीमत 17065 रू. से 27450 रू. के बीच थी और मूल्य वृद्धि के कारण क्षतिपूर्ति का दावा किया (अप्रैल 2005)। संस्थान ने संविदा के प्रावधानों के उल्लंघन में 26000 रू. प्रति मी.ट. के औसत आधार पर परिकलित करके, मूल्यवृद्धि की पूरी राशि 89.31 लाख रू. (मार्च 2007) में भुगतान कर दिया।

इसके परिणामस्वरूप 22.23 लाख रू. का अधिक भुगतान हुआ जिससे बचा जा सकता था यदि संस्थान ने संविदा के उपबंध 10 (सी) के अनुसार 10 प्रतिशत से अधिक पर मूल्यवृद्धि की अनुमति दी होती।

मामला प्रबंधन एवं मंत्रालय को जुलाई 2009 में प्रेषित किया गया था; उत्तर फरवरी 2010 तक प्रतीक्षित था।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय

4.7 परिहार्य व्यय

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के प्रबंधन बोर्ड ने बिना किसी औचित्य के वैध निविदा को रद्द कर दिया जिसका परिणाम 56.56 लाख रू. के अतिरिक्त परिहार्य व्यय में हुआ।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) ने मई 2007 में, 2007-08 के लिए अध्ययन सामग्री के मुद्रण की आवश्यकता को पूरा करने हेतु, इग्नू के वाटर मार्क लोगों वाले 70 ग्रा.व.मी.[9] के मैपलीथो मुद्रण पेपर के दो लाख रिमों की खरीद हेतु निविदाएं आमंत्रित की। जुलाई 2007 में तकनीकी सलाहकार एवं पेपर क्रय समिति (त.स.पे.क्र.स.) ने निविदा खोलने वाली एवं मूल्यांकन समिति की अनुशंसाओं पर सबसे कम निविदाकर्ता 'क' को आदेश देने की सिफारिश की।

[9] ग्राम/वर्ग-मीटर

इग्नू के प्रबंधन बोर्ड ने, बिना किसी औचित्य के त.स.पे.क्र.स. की अनुशंसाओं की अवहेलना करते हुए, मुद्रण पेपर की तत्काल आवश्यकता को पूरा करने के लिए हिन्दुस्तान पेपर निगम लिमिटेड (हि.पे.नि.लि.) को आदेश देने का निर्णय लिया (अगस्त 2007)।

सितम्बर 2007 तथा फरवरी 2008 के बीच, इग्नू ने 19.09 करोड़ रू. की कीमत पर हि.पे.नि.लि. से पेपर के 2.47 लाख रिमों का प्रापण किया। फर्म 'क' द्वारा उद्धृत की गई 7.50 लाख रू. प्रति 1000 रिम की दर हि.पे.नि.लि. द्वारा आपूर्ति के 7.79/7.71 लाख रू. प्रति 1000 रिम की दर से कम थी।

लेखापरीक्षा संवीक्षा ने प्रकट किया (अप्रैल 2009) कि हि.पे.नि.लि., जिसकी बोली जून 2007 में तकनीकी मूल्यांकन मानदण्ड को पूरा न करने के कारण निविदा खोलने वाली एवं मूल्यांकन समिति द्वारा रद्द कर दी गई थी, को आदेश देने का इग्नू के प्रबंधन बोर्ड का निर्णय वित्तीय औचित्य के उल्लंघन में था तथा इसका परिणाम 56.56 लाख रू. के परिहार्य अतिरिक्त व्यय में था।

इग्नू ने उत्तर दिया (जून 2009) कि हि.पे.नि.लि. द्वारा प्रस्तावित पेपर की गुणवत्ता अच्छी थी क्योंकि इसके द्वारा विनिर्मित पेपर विरजीन पल्प से था । उत्तर में यह भी जोड़ा कि निर्णय प्रबंधन बोर्ड द्वारा लिया गया था जो कि विश्वविद्यालय की सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय था तथा बैठक में दिए गए सभी विचार-विमर्शो को सामर्थ्य अभिलेख में नहीं डाला जाएगा।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि निविदा खोलने वाली एवं मूल्यांकन समिति ने निविदा, जिसमें सभी आवश्यकताएँ उल्लेखित की गई थी, के संदर्भ के साथ बोलियों को मूल्यांकित किया गया था तथा 'क' को योग्य बोलीकर्ता माना गया था, जो कि तकनीकी-वित्तीय मानदण्ड को पूरा करता है, जिसे त.स.पे.क्र.स. द्वारा भी स्वीकार किया गया था। उत्तर यह स्पष्ट नहीं करता है कि हि.पे.नि.लि. जिसे तकनीकी मूल्यांकन मानदण्ड को पूरा न करने के कारण रद्द कर दिया गया था, को आदेश देते हुए समिति की अनुशंसाओं को अनदेखा क्यों किया गया। विरजीन पल्प का प्रयोग निविदा विशिष्ट में सम्मिलित नहीं था।

इस प्रकार बिना किसी औचित्य के त.स.पे.क्र.स. की अनुशंसाओं की अस्वीकार करने के परिणामस्वरूप 56.56 लाख रू. का परिहार्य व्यय हुआ।

मामला मंत्रालय को जून 2009 में प्रेषित किया गया था; उनका उत्तर फरवरी 2010 तक प्रतीक्षित था।

जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय

4.8 लेखापरीक्षा के दृष्टांत पर वसूली

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर, जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय ने कार्यकारी अभिकरणों से उपकर के संबंध में 44.74 लाख रू. की राशि वसूल की।

भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 के प्रावधानों के अनुसार उपकर ऐसी दरों पर, जो कि नियोजन द्वारा प्रभारित निर्माण की लागत के दो प्रतिशत से अधिक न हो परन्तु एक प्रतिशत से कम न हो, को स्त्रोत पर कटौती सहित ऐसे ढंग में एकत्रित किया जाना तथा राज्य सरकार द्वारा संस्थापित भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक बोर्ड को अदा किया जाना था। अधिनियम विनिर्दिष्ट समय के भीतर उपकर के विलम्ब से/गैर-भुगतान हेतु ब्याज एवं दण्ड के उदग्रहण का भी प्रावधान करता है।

दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार ने भवन एवं अन्य निर्माण कार्यों पर दिए बिल से एक प्रतिशत की दर पर उपकर काटने तथा इसे दिल्ली भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड (बोर्ड) को अंतरित करने का आदेश दिया (अगस्त 2005)।

जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय (ज.मि.इ.) के अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि ज.मि.इ. ने वर्ष 2003-04 से 2007-08 के दौरान निष्पादन करने वाले अभिकरणों को दिए बिलों से एक प्रतिशत की दर के स्त्रोत पर 44.74 लाख रू. की राशि के उपकर को काटे बिना 374 निर्माण कार्यों के निष्पादन के लिए 44.74 करोड़ रू. का भुगतान किया। इसका परिणाम न केवल 44.74 लाख रू. के उपकर की गैर-वसूली में हुआ बल्कि यह सांवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन था जो निष्पादन करने वाले अभिकरणों को अनुचित लाभ का कारण बना।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर, जा.मि.इ. ने उत्तर दिया (जून 2009), कि 2008-09 के दौरान ठेकेदारों से राशि वसूली ली गई थी तथा बोर्ड के पास जमा करा दी गई थी। बाद में उत्तर में जोड़ा गया कि यद्यपि उपकर अधिनियम के अनुसार जा.मि.इ.

उपकर काटने तथा जमा कराने के लिए उत्तरदायी नहीं था लेकिन, श्रमिक कल्याण के सामाजिक कारण को ध्यान में रखते हुए, उन्होने उपकर काटा था मंत्रालय जा.मि.इ. के उत्तर के साथ सहमत हुआ (नवम्बर 2009)।

मंत्रालय का उत्तर अगस्त 2005 के दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार के आदेशों, जिसके अनुसार सभी सरकारी निकायों के लिए ठेकेदारों के बिलों से एक प्रतिशत की दर पर उपकर की कटौती तथा बोर्ड के पास इसे जमा कराना अनिवार्य है, के अनुरूप नहीं है।

राष्ट्रीय प्रोद्यौगिकी संस्थान, दुर्गापुर भारतीय प्रोद्यौगिकी संस्थान, खड़गपुर

4.9 किराये की कम वसूली

भारत सरकार द्वारा निर्धारित किराये की दर पर वसूल करने में संस्थान असफल रहा जिसके फलस्वरूप 75.03 लाख रू. के राजस्व की हानि हुई।

राष्ट्रीय प्रोद्यौगिकी संस्थान, (एनआईटी) दुर्गापूर ने अपने परिसर में भारतीय स्टेट बैंक को 1985 में 1577.42 वर्ग फुट की जगह प्रदान की जिसके लिए 1340.80 रू. प्रतिमाह औपबंधिक लाइसेंस शुल्क प्रभारित करता था। रा.प्रो.सं. ने के.लो.नि.वि. या अन्य प्राधिकृत एजेंसी से आकलन कराये बिना लाइसेंस शुल्क निर्धारित कर दिया। रा.प्रो.सं. द्वारा प्रभारित दर 85 पैसा प्रति वर्ग फुट था जो भारत सरकार, शहरी विकास मंत्रालय द्वारा निर्धारित बैंकों पर प्रभार्य दर 1 अप्रैल 2002 और 1 अप्रैल 2005 से क्रमशः 23.13 रू और 25.92 रू प्रति वर्ग फुट प्रति माह से काफी कम था। परिणामस्वरूप, रा.प्रो.सं. दुर्गापूर को अप्रैल 2002 से जून 2009 तक की अवधि में 32.82 लाख रू.राजस्व की हानि हुई।

इसी प्रकार भारतीय प्रोद्यौगिकी संस्थान, खड़गपूर (संस्थान) ने पंजाब नेशनल बैंक को 2975 वर्ग फुट की जगह आबंटित थी। यद्यपि लाइसेंस शुल्क का 1994 और 2004 में संशोधन किया गया था तथापि 2.54 रू प्रति वर्ग फुट की वर्तमान दर निर्धारित दर से काफी कम था और संस्थान को मई 2004 से जून 2009 तक की अवधि में 42.21 लाख रू. की राजस्व की हानि उठानी पड़ी।

इस प्रकार संस्थानों के प्रबंधन द्वारा लाइसेंस शुल्क का भारत सरकार द्वारा निर्धारित दर पर संशोधन नहीं किए जाने के परिणामस्वरूप 75.03 लाख रू. की हानि हुई।

मामल मंत्रालय को जून 2009 में प्रेषित किया गया था; उनका उत्तर फरवरी 2010 तक प्रतीक्षित था।

राष्ट्रीय प्रोद्यौगिकी संस्थान, कुरूक्षेत्र

4.10 लेखापरीक्षा दृष्टांत पर वसूली

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर, राष्ट्रीय प्रोद्योगिकी संस्थान, कुरूक्षेत्र ने त्रुटिपूर्ण आंतरिक नियंत्रण के कारण अभिकरण से उपकर के 22.74 लाख रू. की राशि वसूल की।

भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 के प्रावधानों के अनुसार, उपकर को ऐसी दर जो नियोक्ता द्वारा कार्यान्वित निर्माण की लागत के दो प्रतिशत से अधिक न हो परन्तु एक प्रतिशत से कम न हो, स्त्रोत पर कटौती को सम्मिलित करके ऐसे ढ़ंग में एकत्रित किया जाना तथा राज्य सरकार द्वारा संस्थापित भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड को अदा किया जाना था। अधिनियम विनिर्दिष्ट समय के भीतर उपकर के विलम्बित/गैर-भुगतान के लिए ब्याज तथा दण्ड के उदग्रहण हेतु व्यवस्था भी करता है।

हरियाणा सरकार ने भवन एवं अन्य निर्माण कार्यों पर अदा किए बिलों से एक प्रतिशत की दर पर उपकर की कटौती तथा उसे हरियाणा भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड को अंतरित करने का आदेश दिया (फरवरी 2007)।

राष्ट्रीय प्रोद्यौगिकी संस्थान, कुरूक्षेत्र (संस्थान) के अभिलेखों की संवीक्षा (जनवरी 2009) ने प्रकट किया कि संस्थान ने अप्रैल 2007 से दिसम्बर 2008 तक विभिन्न निर्माण कार्यों के निष्पादन के कारण 11 कार्यकारी अभिकरणों को 32.33 करोड़ रू. अदा किए। इन अभिकरणों को अदा किए बिलों से 32.33 लाख रू. का उपकर स्त्रोत पर काटना अपेक्षित था परन्तु संस्थान द्वारा केवल 9.59 लाख रू. वसूल किया गया था। इसका परिणाम न केवल 22.74 लाख रू. की कम वसूली में हुआ बल्कि संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन था जो कार्यकारी अभिकरणों को अनुचित लाभ का कारण बना। इसके अतिरिक्त, वसूल की गई 9.59 लाख रू. की राशि दिसम्बर 2008 तक बोर्ड के पास जमा नहीं कराई गई थी।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर, संस्थान ने बताया (मार्च 2009) कि राशि को ठेकेदारों से वसूल लिया गया था तथा श्रम विभाग के पास जमा (फरवरी 2009) करा दिया था।

मामला मंत्रालय को फरवरी 2009 में प्रेषित किया था; उनका उत्तर फरवरी 2010 तक प्रतीक्षित था।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

4.11 चिकित्सा दावों की प्रतिपूर्ति पर अनियमित व्यय

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सरकार से पूर्व अनुमति के बिना छूट प्राप्त प्रतिमानों सहित अपने पेंशनभोगियों के लिए चिकित्सा सुविधाओं हेतु एक योजना कार्यान्वित की जिसका परिणाम अप्रैल 2007 से मार्च 2009 के दौरान चिकित्सा दावों की प्रतिपूर्ति पर 1.34 करोड़ रू. के अनियमित व्यय में हुआ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (वि.अ.आ.) के नौकरी कर रहे कर्मचारी केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना (के.स.स्वा.यो.) के अंतर्गत आवृत है। सुविधा वि.अ.आ. के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए विस्तारित नहीं की गई थी। वि.अ.आ.ने पेंशनभोगियों के लाभ के लिए विभिन्न क्षेत्रों में प्राधिकृत चिकित्सा परिचरों (प्रा.चि.प.) की नियुक्ति करके (2005) के.से.(चि.) नियमावली[10] का विस्तार करके पेंशनभोगियों के बाह्य/अंत उपचार के लिए चिकित्सा दावों की प्रतिपूर्ति की थी। पेंशनभोगियों को प्रा.चि.प. द्वारा संदर्भित तथा इसके लिए वि.अ.आ. की पूर्व अनुमति पर के.स.स्वा.यो. के स्वीकृत निदान केन्द्रों में निदान जाचों तथा के.स.स्वा.यो. के पंजीकृत अस्पतालों/सरकारी अस्पतालों में अन्तः उपचार की अनुमति थी। प्रतिपूर्तियों के.स.स्वा.यो. दरों पर की गई थी।

लेखापरीक्षा संवीक्षा (जून 2009) ने प्रकट किया कि वि.अ.आ.ने पेंशनभोगियों के लिए प्रा.चि.प. से बिना किसी निर्देशन तथा वि.अ.आ. की पूर्व अनुमति के बिना सीधे के.स.स्वा.यो. पंजीकृत अस्पतालों/निदान केन्द्रों तथा सरकारी अस्पातलों से बा.म.वि. एवं उपचार करने हेतु उनको अनुमति प्रदान करने की एक नई योजना स्वीकृत की (अगस्त 2006)। इसने अक्तूबर 2006 से पेंशनभोगियों के लिए प्रा.चि.प. सुविधाओं को वापस ले लिया था। के.स.स्वा.यो. एवं के.स.(चि.) नियमावली दोनों के अंतर्गत, के.स.स्वा.यो. के अंतर्गत किसी विशेषता प्राप्त पंजीकृत अस्पताल/निजी अस्पताल में उपचार चाहने वाले किसी केन्द्र सरकार पेंशनभोगी के संदर्भित प्रणाली द्वारा व्यवस्था की जायेगी जिसमें औषधालय का मु.चि.अ./प्रा.चि.प. प्रभारी उसको ऐसे प्राधिकार का अनुमत करेगा। तथापि, वि.अ.आ. ने नई प्रणाली प्रारम्भ करते समय, अकेले पेंशनभोगी के अनुरोध पर संदर्भित प्रणाली की आवश्यकता को छोड़ दिया। इसके अतिरिक्त, नई

[10] केन्द्रीय सेवाएं (चिकित्सा) नियमावलीए 1944

योजना के कार्यान्वयन के पहले मानव संसाधन विकास मंत्रालय की अनिवार्य स्वीकृति तथा वित्त मंत्रालय की सहमति नहीं ली थी।

अतः सरकार की स्वीकृति के बिना पेंशनभोगियों के चिकित्सा दावों की प्रतिपूर्ति के परिणामस्वरूप अप्रैल 2007 से मार्च 2009 तक की अवधि के लिए 1.34 करोड़ रू. का अनियमित भुगतान हुआ।

यह भी पाया गया था कि यद्यपि योजना को के.स.स्वा.यो. के सादृश्य पर प्रारम्भ किया गया था फिर भी पेंशनभोगियों से मासिक/एक बारी में अंशदान, जो कि के.स.स्वा.यो. लाभभोगियों के मामले में लागू है, की वसूली करने के लिए कोई प्रावधान नहीं था। 323 पेंशनभोगियों के लिए एक बारी का अंशदान 22.23 लाख रू. परिकलित किया गया।

मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया तथा बताया (अक्तूबर 2009) कि पेंशनभागियों से कुछ राशि वसूलने के प्रयास किए जाएंगे। तथापि, मंत्रालय ने सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना योजना के कार्यान्वयन के संबंध पर अभ्युक्ति पर कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया था।

4.12 संस्थानों को "विश्वविद्यालय के समकक्ष" का दर्जा प्रदान करना

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने संस्थानों को योजना दिशानिर्देशों के उल्लंघन में "विश्वविद्यालय के समकक्ष" का दर्जा प्रदान किया जो विश्वविद्यालयी शिक्षा में मानकों के मंदन के जोखिम से भरा हुआ था।

4.12.1 प्रस्तावना

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (वि.अ.आ.) की स्थापना 1956 में, संसद के अधिनियम के माध्यम से भारत सरकार की सांवैधानिक निकाय के रूप में विश्वविद्यालयी शिक्षा के उत्थान एवं समन्वय तथा विश्वविद्यालय शिक्षण के मानकों के निर्धारण एवं अनुरक्षण, विश्वविद्यालयों में परीक्षा तथा अनुसंधान हेतु की गई थी।

वि.अ.आ. ने वि.अ.आ. अधिनियम की धारा 3 के अन्तर्गत संस्थान को विश्वविद्यालय के समकक्ष का दर्जा प्रदान करने हेतु प्रस्तावों पर विचार करने के लिए दिशानिर्देश बनाए गये (2000)। इस धारा के अंतर्गत, उच्चतर शिक्षा हेतु संस्थान को वि.अ.आ. की सलाह पर केन्द्र सरकार द्वारा सरकारी गजट में सरकारी अधिसूचना पर विश्वविद्यालय माना जाएगा।

वि.अ.आ. की अनुशंसा पर, मंत्रालय ने जून 2009 तक 127 संस्थानों को "विश्वविद्यालय के समकक्ष" माना जाना घोषित किया जिनमें से 57 संस्थानों को 2004-05 में 2008-09 तक इसी प्रकार घोषित किया गया था।

4.12.2 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

2004-05 से 2008-09 की अवधि के दौरान मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा संस्थानों जिन्हें विश्वविद्यालय माने जाने का दर्जा देना घोषित किया गया है, के प्रस्तावों के संबंध में वि.अ.आ. के अभिलेखों की लेखापरीक्षा जांच ने संस्थान को "विश्वविद्यालय के समकक्ष" माने जाने के प्रयोजन हेतु विशेषज्ञ समितियों तथा राज्य सरकारों की विशिष्ट अनुशंसाओं तथा स्थापित दिशानिर्देशों के उल्लंघनों के कई दृष्टांतों को प्रकट किया। वि.अ.आ. के निर्धारित दिशानिर्देशों तथा विशेषज्ञ समिति की अनुशंसाओं की गैर-अनुपालना मानकों के विशेष रूप से अनुभवी संकाय तथा माने गए विश्वविद्यालयों में अवसंरचना की उपलब्धता के संबंध में मंदन के जोखिम से भरी हुई थी। मुख्य लेखापरीक्षा निष्कर्षों की चर्चा अनुवर्ती पैराग्राफों में की गई है।

4.12.3 विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान करने में अनियमितताएं

वि.अ.आ. के दिशानिर्देशों के अनुसार, विश्वविद्यालय माने जाने हेतु आवेदन कर रहे संस्थानों को उद्देश्यों, कार्यक्रमों, संकाय, सुविधाएं, वित्तीय उपलब्धता आदि जैसा कि समय-समय पर वि.अ.आ. द्वारा निर्धारित किए गए हैं, के संबंध में उन्हें विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान करने से पहले योग्यता मापदण्डों को पूरा करना अपेक्षित होता है। इसके अतिरिक्त, तकनीकी संस्थानों के मामले में अ.भा.त.शि.प.[11] से संस्थान को "विश्वविद्यालय के समकक्ष" का दर्जा प्रदान करने हेतु सलाह ली जाती है। श्रेष्ठता के वादे के साथ आविर्भावी क्षेत्रों में वि.अ.आ. के निर्धारित दिशानिर्देशों को पूरा नहीं कर रहे संस्थानों को डी-नोवा श्रेणी के अन्तर्गत पांच वर्ष की अवधि हेतु की गई वि.अ.आ. की समीक्षा समिति के वार्षिक निष्पादन प्रतिवेदन के आधार पर प्रमाणीकरण के तहत प्रावधानिक दर्जा प्रदान किया जाता है। डी-नोवा श्रेणी के संस्थानों को कुछ शर्तें जो पूरी करनी अपेक्षित नहीं होती वे स्नातकोत्तर संस्थान तथा अनुसंधान, अ.भा.त.शि.प. जैसे संबंधित सांवैधानिक प्राधिकरणों द्वारा मान्यताप्राप्त, विद्यमान होने की दस वर्ष की न्यूनतम अवधि, अवसंरचनात्मक आवश्यकताएं, न्यूनतम संकाय संख्या आदि से संबंधित है। किसी संस्थान को "विश्वविद्यालय के समकक्ष" का दर्जा प्रदान करने हेतु मंत्रालय को अनुशंसा करने से पहले वि.अ.आ. वित्तीय, भौतिकी तथा शिक्षण व्यवहार्यता का

[11] अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद

अनुरक्षण तथा उसे "विश्वविद्यालय के समकक्ष" बनाए रखने पर जांच करने तथा उसे सूचित करने हेतु एक विशेषज्ञ समिति का गठन करता है। जब विशेषज्ञ समिति संस्थान की डी-नोवा श्रेणी के अंतर्गत अनुशंसा करती है तो यह स्पष्ट है कि विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किए जाने हेतु निर्धारित शर्तें पूरी नहीं की गई हैं।

नीचे तालिका मंत्रालय द्वारा "विश्वविद्यालय के समकक्ष" के दर्जे की पुष्टि प्रदान किए गए संस्थानों जो न्यूनतम योग्यता के मापदण्ड को पूरा नहीं कर रहे थे तथा वि.अ.आ. की विशेषज्ञ समिति की अनुशंसाओं के भी विरूद्ध थे, को दर्शाती हैः

क्र.सं.	संस्थान का नाम	संस्थान द्वारा आवेदन किए गए दर्जे की श्रेणी	अनुशंसित दर्जे की श्रेणी		मंत्रालय द्वारा प्रदान किए गए दर्जे की श्रेणी	मंत्रालय द्वारा विश्वविद्यालय की अधिसूचना की तिथि
			विशेषज्ञ समिति	वि.अ.आ.		
1.	भारत के सनदी वित्तीय विश्लेषक का संस्थान, हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश (आई.सी.एफ.ए.आई.)	डी-नोवा	डी-नोवा	विश्वविद्यालय के समकक्ष	विश्वविद्यालय के समकक्ष	दिसम्बर 2008
2.	मानव रचना अन्तर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, फरीदाबाद, हरियाणा (एम.आर.आई.यू.)	डी-नोवा	डी-नोवा	डी-नोवा	विश्वविद्यालय के समकक्ष	अक्तूबर 2008
3.	नेहरू ग्राम भारती विश्वविद्यालय इलाहाबाद, उ.प्र.	डी-नोवा	डी-नोवा	विश्वविद्यालय के समकक्ष	विश्वविद्यालय के समकक्ष	जून 2008
4.	मोदी शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, राजस्थान	डी-नोवा	डी-नोवा	डी-नोवा	विश्वविद्यालय के समकक्ष	फरवरी 2004

लेखापरीक्षा ने पाया कि आई.सी.एफ.ए.आई. को मंत्रालय द्वारा इस तथ्य कि अ.भा.त.शि.सं. ने वि.अ.आ. को जनवरी 2006 में सूचित किया था कि संस्थान बिना उनकी स्वीकृति के तकनीकी कार्यक्रमों को संचालित कर रहा था तथा संस्थान को एक कारण बताओ नोटिस दिसम्बर 2005 में जारी किया गया था, के बावजूद "विश्वविद्यालय" का दर्जा प्रदान किया गया।

एम.आर.आई.यू. के मामले में, मंत्रालय ने अ.भा.त.शि.प. की अनुशंसाओं के प्रति संस्थान को विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया। लेखापरीक्षा ने पाया कि इस संस्थान ने, मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के उल्लंघन में अन्य चार गैर-अनुमोदित

संस्थानों के नामों को विश्वविद्यालय के संघटकों के रूप में शामिल किया तथा अप्रैल 2009 में एक प्रकाशित विज्ञापन में उन्हें तथा अपनी वेबसाइट में भी उन्हें अधिसूचित किया जो लोगों तथा विद्यार्थियों को बहका रही थी। मई 2009 में वि.अ.आ. ने संस्थान को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया। इसके अतिरिक्त, जून 2009 तक प्रगति प्रतीक्षित थी।

नेहरू ग्राम भारती विश्वविद्यालय, इलाहाबाद को जून 2008 में "विश्वविद्यालय के समकक्ष" का दर्जा प्रदान किया गया था जबकि संस्थान केवल परम्परागत डिग्री कार्यक्रमों का संचालन कर रहा था तथा उसने अवसंरचना, संकाय संख्या, पुस्तकों, उपकरणों आदि के संबंध में योग्यता मापदण्डों को पूरा नहीं किया था। संकाय संख्या केवल दो विभागों के पास थीं, जिनमें प्रोफेसर थे, वि.अ.आ. के आवश्यकताओं के अनुसार नहीं था।

4.12.4 राज्य सरकार की अनुशंसाओं के प्रति दर्जा प्रदान करना।

दिशानिर्देशों के अनुसार, वि.अ.आ. को "विश्वविद्यालय के समकक्ष" का दर्जा मांग रहे संस्थानों के प्रस्तावों पर राज्य सरकार का मत प्राप्त करना है। राज्य शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में यह निर्णय भी लिया गया (अप्रैल 2007) था कि राज्य सरकारों के मतों तथा सम्बन्धित को केन्द्रीय नियामक निकायों द्वारा वि.अ.आ., अ.भा.त.शि.प. रा.शि.शि.प.[12] जैसी शिक्षा पर उचित महत्व दिया जाएगा।

अभिलेखों की नमूना जांच ने प्रकट किया कि 14 मामलों में मंत्रालय ने संस्थानों को "विश्वविद्यालय के समकक्ष" का दर्जा या तो राज्य सरकारों की अनुशंसाओं के प्रति दिया था या राज्य सरकारों से उनके मतों को प्राप्त किए बिना दिया था जिनका विवरण नीचे तालिका में दिया गया है:

क्र.सं.	विश्वविद्यालय का नाम	राज्य सरकारों के विचार	मंत्रालय द्वारा "विश्वविद्यालय" का दर्जा प्रदान करने की तिथि
1.	सविथा चिकित्सा तथा तकनीकी विज्ञान, चैन्नई, तमिलनाडु	राज्य सरकार ने बताया (नवम्बर 2004 तथा सितम्बर 2005) कि इन संस्थानों के पास अपने आप को विश्वविद्यालय के रूप में अनुरक्षित करने एवं बनाए रखने के लिए अनुसंधान सुविधाएं तथा शिक्षण शक्ति नहीं थी। राज्य	मार्च 2005
2.	वैवस विज्ञान, प्रोद्यौगिकी तथा उच्च अध्ययन संस्थान चैन्नई, तमिलनाडु		जून 2008
3.	पून्नाईया रामाजयम विज्ञान एवं प्रोद्यौगिकी संस्थान, तमिलनाडु		जनवरी 2008
4	नूरूल इस्लाम अभियांत्रिकी		दिसम्बर 2008

[12] राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद

क्र.सं.	विश्वविद्यालय का नाम	राज्य सरकारों के विचार	मंत्रालय द्वारा "विश्वविद्यालय" का दर्जा प्रदान करने की तिथि
	महाविद्यालय, तमिलनाडु	सरकार ने इन संस्थानों को "विश्वविद्यालय के समकक्ष" का दर्जा दिए जाने के प्रति अनुशंसा की।	
5.	हिन्दुस्तान प्रोद्यौगिकी एवं विज्ञान संस्थान, कोचीपुरम, तमिलनाडु	राज्य सरकार के मत नहीं माने गए थे।	मई 2008
6.	महाऋषि मारकण्डेश्वर विश्वविद्यालय, अम्बाला, हरियाणा	राज्य सरकारों के मत नहीं माने गए थे।	जून 2007
7.	ग्राफिक्स ऐरा संस्थान, उत्तराखण्ड	राज्य सरकार ने प्रस्ताव को लम्बित रखने का अनुरोध (मार्च 2008) किया है।	अगस्त 2008
8.	स्वामी राम विद्यापीठ उत्तराखण्ड	राज्य सरकार ने बताया (अप्रैल 2006) कि संस्थान ने उत्तराखण्ड के स्थानीकों के लाभ के लिए कुछ शर्तों को शामिल किया था	जून 2007 राज्य सरकार द्वारा सुझाई गई शर्तों को शामिल किए बिना
9.	के.एल.ई. उच्चतर शिक्षा एवं अनुसंधान अकादमी, कर्नाटक	राज्य सरकार ने बताया (अप्रैल 2005) कि ये प्राथमिक संस्थान थे जो पूर्वस्नातक शिक्षा प्रदान करते थे तथा "विश्वविद्यालय के समकक्ष" का दर्जा अनुशंसित न करने का निर्णय लिया गया था क्योंकि ये शर्तें थी कि ये संस्थान वि.अ.आ. दिशानिर्देशों के अन्तर्गत अपेक्षाओं को पूरा करने के योग्य होंगे।	अप्रैल 2006
10.	जैन विश्वविद्यालय, बैंगलोर, कर्नाटक		दिसम्बर 2008
11.	जे.एस.एस. विद्यापीठ मैसूर, कर्नाटक		मई 2008
12.	श्री सिद्धार्थ उच्चतर शिक्षा अकादमी, कर्नाटक	राज्य सरकार ने किसी भी संस्थान को "विश्वविद्यालय" का दर्जा नहीं दिए जाने के लिए अनुशंसा करने का निर्णय लिया (अगस्त 2007)।	मई 2008
13.	क्राइस्ट महाविद्यालय बैंगलौर, कर्नाटक	राज्य सरकार ने बताया (अप्रैल 2008) कि उन्होंने महाविद्यालय को विश्वविद्यालय का दर्जा दिए जाने की अनुशंसा नहीं की थी।	जुलाई 2008
14.	श्री बालाजी विद्यापीठ, पांडिचेरी	राज्य सरकार ने संस्थान को विश्वविद्यालय का दर्जा दिए जाने का अनुरोध किया (जून 2007)	अगस्त 2008 यह भी अ.भा.त.शि.प. की अनुशंसा के विरूद्ध था।

4.12.5 संस्थानों को अनिवार्य अवधि हेतु अस्तित्व में रहे बिना दर्जा प्रदान करना

दिशानिर्देशों के अनुसार, एक संस्थान को "विश्वविद्यालय के समकक्ष" का दर्जा प्राप्त करने के लिए आवेदन करते समय उसे कम से कम 10 वर्ष की अवधि से अस्तित्व में होना चाहिए।

अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि आयोग की अनुशंसाओं पर मंत्रालय ने शिक्षा "ओ" अनुसंधान भुवनेश्वर को इसके सात[13] संघटक संस्थानों के साथ 17 जुलाई 2007 तथा 19 दिसम्बर 2008 के बीच "विश्वविद्यालय के समकक्ष" का दर्जा प्रदान किया जबकि सात संघटक संस्थानों में से छः संस्थानों ने 10 वर्ष की अवधि तक अस्तित्व में रहने के मापदण्ड को पूरा नहीं किया था।

4.12.6 समग्र निधि का सृजन तथा इसकी वैधता अवधि की जांच किए बिना दर्जा प्रदान करना।

दिशानिर्देशों के अनुसार, अभियांत्रिकी प्रोधौगिकी तथा औषधि में कार्यक्रम संचालित कर रहे संस्थान तथा वे जो विज्ञान, सामाजिक विज्ञान तथा मानवीयता/कला तथा ललितकला तथा अन्य व्यावसायिक कार्यक्रम संचालित कर रहे हैं उन्हें क्रमशः 5 करोड़ रू. तथा 3 करोड़ रू. की समग्र निधि का अनुरक्षण "विश्वविद्यालय के समकक्ष" के दर्जे की मान्यता प्राप्त करने के लिए करना अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त, वि.अ.आ. द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार, "विश्वविद्यालय के समकक्ष" के दर्जे की मांग कर रहे संस्थानों को 10 वर्ष की अवधि हेतु समग्र निधि के निवेश के प्रति प्रमाण प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

तथापि, मंत्रालय ने उक्त प्रावधानों की अनुपालना सुनिश्चित किए बिना पाँच संस्थानों[14] को "विश्वविद्यालय के समकक्ष" का दर्जा प्रदान किया जिन्होंने योग्यता मापदण्डों को

---

[13] (i) तकनीकी शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (1996)
(ii) व्यवसाय एवं कम्प्यूटर अध्ययन संस्थान (1998)
(iii) होटल प्रबन्धन महाविद्यालय (2004)
(iv) दंत विज्ञान संस्थान (2006)
(v) सम नर्सिंग महाविद्यालय (2004)
(vi) भेषजीय विज्ञान विद्यालय (2004)
(vii) चिकित्सा विज्ञान संस्थान तथा सम अस्पताल कलिंगानगर, भुवनेश्वर (2003) (कोष्ठक के अन्दर वर्ष स्थापना वर्ष को इंगित करते हैं)

[14] (i) रसायन प्रोद्यौगिकी संस्थान, मुंबई, (ii) मोदी शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, राजस्थान, (iii) डी.वाई.पाटिल शिक्षण समिति, महाराष्ट्र, (iv) मेरीटाईम शिक्षा एवं प्रशिक्षण अकादमी, तमिलनाडु तथा (v) कोनेरू लक्ष्मइया शिक्षा फाउण्डेशन, आन्ध्र प्रदेश।

पूरा नहीं किया था। इन संस्थानों के पास 10 वर्षों की अपेक्षित अवधि के प्रति एक से तीन वर्षों के बीच की अवधि के लिए सावधि जमा प्राप्ति (सा.ज.प्रा.) थी। दो मामलों में, यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि मंत्रालय द्वारा दर्जा प्रदान करने की तिथि पर क्या सा.ज.प्रा. चालू थीं क्योंकि वे अधिसूचना की तिथियों पर पहले ही परिपक्व हो गई थीं।

उक्त असंगति को एक दृष्टांत से दर्शाया गया है जिसमें मार्च 2009 में वि.अ.आ.. ने एक संस्थान से समग्र निधि के रूप में 5 करोड़ रू. के निवेश के प्रमाण को प्रस्तुत करने को कहा तथा प्रत्युत्तर में संस्थान केवल 50 लाख रू. की सा.ज.प्रा. ही प्रस्तुत कर सका।

4.12.7 अनुदान का गलत जारी करना

वि.अ.आ. अधिनियम 1956 की धारा 12(ख) निर्धारित करती है कि कोई अनुदान केन्द्र सरकार, आयोग या अन्य कोई संगठन जो केन्द्र सरकार से किसी प्रकार की निधियां प्राप्त कर रहा हो द्वारा कोई अनुदान उस विश्वविद्यालय को नहीं दिया जाएगा जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (संशोधन) अधिनियम, 1972, के उपरान्त स्थापित हुआ है, जब तक कि आयोग द्वारा अपने को संतुष्ट करने के उपरान्त, जैसा कि ऐसे मामलों में निर्धारित है, ऐसे विश्वविद्यालयों को अनुदान प्राप्त करने हेतु उपयुक्त घोषित नहीं करता।

इसके अतिरिक्त वि.अ.आ. के नीति के अनुसार 1992 के उपरान्त "विश्वविद्यालय के समकक्ष" घोषित किए गए संस्थान वि.अ.आ. से अनुदान प्राप्त करने हेतु योग्य नहीं थे।

मंत्रालय ने डी-नोवा श्रेणी के अन्तर्गत जनवरी 2005 में रामकृष्ण मिशन विवेकानन्द शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान को "विश्वविद्यालय के समकक्ष" अधिसूचित किया। वि.अ.आ. ने संस्थान को अप्रैल 2005 से मार्च 2009 की अवधि के दौरान भवन निर्माण, चयनित संकाय सदस्यों को वेतन तथा पुस्तकों, जर्नल, उपकरणों आदि के क्रय हेतु 10.52 करोड़ रू. की राशि का अनुदान जारी किया। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय ने 11वीं तथा 12वीं योजना (2009-17) की शेष अवधि के दौरान पांच करोड़ रू. वार्षिक रूप से नियमित जारी करने के लिए वचनबद्ध था।

अभिलेखों की जांच ने उजागर किया कि संस्थान वि.अ.आ. अधिनियम 1956 की धारा 12(ख) के अन्तर्गत आवृत नहीं था तथा वि.अ.आ. द्वारा स्वीकृत भी नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय ने फरवरी 2007 की अपनी अधिसूचना में निर्णय लिया था

कि मंत्रालय या वि.अ.आ. कोई योजनागत या गैर-योजनागत अनुदान किसी संस्थान या इसके संघट के केन्द्रों को नहीं देगा। तथापि मंत्रालय ने अपने निर्णय के उल्लंघन तथा स्थापित नीति के विचलन में संस्थानों तथा इसके संघटकों को अनुदान जारी किया जिसका परिणाम अनुदान के गलत जारी करने में हुआ।

4.12.8 चल एवं अचल परिसम्पत्तियों का अनुरक्षण

दिशानिर्देशों के अनुसार, चल एवं अचल परिसम्पत्तियाँ "विश्वविद्यालय के समकक्ष" दर्जे की मान्यता मांग कर रहे संस्थान के नाम कानूनी रूप से होनी चाहिए।

लेखापरीक्षा ने पाया कि आठ विश्वविद्यालयों[15] जिन्हें 2005-09 की अवधि के दौरान "विश्वविद्यालय के समकक्ष" दर्जा दिया गया था, चल एवं अचल परिसम्पत्तियाँ वास्तव में उन्हें "विश्वविद्यालय के समकक्ष" दर्जा प्रदान करते समय इन संस्थानों के नाम कानूनी रूप से हस्तांतरित नहीं की गई थी।

लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि दो संस्थानों, डी.वाई. पाटिल शिक्षा समिति, महाराष्ट्र एवं पेरियार मानीअमाई विज्ञान एवं प्रोद्यौगिकी संस्थान तमिलनाडु के मामले में मंत्रालय क्रमशः सितम्बर 2005 तथा अगस्त 2007 में "विश्वविद्यालय के समकक्ष" का दर्जा प्रदान किया, यद्यपि जून 2009 तक चल एवं अचल परिसम्पत्तियाँ के कानूनी दस्तावेजों को विश्वविद्यालयों के नाम को हस्तांतरित नहीं की गई थीं।

निष्कर्ष

दृष्टांत, वि.अ.आ. तथा मंत्रालय में "विश्वविद्यालय के समकक्ष" दर्जे की मांग कर रहे संस्थानों के प्रस्तावों की प्रक्रिया में कमजोर आंतरिक नियन्त्रण को इंगित करते हैं। जबकि वि.अ.आ. ने अपने दिशानिर्देशों का पालना नहीं किया तथा मंत्रालय ने भी निर्धारित प्रावधानों को लागू नहीं किया। पांच मामलों में इसने अ.भा.त.शि.प. तथा विशेषज्ञ समिति की विशिष्ट अनुशंसाओं के प्रति अयोग्य संस्थानों को "विश्वविद्यालय के समकक्ष" दर्जा प्रदान करने की अधिसूचना भी जारी की। मंत्रालय ने भी राज्य सरकारों की अनुशंसाओं के प्रति कार्य किया तथा 10 मामलों में संस्थानो को "विश्वविद्यालय के समकक्ष" का दर्जा प्रदान किया।

---

[15] (i) जैन विश्वविद्यालय, बैंगलौर, (ii) आई.सी.एफ.ए.आई. उच्चतर शिक्षा फाउंडेशन, हैदराबाद, (iii) येनोपाया विश्वविद्यालय, कर्नाटक (iv) श्री देवराज उर्स उच्चतर शिक्षा एवं अनुसंधान अकादमी, कर्नाटक, (v) चेतीनाड विश्वविद्यालय, तमिलनाडु, (vi) महर्षि मार्कण्डेश्वर विश्वविद्यालय, अम्बाला, (vii) आई.आई.एस. विश्वविद्यालय, राजस्थान तथा (viii) हिन्दुस्तान प्रोद्यौगिकी एवं विज्ञान संस्थान, तमिलनाडु

मामला मंत्रालय को अक्तूबर 2009 में प्रेषित किया गया था; उनका उत्तर फरवरी 2010 तक प्रतीक्षित था।

हैदराबाद विश्वविद्यालय

4.13 शिक्षण कर्मचारियों को अग्रिम वेतनवृद्धि अनियमित प्रदान करना

हैदराबाद विश्वविद्यालय ने वि.अ.आ. के दो/चार अग्रिम वेतन-वृद्धि प्रदान करने के अनुदेशों के उल्लंघन में एम.फिल./पी.एच.डी. डिग्री धारक शिक्षण कर्मचारियों को दस अग्रिम वेतन वृद्धियाँ प्रदान की गई। जिसके परिणामस्वरूप 44.38 लाख रू. का अनियमित भुगतान हुआ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (वि.अ.आ.) के अनुदेशों (1997) के अनुसार, केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को शिक्षण कर्मचारियों के प्रत्येक वर्ग को वेतनमान के न्यूनतम पर पांच अग्रिम वेतन-वृद्धियाँ तक प्रदान करने का अधिकार था तथा पांच अग्रिम वेतन-वृद्धियों से अधिक प्रदान करने हेतु वि.अ.आ. की पूर्ण अनुमति लेना अपेक्षित था। चौथे वेतन आयोग के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप वि.अ.आ. ने एम.फिल./पी.एच.डी. डिग्रीधारकों की भर्ती हेतु एक/तीन वेतन-वृद्धियों के अग्रिम वेतन-वृद्धि के अनुदान को संशोधित (1988) किया। तदन्तर, पांचवें वेतन आयोग के कार्यान्वयन पर वेतनमानों आदि के संशोधन पर वि.अ.आ. अधिसूचना 1998 में लेक्चरर के रूप में भर्ती के समय एम.फिल./पी.एच.डी. डिग्रीधारकों को दो/चार अग्रिम वेतन वृद्धियों को स्वीकार किया।

लेखापरीक्षा जांच ने प्रकट किया कि हैदराबाद विश्वविद्यालय (विश्वविद्यालय) ने 1998 में वि.अ.आ. द्वारा जारी अनुदेशों के उल्लंघन में अप्रैल 2000 से दिसम्बर 2008 के दौरान एम.फिल./पी.एच.डी. डिग्रीधारक 34 लेक्चरारों तथा 25 रीडरों को दस अग्रिम वेतन-वृद्धियों तक प्रदान की। इस कारण दिसम्बर 2008 तक परिकलित 44.38 लाख रू. का विश्वविद्यालय द्वारा अधिक भुगतान किया गया।

मंत्रालय ने विश्वविद्यालय का उत्तर अग्रेषित (दिसम्बर 2009) किया जिसने बताया कि योग्यता-संबंधित अग्रिम वेतन-वृद्धि को प्रदान करना स्वाभाविक रूप से आवश्यक था तथा सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के साथ चयन समिति की अनुशंसाओं पर अग्रिम वेतन-वृद्धियों को प्रदान करना पूर्व वैकल्पिक प्रावधान के अतिरिक्त था।

विश्वविद्यालय की धारणा सही नहीं थी क्योंकि वि.अ.आ. ने विश्वविद्यालय को वि.अ.आ. अधिसूचना 1998 के अनुसार अग्रिम वेतन वृद्धियां प्रदान करने के लिए स्पष्टरूप से निर्देश दिया गया था जो स्पष्ट तौर पर क्रमशः एम.फिल. तथा पी.एच.डी. डिग्रीधारकों को दो तथा चार अग्रिम वेतन-वृद्धि को निर्धारित करती है।

अध्याय V : सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय

5. प्रसार भारती

5.1 ब्याज का परिहार्य भुगतान

मैसर्स एशिया पेसिफिक प्रसारण संघ, मलेशिया के कारण प्रसार भारती द्वारा भुगतानों की प्रक्रिया करने में विलम्ब का परिणाम 27.87 लाख रू. के ब्याज के परिहार्य भुगतान में हुआ।

एशिया पेसिफिक प्रसारण संघ (ए.प्र.सं.) ने खेलों हेतु अंतर्राष्ट्रीय ओलम्पिक समिति तथा बीजिंग आयोजन समिति से xxix बीजिंग ओलम्पिक खेल 2008 के एकमात्र प्रसारण अधिकार प्राप्त किए।

भारत क्षेत्र में बीजिंग ओलम्पिक 2008 हेतु प्रसारण अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए प्रसार भारती ने ए.प्र.सं. को 3 मीलियन अमेरिकी डालर अदा करने का प्रस्ताव दिया (सितम्बर 2006)। ए.प्र.सं. ने इस प्रतिबध शर्त के साथ प्रस्ताव स्वीकार किया (अक्तूबर 2006) कि भुगतान को क्रमशः 31 अक्तूबर 2006 तथा 30 जनवरी 2007 तक दो बराबर किश्तों में सभी करों का निवल किया जाएगा। इस संबंध में ए.प्र.सं. तथा दूरदर्शन के बीच एक औपचारिक समझौता 27 अप्रैल 2007 को हस्ताक्षरित किया गया था। तदनुसार, ए.प्र.सं. ने 9 अक्तूबर 2006 को प्रथम किश्त के लिए तथा 30 जनवरी 2007 को द्वितीय किश्त के लिए इनवॉइस प्रस्तुत की। इनवॉइसो के अनुसार लीबर[16] पर ब्याज एवं विलम्बित भुगतान पर तीन प्रतिशत प्रभारित किया जाएगा।

लेखापरीक्षा में यह पाया गया था कि 9 अक्तूबर 2006 तथा 30 जनवरी 2007 को प्रथम एवं द्वितीय किश्तों के लिए इनवॉइसों को प्राप्त करने के पश्चात, दूरदर्शन ने प्रथम एवं द्वितीय किश्तों के भुगतान के लिए निर्धारित तिथि के 7 दिनों तथा 40 दिनों के विलम्ब के पश्चात क्रमशः 7 नवम्बर 2006 तथा 12 मार्च 2007 को संस्वीकृति आदेश जारी किए। केन्द्रीय निर्माण केन्द्र (के.नि.के.) जो भुगतान जारी करने के लिए उत्तरदायी था, ने 21 फरवरी 2007 को प्रथम किश्त के लिए तथा 20 मार्च 2007 को द्वितीय किश्त के लिए निधियों के आबंटन की मांग करने में तीन महीनों से अधिक का अतिरिक्त विलम्ब किया। दूरदर्शन ने 31 अक्तूबर 2006 तथा 30 जनवरी 2007 को

[16] लंदन अंर्ट बैंक प्रस्तावित दर ब्याज दरों, जिस पर बैंक लंदन थोक धन बाजार में अन्य बैंकों से अनारक्षित निधियां उधार लेते हैं, पर आधारित प्रतिदिन संदर्भित दर है।

भुगतान की निर्धारित तिथि के प्रति क्रमशः 12 मार्च 2007 को प्रथम किश्त तथा 12 जुलाई 2007 को द्वितीय किश्त का अंतिम भुगतान किया।

परिणामस्वरूप, प्रसार भारती को ए.प्र.सं. को देय योग्य किश्तों के देरी से भुगतान के लिए 27.75 लाख रू. का ब्याज अदा करना पड़ा था।

इसी प्रकार 2006 में टोरिनो में शीत ओलम्पिक के मामले में, प्रसार भारती को अमेरीकी 5500 डालर के देरी से भुगतान पर 12,000 रू. का ब्याज अदा करना पड़ा था।

इस प्रकार, संस्वीकृति आदेश जारी करने, निधियों के आबंटन की मांग करने तथा ए.प्र.सं. को निधियां जारी करने में विलम्ब के कारण, प्रसार भारती को ब्याज प्रभारों, जिससे बचा जा सकता था अगर इसने समय से भुगतान किया होता, के कारण 27.87 लाख रू. की हानि वहन करनी पड़ी थी।

मामला मंत्रालय को अगस्त 2009 में प्रेषित किया गया था; उनका उत्तर फरवरी 2010 तक प्रतीक्षित था।

अध्याय VI : श्रम रोजगार मंत्रालय

6 कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

6.1 जल प्रभारों की कम वसूली

2003-04 से 2008-09 के दौरान अपने स्टाफ से जल प्रभारों की कम-वसूली के कारण क.भ.नि.सं. को 24.78 लाख रू. की हानि उठाई।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (क.भ.नि.सं.) के मालवीय नगर में 172 स्टाफ मकानों (टाईप I से टाईप IV), कॉलोनी पार्क तथा समुदाय केन्द्र की जल खपत को दिल्ली जल बोर्ड (दि.ज.बो.) द्वारा दो बल्क मीटरों से प्रभारित किया जाता है। इसके अतिरिक्त, क.भ.नि.सं. के पास एक विद्युत मीटर है जिससे जल की आपूर्ति के लिए मोटर-पम्प सेटों को चलाने, अन्य उपकरण जैसे स्ट्रीट लाईटों, समुदाय केन्द्र आदि के विद्युत भार के लिए विद्युत की आपूर्ति की जाती है। स्टाफ मकानों के लिए 90 प्रतिशत के रूप में तथा उधान एवं समुदाय हॉल के लिए 10 प्रतिशत के रूप में जल खपत निर्धारित की गई थी जबकि मोटर-पम्प सेटों के लिए 58 प्रतिशत तथा स्ट्रीट लाईटों एवं समुदाय केन्द्र के लिए 42 प्रतिशत के रूप में विद्युत खपत निर्धारित की गई थी।

भारत सरकार के स्पष्टीकरण (मई 1994) के अनुसार, सरकारी आवास को जल प्रभारों की आपूर्ति पर किए गए वास्तविक व्यय को इन मकानों के आबंटियों से वसूली की जानी चाहिए।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 2003-04 से 2008-09 के दौरान क.भ.नि.सं. ने जल एवं विद्युत प्रभारों के लिए क्रमशः 16.24 लाख रू. तथा 21.62 लाख रू. अदा किए। परन्तु जल को मानकीय खपत प्रतिमान तथा जल की आपूर्ति के लिए उपयोग किये गये, विद्युत के अनुसार, 2003-04 से 2008-09 के दौरान स्टाफ मकानों को प्रदान किए गए जल पर वास्तविक व्यय 25.90[17] लाख रू. परिकलित किया गया। स्टाफ मकानों को जल आपूर्ति पर किए वास्तविक व्यय को वसूली करने के बजाए क.भ.नि.सं. ने अधिभोक्ता से 8 रू. से 12 रू. प्रति माह प्रति स्टाफ मकान के बीच की दरों पर अपने स्टाफ से जल प्रभारों के रूप में केवल 1.12 लाख रू. वसूल किए।

---

[17] 16.24 लाख रू. के जल प्रभारों का 90 प्रतिशत=14.62 लाख रू. (क)
मोटर पम्प सेट हेतु उद्धिष्ट जल आपूर्ति के लिए 21.62 लाख रू. के विद्युत प्रभारों का 58 प्रतिशत= 12.54 लाख रू.
स्टाफ मकानों को आपूर्त जल हेतु 12.54 लाख रू. का 90 प्रतिशत= 11.28 लाख रू. (ख)
योगः (क) + (ख)=25.90 लाख रू.

इसका परिणाम, सरकारी निदेशों के उल्लंघन में अपने स्टाफ को अनुचित लाभ प्रदान करने के अतिरिक्त, जल प्रभारों के कारण 24.78 लाख रू. की कम वसूली में हुआ। यह इस कारण 4.80 लाख रू. प्रतिवर्ष का वार्षिक व्यय करना जारी रखेगा जब तक कि वसूली की दर संशोधित नहीं होती है। क.भ.नि.सं. ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार किया तथा बताया (अगस्त 2009 और फरवरी 2010) कि मामला जल प्रभारों की दरों के संशोधन के लिए उपयुक्त अधिकारी के साथ उठाया गया था।

मामला अक्तूबर 2009 को मंत्रालय को प्रेषित किया गया था; उनका उत्तर फरवरी 2010 तक प्रतीक्षित था।

अध्याय VII : छोटे, लघु एवं मध्यम उपक्रम मंत्रालय

7 खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग

7.1 ब्याज का परिहार्य भुगतान

खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग की निधि आवश्यकताओं के निर्धारण अप्रयुक्त कर्जे की राशि के अनुपयुक्त अवरोधन के परिणामस्वरूप निधि प्रबंधन में त्रुटिपूर्ण आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को दर्शाते हुए 30.03 लाख रू. के ब्याज का परिहार्य भुगतान हुआ।

खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग (खा.ग्रा.उ.आ.) मुम्बई ने अपने कर्मचारियों को केन्द्र सरकार[18] से इस प्रयोजन हेतु प्राप्त ब्याज वाले कर्जों में से भवन निर्माण अग्रिम (भ.नि.अ.) को संस्वीकृत किया।

लेखापरीक्षा ने पाया कि खा.ग्रा.उ.आ. ने अपने कर्मचारियों को भ.नि.अ. के संवितरण हेतु अपेक्षित निधियों की वास्तविक यात्रा का निर्धारण किए बिना सरकार से 1.01 करोड़ रू. का कर्जा प्राप्त किया (2004-05) जिसके प्रति वर्ष के दौरान दी गई वास्तविक राशि केवल 20.94 लाख रू. थी। 2005-06 में इसने उसी प्रयोजन हेतु 1.01 करोड़ रू. का कर्ज के लिए पुनः आग्रह किया जो मार्च 2006 में प्राप्त हो गया था। भ.नि.अ. संवितरण 2005-06, 2006-07[19] तथा 2008-09 के दौरान क्रमशः 7.93 लाख रू., 4.55 लाख रू. तथा 3.83 लाख रू. था। इस प्रकार 2.02 करोड़ रू. के कर्ज की कुल राशि में से 2008-09 के अंत तक 1.65 करोड़ रू. अप्रयुक्त पड़ा रहा। सरकार को अप्रयुक्त कर्जे का अभ्यर्पण करने के बजाए, खा.ग्रा.उ.आ. ने इसे मई 2006 तक चालू खाते में रखा तथा उसके उपरान्त इसने सरकार को देय योग्य 11.08 प्रतिशत के ब्याज के प्रति 1.50 करोड़ रू. को 5.25 से 10.75 प्रतिशत प्रतिवर्ष के ब्याज दर के बीच लघु अवधि जाम में निवेशित किया। खा.ग्रा.उ.आ. ने मई 2006 से मार्च 2009 के दौरान 35.38 लाख रू. का ब्याज अर्जित किया जबकि इसने केन्द्र सरकार को ब्याज के रूप में मार्च 2009 तक 65.41 लाख रू. का भुगतान किया।

इस प्रकार खा.ग्रा.उ.आ. इसकी आवश्यकताओं के निर्धारण करने में विफलता तथा अप्रयुक्त कर्जे की राशि के अनुपयुक्त अवरोधन का परिणाम 30.03 लाख रू. के

[18] छोटे लघु एवं मध्यम उपक्रम मंत्रालय

[19] 2007-08 में कोई भ.नि.अ. का संवितरण नहीं किया गया।

परिहार्य ब्याज भुगतान मे हुआ। इसके अतिरिक्त इसने निधि प्रबंधन के संबंध में त्रुटिपूर्ण आंतरिक नियंत्रण को इंगित किया।

खा.ग्रा.उ.आ. ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार किया तथा उत्तर में बताया (जून 2009) कि भविष्य में भ.नि.अ. के लिए कर्ज तब तक मांगा नहीं जाएगा जब तक कि उसके लिए मांग प्रस्तुत न की जाएगी। मंत्रालय ने बताया (सितम्बर 2009) कि खा.ग्रा.उ.आ. को अधिक सही बजटीय प्रक्रिया तथा नियमित अन्तरालों पर समीक्षा के माध्यम से भविष्य में कर्ज के अनावश्यक अवरोधन से बचने के लिए परामर्श दिया गया था। खा.ग्रा.उ.आ. ने मंत्रालय को सितम्बर 2009 में भ.नि.अ. खाते के अंतर्गत 1.69 करोड़ रू. की अप्रयुक्त समग्र शेष राशि की वापसी को भी सूचित किया।

7.2 ब्याज की हानि

खादी एवं ग्राम उद्योग द्वारा भा.जी.बी.नि. के पास आधिक्य प्रीमियम की वापसी प्राप्त करने में विफलता के परिणामस्वरूप 21.49 लाख रू. के ब्याज की हानि हुई।

खादी ग्राम उद्योग आयोग (खा.ग्रा.उ.आ.) ने भारतीय जीवन बीमा निगम (भा.जी.बी.नि.) के साथ मिलकर खादी शिल्पकारों के हित के लिए वार्षिक प्रीमियम जिसमें खादी संस्थान शिल्पकार नियुक्त थे, खा.ग्रा.उ.आ., शिल्पकारों तथा भारत सरकार की सामाजिक सुरक्षा निधि द्वारा अंशदान किया जाना था, एक बीमा योजना अर्थात खादी कारीगर जन श्री बीमा योजना प्रारम्भ की। अनुकूल दावा अनुभव के कारण पॉलीसी वर्ष 2005-06 से प्रीमियम में 50 रू. प्रति सदस्य तक की कमी की गई। इस बीच में खा.ग्रा.उ.आ. ने 2005-06 के लिए दो करोड़ रू. प्रीमियम के रूप में भा.जी.बी.मि. को अदा किए (अगस्त 2005) जिसका परिणाम 1.74 करोड़ रू. के अधिक भुगतान में हुआ। भा.जी.बी.नि. ने कथित राशि पर पांच प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज का भुगतान किया।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से प्रकट हुआ (जून 2008) कि खा.ग्रा.उ.आ. ने भा.जी.बी.नि. से वापसी हेतु प्रयत्न नहीं किया तथा पांच प्रतिशत पर अगस्त 2005 से मार्च 2009 तक 33.75 लाख रू. की राशि का ब्याज अर्जित किया। यदि खा.ग्रा.उ.आ. ने अधिक भुगतान की गई राशि की वापसी हेतु प्रयत्न किए होते तो इसे 6.5 से 8.75 प्रतिशत के बीच ब्याज दे रहे राष्ट्रीयकृत बैंकों में सावधि जमा में निवेश किया जा सकता था तथा इस अवधि हेतु 55.24 लाख रू. की राशि का ब्याज अर्जित किया जा सकता था। इस प्रकार राशि की वापसी प्राप्त करने में खा.ग्रा.उ.आ. की विफलता का परिणाम 21.49 लाख रू. के ब्याज की हानि में हुआ।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर खा.ग्रा.उ.आ. ने प्रथम दृष्टांत पर भा.जी.बी.नि. से 42 लाख रू. की वापसी हेतु अनुरोध किया (जून 2009)। खा.ग्रा.उ.आ. ने दिसम्बर 2009 तक कोई राशि की वापसी प्राप्त नहीं थी।

मामला मंत्रालय को जनवरी 2010 में सूचित किया गया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित है (फरवरी 2010)।

अध्याय VIII : जहाजरानी मंत्रालय

कलकत्ता गोदी श्रम बोर्ड, कोलकाता

8.1 राजस्व की हानि

स्टीवडर्स द्वारा चढ़ाई उतराई प्रभार के दावे में एफईयू को टी.ई.यू. में बदलने के कारण बोर्ड को 37.95 लाख रू. का नुक़सान हुआ।

कलकत्ता गोदी श्रम बोर्ड, कोलकाता (बोर्ड) कोलकाता और हालडिया गोदी पर नौभार चढ़ाई-उतराई विभिन्न स्टीवडर्स[20] को बोर्ड द्वारा अनुमोदित चढ़ाई-उतराई प्रभार दर के अनुसार श्रमिकों की आपूर्ति करता है। बोर्ड ने कंटेनर की चढ़ाई/उतराई हेतु चढ़ाई-उतराई प्रभार दर (मार्च 2005) निम्नानुसार संशोधित किया:-

प्रति शिफ्ट प्रतिहुक आउटपुट	प्रति टीईयू[21] दर (रू.)
25 टीईयू तक	1650
26 से 35 टीईयू तक	1400
36 से 50 टीईयू तक	1150
51 से 65 टीईयू तक	1000
66 से100 टीईयू तक	900
101 से 125 टीईयू तक	750
126 से 150 टीईयू तक	725
151 टीईयू औद उससे अधिक	700

एफईयू[22] के लिए, बोर्ड द्वारा टीईयू की प्रति दर से 1.5 गुणा अधिक नियत किया। यह दर 31 मार्च 2005 से प्रभावी था।

अभिलेखों की नमूना जांच से पता चला कि विभिन्न स्टीवडर्स द्वारा जनवरी-मार्च 2008 के दौरान कुल 6019 टीईयू और 348 एफईयू कंटेनरों की चढ़ाई-उतराई हुई। बोर्ड ने, स्टीवडर्स के प्रति अपने द्वारा आपूर्त्ति की गई श्रमिकों हेतु दावा करते समय एफईयू की संख्या को टीईयू की संख्या में बदल दिया और तब एफईयू की दर को प्रति टीईयू की दर से 1.5 गुणा अधिक दर लागू करने के स्थान पर टीईयू पर लागू स्लेब के अनुसार दावा किया। इस प्रणाली को लागू करने के परिणामस्वरूप, स्टीवडर्स द्वारा चढ़ाई-उतराई

[20] व्यक्ति जो जहाजों पर माल चढ़ाता व उतारता है
[21] 20 फुट लम्बाई के कन्टेनर बॉक्स
[22] 40 फुट लम्बाई के कन्टेनर बॉक्स

किए गए टीईयू की संख्या में वृद्धि हो गई जिस पर कमतर स्लेब दर आकर्षित हुआ। तीन महीने के दौरान स्टीवडर्स को 37.95 लाख रू. का अनुचित लाभ देने के फलस्वरूप बोर्ड को राजस्व की हानि हुई।

प्रबंधन ने बताया (अगस्त 2008) कि प्रत्येक हुक प्रत्येक शिफ्ट का कुल आउटपुट निर्धारित करने के लिए एफईयू को टीईयू में बदलना अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली है और दर सारणी टीईयू में बनाया गया है। इसलिए, बोर्ड ने उपर्युक्त परिपत्र के अनुसार बिल बनाया।

निम्न कारणों से प्रबंधन का उत्तर मान्य नहीं है:-

- बोर्ड द्वारा बताई गई अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली कुल आउटपुट प्रति हुक प्रति शिफ्ट के लिए निर्धारित था न कि इसके द्वारा आपूर्ति किए गए श्रमिकों हेतु स्टीवडर्स के विरूद्ध दावा करने के लिए।
- साथ ही, यह उक्त परिपत्र के साथ असंगत है जिसमें कहा गया है कि टीईयू हेतु प्रवृत दर से एफईयू का चढ़ाई-उतराई प्रभार 1.5 गुणा अधिक होगा तथा एफईयू को टीईयू में 1.5 गुणा की दर से बदलने हेतु कोई उपबंध नहीं है।

मामला मंत्रालय को जुलाई 2009 में प्रेषित किया गया था; उनका उत्तर फरवरी 2010 तक प्रतीक्षित था।

कलकत्ता पत्तन न्यास

8.2 निष्फल व्यय

ड्रेजर के निराकरण के लिए समय पर कार्रवाई करने में विलम्ब का परिणाम 1.45 करोड़ रू. के निष्फल व्यय में हुआ।

कलकत्ता पत्तन न्यास (क.प.न्या.) ने हुगली नदी के ऊपरी विस्तार में ड्रेजिंग के लिए एक ड्रेजर का प्रापण किया (1961)। यद्यपि ड्रेजर 1981 में अपने उपयोगी समय से अधिक समय तक बना हुआ था। इसे आपातकालिन आवश्यकता, जब दूसरे ड्रेजर की सेवा उपलब्ध नहीं हो सकेगी, को पूरा करने के लिए एक अतिरिक्त जलयान के रूप में रखा हुआ था। अगस्त 1999 तथा फरवरी 2001 के बीच, पत्तन न्यास ने जलयान की मुख्य मरम्मत पर 4.35 करोड़ रू. का व्यय किया तथा यह कल्पना की गई थी कि ड्रेजर मरम्मत के पश्चात दो वर्षों तक कार्य करेगा।

लेखापरीक्षा संवीक्षा ने प्रकट किया कि 2005-06 से 2007-08 की अवधि के दौरान, ड्रेजर का 2006-07 में केवल 113.90 घण्टों के लिए और 2007-08 में 10.83 घण्टों के लिए अनियमित रूप से उपयोग किया गया था। ड्रेजर को 11 सितम्बर 2008 में अनुपयोगी बताया गया था। मई 2005 से जून 2008 के दौरान क.प.न्या. जलयान के ईंधन आदि पर 2.50 करोड़ रू. तथा वार्षिक अनुरक्षण पर 27 लाख रू. का व्यय किया। यह पाया गया था कि इस अवधि के दौरान 2.77 करोड़ रू. के व्यय के प्रति ड्रेजर को किराए पर लेने की लागत में 1.32 करोड़ रू. सम्मिलित थी जिसके परिणामस्वरूप 1.45 करोड़ रू. का निष्फल व्यय हुआ।

उत्तर में, प्रबंधन ने बताया (जुलाई 2009) कि चूंकि ऊंची विस्तार में ड्रेजिंग के लिए कोई दूसरी व्यवस्था नहीं थीं इसलिए मई 2005 में जलयान को अनुपयोगी करना पूर्णतः व्यवहार्य नहीं था क्योंकि किराए पर लिए ड्रेजरों का लगातार परिनियोजन मितव्ययी नहीं हो सकेगा।

उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि ऊंची विस्तार में ड्रेजिंग आवश्यकता नियमित ड्रेजर द्वारा पूरी की जानी थी तथा आकस्मिकताओं के मामले में किराए पर लिए ड्रेजरों, जो कि अधिक मितव्ययी थे, का सफलतापूर्वक उपयोग किया गया था। इसके अतिरिक्त, किराए पर लिए ड्रेजरों का लगातार परिनियोजन आवश्यक नहीं था क्योंकि भारतीय ड्रेजिंग निगम आवश्यकतानुसार घण्टों के आधार पर ड्रेजरों को किराये पर प्रदान कर रहा था।

मामला मंत्रालय को जून 2009 में प्रेषित किया गया था; उनका उत्तर फरवरी 2010 तक प्रतीक्षित था।

8.3 परिहार्य हानि

लाईसेंस शुल्क की वसूली के लिए समय पर कार्रवाई करने में कोलकाता पत्तन न्यास की विफलता के कारण व्यतिक्रम के अधीन दल ने भण्डारण शैड को 17 वर्षों से अधिक के लिए अधिभोग जारी रखा जिसका परिणाम बकाया लाईसेंस शुल्क तथा क्षतियों के कारण को.प.न्या. को 56.09 लाख रू. की परिहार्य हानि में हुआ।

कलकत्ता पत्तन न्यास (क.प.न्या.) ने मैसर्स मार्टिन बर्न लिमिटेड (फर्म क) को भण्डारण शैड के लिए 25 वर्षों का पट्टा अनुमत किया (मई 1964)। पट्टा दूसरी फर्म मैसर्स रेरोले बर्न लिमिटेड (फर्म ख) को सौंपा गया था (1977) तथा पत्तन ने बाद में लाईसेंस शुल्क बिलों को प्रस्तुत करना शुरू किया। अक्तूबर 1987 में, फर्म ख ने लाईसेंस शुल्क के भुगतान में चूक की तथा ऐसा करना जारी रखा। 1989 में पट्टा अवधि की समाप्ति पर,

क.प.न्या. ने पट्टे का नवीकरण नहीं किया था परंतु फर्म ख को मासिक लाईसेंस आधार पर शैड का अधिभोग अनुमत किया।

लेखापरीक्षा ने पाया कि अक्तूबर 1987 से फर्म ख द्वारा लाईसेंस शुल्क के भुगतान में निरंतर चूक के पश्चात भी क.प.न्या. ने, फर्म के दर्ज किए पते पर मासिक लाईसेंस शुल्क बिलों को जारी करने के अलावा, मई 2005 तक अपनी राशि वसूलने हेतु कोई कार्रवाई नहीं की थी। नियत प्रक्रिया के अनुसार, क.प.न्या. को बकाया राशि की वसूली के लिए अंतिम नोटिस जारी करना तथा चूककर्त्ता फर्म के प्रति निष्कासन प्रक्रिया प्रारम्भ करना अपेक्षित था परंतु 17 वर्षों से अधिक के बीत जाने के पश्चात भी फर्म के प्रति ऐसी कोई कार्यवाही नहीं की गई थी।

मई 2005 में पत्तन के भूमि निरीक्षक द्वारा किए गए सामान्य निरीक्षण के दौरान, क.प.न्या. ने पाया कि तीसरी फर्म, मैसर्स सागर इंड्रस्ट्रीज (फर्म ग), के प्रतिनिधि शैड को विखंडित करने में लगे थे। यह भी पाया गया था कि फर्म ख 1994 में ओधौगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (आ.वि.पु.बो.) के पास पंजीकृत हो गई थी। जुलाई 2003 में, कोलकाता उच्च न्यायालय ने फर्म ख को समाप्त करने का आदेश दिया तथा फर्म की परिसम्पत्तियों पर कब्जा करने के लिए एक सरकारी परिसमापक की नियुक्ति की। बाद में (दिसम्बर 2004), फर्म ख की परिसम्पत्तियों तथा सम्पत्तियों की बिक्री प्रक्रियाएं सरकारी परिसमापक द्वारा एक प्रैस अधिसूचना के माध्यम से प्रारम्भ की गई थी। शैड फर्म ग को परिसमापन प्रक्रिया के तहत बेचा गया था। तथापि, पत्तन प्रबंधन पट्टेधारी फर्म से संबंधित इन महत्वपूर्ण विकासों से अज्ञान रहा तथा अधिसूचनों का उत्तर देने में विफल रहा। इसने पत्तन की खराब मॉनीटरिंग क्रियाप्रणाली को दर्शाया।

बाद मे, क.प.न्या. ने बिक्री को रद्द करने का अनुरोध करते हुए कोलकाता उच्च न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र दर्ज किया (मई 2005)। न्यायालय के आदेश के अनुसरण में क.प.न्या. ने जनवरी 2006 में क्षतिग्रस्त शैड का कब्जा लिया।

इसके पश्चात क.प.न्या. ने बकाया किराया, ब्याज तथा विखंडित करने के कारण शैड को क्षतियों की लागत के प्रति दावे दर्ज किए (दिसम्बर 2005/मार्च 2006)। तथापि, सरकारी परिसमापक ने 39.88 लाख रू. की क्षतियों के लिए क.प.न्या. के दावे तथा किराया एवं ब्याज के बकायों हेतु 16.21 लाख रू. के अन्य दावे (कुल 56.09 लाख रू.) को इस आधार पर अस्वीकार कर दिया कि राशियों का संचय लाईसेंसधारी के परिसमापन में जाने (जुलाई 2003) के पश्चात किया गया था।

इस प्रकार, फर्म ख द्वारा लाईसेंस शुल्क के भुगतान में निरंतर चूकों के पश्चात् भी समय पर कार्रवाई प्रारम्भ करने में क.प.न्या. की विफलता का परिणाम बकाया लाईसेंस शुल्क तथा सम्पत्ति के क्षति प्रभारों के कारण क.प.न्या. को 56.09 लाख रू. के परिहार्य व्यय में हुआ।

उत्तर में, क.प.न्या. ने स्वीकार किया (सितम्बर 2009) कि फर्म ने बड़ी चूकें की तथा लाईसेंस शुल्क अदा करने में विफल हुई तथा चूककर्त्ता फर्म से बकाया राशियों की वसूली के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। उन्होंने बाद में बताया कि सरकारी परिसमापक ने परिसमापन एवं बिक्री प्रक्रियाओं के संबंध में पत्तन प्रबंधन को पूरी तरह अंधेरे में रखा। यह भी बताया गया था कि इसकी स्थायी हानि के रूप में व्याख्या नहीं की जा सकती क्योंकि क.प.न्या. किराया देयों तथा क्षतियों के पत्तन के दावे का गैर-कानूनी अस्वीकरण के प्रति उच्च न्यायालय के समक्ष एक अपील प्रस्तुत करेगा।

क.प.न्या. का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि परिसमापक द्वारा फर्म "ख" के परिसमापन के लिए न्यायालय के आदेश तथा परिसम्पत्तियों की बिक्री के लिए अधिसूचना का पर्याप्त प्रचार किया गया था। इसके अतिरिक्त, यदि क.प.न्या. ने बकाया लाईसेंस शुल्क की वसूली के लिए समय से कार्रवाई की होती तो क.प.न्या. को हानि से बचाया जा सकता था।

मामला मंत्रालय को जुलाई 2009 में प्रेषित किया गया था; उनका उत्तर फरवरी 2010 तक प्रतीक्षित था।

8.4 ब्याज की हानि

भा.स्टे.बै. में विशेष जमा योजना से ब्याज की उच्चतर दर आकर्षक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा अनुरक्षित पेंशन निधि में बड़े शेषों के गैर-अंतरण के कारण कोलकाता पत्तन न्यास ने कुल 43.11 लाख रू. के ब्याज की हानि वहन की।

कोलकाता पत्तन न्यास (क.प.न्या.) अपने कर्मचारियों की अंशदान भविष्य निधि (अ.भ.नि.) को शेषों को विशेष जमा योजना (वि.ज.यो.), जो 1975 में भारत में प्रारम्भ की गई थी, में रख रहा था। इस योजना में भारतीय स्टेट बैंक (भा.स्टे.बैं.), जो 1 अप्रैल 2003 से लागू आठ प्रतिशत प्रति वर्ष की ब्याज दर धारण कर रहा था, में खाता खोलने पर विचार किया गया (मई 1988)।

वित्त मंत्रालय वि.ज.यो. निधियों के प्रशासकों को, बीमा योजना के अंतर्गत भुगतान करने का निर्णय ले रही संबंधित स्थापना की भारतीय जीवन बीमा निगम

(भा.जी.बी.नि.) को सम्मिलित करके बीमा विकास एवं नियामक प्राधिकरण द्वारा नियंत्रित बीमा कम्पनियों के साथ हुई घटना में जमा की वापसी का दावा करने को समर्थ किया (मई 2003)।

चूंकि क.प.न्या. 24 मार्च 2003 से अ.भ.नि. में किसी भी सदस्य को लेना समाप्त कर दिया था इसलिए इसने आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत उचित रूप से स्वीकृत कर्मचारियों की अपनी अधिवर्ष निधि (अ.नि.) का प्रबंधन करने के लिए भा.जी.बी.नि. को अपना निधि प्रबंधक नियुक्त किया (मार्च 2004)। भा.जी.बी.नि द्वारा किए बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार, भा.जी.बी.नि द्वारा अनुरक्षित अधिवर्ष निधि को क.प.न्या. की पश्च-सेवा पेंशन देयता के लिए 1 अप्रैल 2003 को प्रारम्भिक अंशदान आवश्यकता 796.36 करोड़ रू. थी जिसके प्रति 2004-07 के दौरान इसने 314.55 करोड़ रू. का अंशदान किया।

इसी बीच न्यासी बोर्ड ने अ.भ.नि. में पड़ी पूर्ण राशि को अ.नि. में अंतरण करने का निर्णय लिया (मार्च 2004)। यद्यपि क.प.न्या. ने 2004-09 की अवधि के दौरान, जब विभिन्न निवेश प्राप्य थे, अ.भ.नि. के कुछ भाग को भा.जी.बी.नि द्वारा अनुरक्षित अ.नि. में अंतरित किया और इसने सा.नि. से निकाला और अंतरित किया; भा.स्टे.बैं. के पास वि.ज.यो. में 9.22 करोड़ रू. का शेष पड़ा है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि भा.जी.बी.नि 2004-05 से 2008-09 की अवधि के दौरान वि.ज.यो. पर भा.स्टे.बैं. द्वारा अनुमत आठ प्रतिशत की ब्याज दर के प्रति द्वारा अनुरक्षित अ.नि. उपरोक्त अवधि के दौरान 8.05 से 9.60 प्रतिशत के बीच की दर पर ब्याज अवधारण कर रहा था। इस प्रकार, अ.नि. को 9.22 करोड़ रू. के वि.ज.यो. शेष के गैर-अंतरण के कारण क.प.न्या. ने उपरोक्त अवधि के दौरान ब्याज की विभेदी दर के कारण कुल 43.11 लाख रू. को ब्याज की हानि वहन की।

मंत्रालय ने बताया (अगस्त 2009) की विचाराधीन अवधि (2004-05 से 2008-09) के दौरान क.प.न्या. ने उपलब्ध निधियों को अ.नि. को अंतरित करने के माध्यम से आयकर अधिनियम एवं नियमावली के अंतर्गत अधिकतम लाभ उठाया तथा कि वि.ज.यो., जो आठ प्रतिशत कर मुक्त ब्याज का लाभ उठा रही थी, को न छेड़ना विवेचित समझा गया था तथा अनुवर्ती वर्षों में इसका उपयोग किया गया।

उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि भा.जी.बी.नि बीमाकिंक मूल्यांकन के अनुसार प्रारम्भिक वर्षों के दौरान अ.नि. को किए अंशदानों में काफी कमी थी। इसके अतिरिक्त, 9.22 करोड़ रू. का शेष अ.भ.नि. की राशि है जो वि.ज.यो. में जमा कराई गई थी जिस पर

आयकर नियमावली के नियम 88 के अंतर्गत वर्ष, जिसमें इसे अ.भ.नि. को अंतरित किया गया था, में कर छूट का लाभ उठाया गया होगा। इस प्रकार यह मात्र ब्याज की उच्चतर दरें प्राप्त करने के लिए एक निधि से दूसरी निधि को शेष के अंतरण का मामला था। वि.ज.यो. से अ.नि. में राशि का अंतरण न करके क.प.न्या. ने 43.11 लाख रू. की ब्याज हानि वहन की।

मुम्बई पत्तन न्यास

8.5 किराया प्रभारों की गैर-वसूली

अंतर्विभागीय विवाद को सुलझाने में पत्तन की विफलता का परिणाम 3.71 करोड़ रू. के किराया प्रभारों की गैर वसूली में हुआ।

भूमि प्रबंधन कार्यों का केन्द्रीकरण करने के लिए मुम्बई पत्तन न्यास (मु.प.न्या.) ने गोदी विभाग (गो.वि.) तथा रेलवे विभाग की 1,43,000 वर्ग मी. के क्षेत्र का आवृतन करने वाले 651 किरायेदारों के सम्पदा प्रबंधन को अपने सम्पदा विभाग (स.वि.) को अन्तरित किया (फरवरी 1990)। अतिरिक्त कार्य के लिए सं.वि. में स्टाफ आवश्यकता से संबंधित मामले पर अलग से कार्य किया जाना था जो फरवरी 2000 तक बिना ध्यान दिए रहा।

स्टाफ की कमी के कारण सं.वि. ने उक्त किराएदारों के प्रशासन पर अभिप्रेत ध्यान नहीं दिया था तथा 182 आकस्मिक अधिभोगियों का गो.वि. को इस आधार पर वापस अन्तरित कर दिया (फरवरी 2000 से मई 2001) कि वह गो.वि. के नियंत्रण के अधीन संचालन क्षेत्र में थे। तथापि, यह पुनर्विभाजन गो.वि. द्वारा स्वीकृत नहीं थे।

लेखापरीक्षा ने पाया (सितम्बर 2007) कि दो विभागों के बीच क्षेत्राधिकार विषयक विवाद के कारण 182 आकस्मिक अधिभोगियों से नवम्बर 1991 से किराया प्रभार वसूल नहीं किए गए थे। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर, मु.प.न्या. ने एक सर्वेक्षण किया (मई तथा जुलाई 2009) तथा यह ध्यान में आया कि 182 आकस्मिक अधिभोगियों में से, 66 किरायेदारों का पता नहीं लगाया जा सकता तथा 24 अधिभोगियों से कोई देय वसूलनीय नहीं था। शेष 92 अधिभोगियों में से, गो.वि. ने नवम्बर 1991 तथा मार्च 2009 की अवधि के लिए 45 अधिभोगियों से कुल 2.93 करोड़ रू. के वसूलनीय देयों का अभिकलन किया। शेष 47 अधिभोगियों से वसूलनीय देयों को तिथि (फरवरी 2010) तक अभिकलित नहीं किया गया था। यह भी पाया गया था कि 66 आकस्मिक अधिभोगियों के लिए किरायेदारों, जिनका सर्वेक्षण के दौरान पता नहीं लगाया जा सका था, से नवम्बर 1991 से मार्च 1999 की अवधि से संबंधित किराया प्रभारों के कारण 78 लाख रू. की राशि वसूलनीय थी।

इस प्रकार, अन्तर्विभागीय विवाद को सुलझाने में मु.प.न्या. की विफलता का परिणाम उपरोक्तानुसार 3.71 करोड़ रू. की गैर-वसूली में हुआ। वसूलनीय राशि बढ़ेगी यदि शेष 47 अधिभोगियों से प्राप्य किराया प्रभारों का अभिकलन किया गया होता तथा खाते में लिया गया होता।

मामला मंत्रालय को सितम्बर 2009 में प्रेषित किया गया था; उनका उत्तर फरवरी 2010 तक प्रतीक्षित था।

8.6 तेल प्रदूषण उपकर का संग्रहण न करने के कारण सरकार को राजस्व की हानि

तेल प्रदूषण उपकर संग्रहण में मुम्बई पत्तन न्यास की विफलता का परिणाम केन्द्र सरकार को सात करोड़ रू. तथा स्वयं को 78 लाख रू. की राजस्व हानि में हुआ।

अधिसूचना दिनांक 22 जुलाई 1988, के अंतर्गत केन्द्र सरकार ने तेल प्रदूषण उपकर लागू किया, जिसे 1 अक्तूबर 1988 से प्रत्येक भारतीय पत्तन न्यास पर (i) बड़ी मात्रा में नौभार के रूप में भारत में जहाज द्वारा आयातित तथा (ii) बड़ी मात्रा में नौभार के रूप में किसी अन्य स्थान से भारत में नौवाहित तेल की 50 पैसा प्रति टन की दर पर उद्ग्रहित एवं संग्रहित किया जाना है। उपकर तेल के निकालने अथवा भरने के प्रारम्भ, जैसा भी मामला हो, से पहले जहाज के नियोक्ता, स्वामी अथवा एजेन्ट द्वारा देय था।

उपरोक्त अधिसूचना के अनुसरण में, मुम्बई पत्तन न्यास (मु.प.न्या.) ने अपने उपभोक्ताओं को 1 जून 1989 से लागू उपकर की वसूली के संबंध में जानकारी देते हुए एक परिपत्र जारी किया (मई 1989)। मु.प.न्या. ने, एक कार्यालय आदेश (मई 1989) के माध्यम से, स्पष्ट किया कि उपकर अग्रिम में देय था तथा किसी भी अग्रिम भुगतान के न होने में, मु.प.न्या. के बिल अनुभाग को इसके लिए उनके द्वारा की गई घोषणा के आधार पर जहाज के नियोक्ता, स्वामी अथवा एजेन्ट के प्रति बिल प्रस्तुत करना था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि अन्य देयों के भुगतान की मांग करते समय, मु.प.न्या. ने न तो उपकर उद्ग्रहित किया न ही कोई पृथक बिल प्रस्तुत किए। 1 अप्रैल 1998 से 31 मार्च 2009 तक ग्यारह वर्ष की अवधि के दौरान, 169.99 मीलियन मैट्रिक टन तेल, जो मु.प.न्या. के द्वारा स्वीकृत था, पर 8.50 करोड़ रू. के तेल प्रदूषण उपकर के प्रति इसने अग्रिम भुगतान के रूप में केवल 72 लाख रू. प्राप्त किए जिसमें से, इसने संग्रहण प्रभारों के रूप में सात लाख रू. रखे तथा 65 लाख रू. के शेष को केन्द्र सरकार राजस्वों में प्रेषित कर दिया था।

इस प्रकार, उपकर संग्रहण में मु.प.न्या. की विफलता का परिणाम केन्द्र सरकार को सात करोड़ रू. तथा स्वयं को संग्रहण प्रभारों के रूप में 78 लाख रू. की हानि में हुआ। इसके अतिरिक्त, सरकारी अधिसूचना के बावजूद ऐसी लम्बी अवधि हेतु उपकर का संग्रहण न होना पत्तन द्वारा राशि के संग्रहण के सम्बंध में त्रुटिपूर्ण आन्तरिक नियंत्रण को दर्शाता था।

मु.प.न्या. ने लेखापरीक्षा द्वारा अभिकलन, जिसे 50 पैसा प्रति टन की दर पर पत्तन में नियंत्रित कुल नौभार को गुणा करके किया गया था, का व्यापारिक नौपरिवहन अधिनियम, 1958 की कुछ धाराओं का हवाला देकर इस आधार पर प्रतिरोध किया (अगस्त 2009) किः

- 150 जी.आर.टी. से कम तेल टेंकरों तथा 400 जी.आर.टी. से कम अन्य जहाजों पर कोई उपकर प्रभार्य नहीं था
- उपकर तीन महीने में एक बार तथा भारत में किसी भी पत्तन में देय था
- यह कल्पना की जा सकती थी कि मु.प.न्या. पर कोई उपकार देय नहीं है यदि जलयान का अंतिम पड़ाव पत्तन एक और भारतीय पत्तन है।
- तेल जहाजों के दौरों द्वारा किए लगभग 60 प्रतिशत पड़ाव तीन महीनों की अवधि में एक बार से अधिक थे तथा लगभग 53 प्रतिशत जलयान ने एक और भारतीय पत्तन के रूप में अपना अन्तिम पड़ाव किया था।
- मु.प.न्या. के पास वी.एल.सी.सी. अथवा पूरी तरह भरे हुए सुएज मैक्स के अभिग्रहण की सुविधा नहीं थी तथा इस प्रकार पत्तन पर तेल नौभार चढ़ाने-उतारने का माध्यम सरल था तथा इसे एल.आर.-1 एवं एल.आर.-2 टैंकरों के माध्यम से किया जाता था।

उपरोक्त के संदर्भ में, प्रबंधन ने यह निर्णय लिया कि तेल प्रदूषण उपकर का भार-न्यूनतम था तथा उपकर, जहां भी देय था, को संग्रहित एवं प्रेषित किया था।

प्रबंधन का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि पत्तन 150 टन सकल से कम के टेंकरों तथा 400 टन सकल से कम के जहाजों द्वारा परिवाहित तेल की मात्रा के विवरण प्रस्तुत नहीं कर सका था। अधिनियम उल्लेखित करता है कि जहाज को छूट हेतु योग्य होने के लिए पत्तन पर अपने वर्तमान पड़ाव को तुरंत आगे बढ़ाने के तीन महीनों के भीतर उसी अथवा अन्य भारतीय पत्तन पर उपकर के भुगतान के प्रमाण अवश्य प्रस्तुत करे। मु.प.न्या. ने इस प्रावधान के महत्व द्वारा छूट के लिए योग्य होने वाले मामलों का विवरण प्रस्तुत नहीं किया था। मु.प.न्या. के तर्क के संबंध में कि उपकर जहां कहीं लागू था संग्रहित किया गया था, का कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया था। यह तर्क,

नवम्बर 2006 में पत्तन उपभोक्ताओं को परिपत्र में मु.प.न्या. की अभिस्वीकृति कि केवल कुछ कम्पनियां ही तेल प्रदूषण उपकर अदा कर रही थी, के साथ असंगत था।

यह उल्लेख करना भी उचित है कि प्रबंधन ने नवम्बर 2008 से अक्तूबर 2009 की अवधि के लिए किया गया वास्तविक संग्रहण एवं देय प्रस्तुत किए (दिसम्बर 2009) जिससे पता चला कि 43.06 लाख रू. 34.597 मीलियन मे.ट. के वास्तविक भार लदान पर वसूलनीय था। इस अनुपात का उपयोग करके, प्रबंधन ने स्वयं स्वीकार किया कि इस अवधि के लिए आनुमानिक राशि 2.12 करोड़ रू. निकाली गई जिसमें से 72 लाख रू. पहले ही वसूल किए जा चुके थे। इसके अतिरिक्त, चूंकि मु.प.न्या. ने तेल प्रदूषण उपकर से संबंधित लेने-देनों का डाटाबेस अनुरक्षित नहीं किया था इसलिए उपकर की सही राशि परिमाणित नहीं की जा सकती थी।

मामला मंत्रालय को जून 2009 में प्रेषित किया गया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित था (फरवरी 2010)।

8.7 विद्युत प्रभारों की कम वसूली

शुष्क गोदी उपभोक्ताओं से संशोधित दरों के अनुसार विद्युत प्रभारों के लिए बिल को प्रस्तुत करने में मुम्बई पत्तन न्यास की विफलता का परिणाम 32.28 लाख रू. की कम वसूली में हुआ।

मुम्बई पत्तन न्यास (मु.प.न्या.) के पास जहाज की मरम्मत करने के लिए दो शुष्क गोदीयां हैं। मु.प.न्या. उपभोक्ताओं को बिजली एवं अन्य सुविधाएं प्रदान करता है और विद्युत प्रभारों को समय-समय पर बोम्बे विद्युत आपूर्ति एवं परिवहन उद्यम (बो.वि.आ.प.उ.) द्वारा प्रभारित दरों पर वास्तविक उपयोग के आधार पर वसूला जाना अपेक्षित है।

लेखापरीक्षा ने पाया (मार्च 2009) कि बो.वि.आ.प.उ. ने 1 अक्तूबर 2006 से लागू 8.50 रू. प्रति इकाई के अपने विद्युत टैरिफ को 1 अप्रैल 2007 से 10 रू. प्रति इकाई तक बढ़ाते हुए संशोधित किया। तथापि, मु.प.न्या. ने अक्तूबर 2006 से फरवरी 2009 की अवधि के दौरान उपभोग विद्युत की 19,87,656 इकाईयों के लिए अपनी दो शुष्क गोदियों के उपभोक्ताओं से पूर्व-संशोधित दरों पर विद्युत प्रभार वसूलना जारी रखा। यह 63.91 लाख रू. (विद्युत प्रभारों पर सरकारी शुल्क, सेवा कर, शिक्षा उपकर तथा मीटर किराया प्रभारों सहित) की कम वसूली का कारण बना।

मार्च 2009 में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर, मु.प.न्या. ने अपनी शुष्क गोदी उपभोक्ताओं से विद्युत प्रभारों की सही बिलिंग तथा वसूली शुरू की। मु.प.न्या. ने बताया (दिसम्बर 2009) कि विभेदक राशि हेतु अनुपूरक बिल जारी कर दिए गए थे तथा अब तक 30.63 लाख रू. वसूल किए गए थे। मु.प.न्या. ने बाद में बताया कि प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए इसने शोधक कार्रवाई कर ली थी।

यद्यपि, मु.प.न्या. ने विभेदक राशि हेतु अनुपूरक बिल जारी किए थे फिर भी 32.28 लाख रू. की राशि अभी भी वसूली जानी थी।

मामला मंत्रालय को जुलाई 2009 में प्रेषित किया गया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित था (फरवरी 2010)।

8.8 विलंबित भुगतानों पर दंडात्मक ब्याज प्रभारित करने में विफलता

मुंबई पत्तन न्यास उपभोक्ता प्रभारों की दरो की अनुसूची के अनुसार 21.43 लाख रुपये के दंडात्मक ब्याज लगाने में विफल रहा।

मुम्बई पत्तन न्यास (मु.प.न्या.) को 31 दिसंबर 2006 से महापत्तन टैरिफ प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित दरों की अनुसूची (द.अ.) के अनुसार पत्तन उपभोक्ताओं को प्रदत्त सेवाओं हेतु प्रभारों का उदग्रहण को लागू करना अपेक्षित था। दरों की अनुसूची में यह दर्शाया गया था कि उपभोक्ता को प्रति वर्ष 13 प्रतिशत की दर से दंडात्मक ब्याज का भुगतान करना होगा और भुगतान में विलंब की गणना बिलों को जारी करने की तिथि के 10 दिनों के पश्चात की जायेगी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि मु.प.न्या. ने जनवरी 2007 से मार्च 2009 तक अपने छः सामुद्रिक पाइपलाइनों[23] के उपभोग हेतु तेल कंपनियों को 2023 बिल जारी किये थे। लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराए गए 2015 बिलों की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि केवल 45 बिलों के मामलें में भुगतान समय से प्राप्त किये गये थे। शेष 1970 बिलों में सात से 196 दिनों के विलंब पाया गया जिसके लिये मु.प.न्या. नें 21.43 लाख रू. की दंडात्मक ब्याज की राशि को प्रभारित नहीं किया।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने के बावजूद भी प्रबंधन द्वारा जनवरी 2007 से मार्च 2009 तक दंडात्मक ब्याज की राशि की वसूली हेतु कोई प्रयास नहीं किया गया था। यह अनुशंसा की जाती है कि प्रबंधन बिलों की प्रक्रिया तथा भुगतान पर अपने आतंरिक

[23] ओ.पी.एल.एस.के.ओ., ओ.पी.एल.बी.ओ., ओ.पी.एल.एच.एस.डी., ओ.पी.एल.एफ.एल.यू.एस.एच.आई.एन.जी 12 एवं 14 और पी.आई.आर. पी.ए.यू.

नियंत्रण को सुदृढ़ करे और 31 मार्च 2009 के पश्चात जारी बिलों के देरी से भुगतान हेतु तेल कंपनियों से दंडात्मक ब्याज की प्राप्ति हेतु मजबूत प्रयास करे।

मामला मंत्रालय को जुलाई 2009 में प्रेषित किया गया था; फरवरी 2010 तक उत्तर प्रतीक्षित था।

पारादीप पत्तन न्यास

8.9 परिहार्य व्यय

पारादीप पत्तन न्यास ने भारतीय तेल निगम लिमिटेड (भा.ते.नि.लि.) द्वारा एकल ब्योए मूरिंग (ए.ब्यो.मू.) को नियुक्त करने में विलम्ब करने के कारण भा.ते.नि.लि. के ए.ब्यो.मू. में उपयोग के लिए किराए पर लिए दो उच्च शक्ति कर्षनावों के किराया प्रभारों के प्रति 19.12 करोड़ रू. का परिहार्य व्यय किया।

पारादीप पत्तन न्यास (पा.प.न्या.), दिसम्बर 2008 से पहले 30/40 टन क्षमता के बोलार्ड पूल (बो.पू.) कर्षनावो के सहित तीन पत्तन 83,000 मीटरी टन डेड वेट टोनेज (डे.वे.टो.) तक के जलयान नियंत्रित करता था।

पा.प.न्या. ने दिसम्बर 2006 में संचालित किए जाने वाले भारतीय तेल निगम लिमिटेड (भा.ते.नि.लि.) के एकल ब्योए मूरिंग (ए.ब्यो.मू.) में 300,000 डे.वे.टो. क्षमता तक के कच्चे तेल के जहाजों का नियंत्रण करने के लिए दो 50 मीटरी टन बो.पू. उच्च शक्ति कर्षनावो को किराए पर लेने का निर्णय लिया (जुलाई 2005)। पा.प.न्या. ने निविदा प्रक्रियाओं का अनुपालन करने के पश्चात् दो 50 मीटरी टन बो.पू. उच्च शक्ति कर्षनावों की आपूर्ति के लिए मैसर्स ओशियन सपार्कल लिमिटेड, हैदराबाद (एजेन्सी) को कार्य आदेश दिया (नवम्बर 2006)। समझौता तीन वर्षों के लिए ईंधन प्रभारों को हटाकर 1,47,780 रू. प्रति दिन प्रति कर्षनावों की दर पर किराया प्रभारों के लिए प्रावधान करता था तथा उपलब्धता 24 घण्टे प्रति दिन थी। एजेन्सी ने कर्षनावों की आपूर्ति की जो कार्य स्थान पर 4 फरवरी 2007 (ओशियन वेलोर) तथा 6 मई 2007 (ओशियन करेज) को पहुंची। परन्तु भा.ते.नि.लि. द्वारा ए.बो.मू. को नियुक्त करने में विलम्ब के कारण दो कर्षनावों के संचालन, उद्देश्य जिसके लिए इन्हें किराये पर लिया गया था, में नहीं डाला जा सका था। कर्षनावों को 28 दिसम्बर 2008 से, जब से ए.बो.मू. सक्रियांत्मक हुआ, भा.ते.नि.लि. के कच्चे तेल के जहाजों को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जा सकता था।

लेखापरीक्षा संवीक्षा (जुलाई 2008 तथा मई 2009) ने प्रकट किया कि पा.प.न्या. ने 27 दिसम्बर 2008 तक किराये पर लिये कर्षनावों की पहुंचने की संबिंधित तिथियों से एजेन्सी को 19.12 करोड़ रू. का किराया प्रभार अदा किया। तथापि किराये पर लिये कर्षनावों को पत्तन प्रचालन में एक दिन प्रति माह प्रति कर्षनाव की रूका काम समय अवधि सहित उपलब्ध 16,566 तथा 14,442 कार्य घण्टों में से क्रमशः 5408 घण्टों (ओशियन वेलोर) तथा 2829 घण्टों (ओशियन करेज) के लिए उपयोग किए गए थे। इस प्रकार, पै.प.न्या. ने ए.ब्यो.मू. प्रचालनों को नियुक्त करेने के साथ कर्षनावों को किराये पर लेने के गैर-समक्रमण के कारण 19.12 करोड़ रू. का परिहार्य व्यय किया।

उत्तर में, पै.प.न्या. ने बताया (सितम्बर 2008) कि किराये पर लिये कर्षनावों को पत्तन के स्वयं के कर्षनावों की क्षमता से हटकर जलयानों को प्रचालनों में करने के लिए उपयोग किया गया था तथा प्रभारित व्यय दो कर्षनावों की नियुक्ति के दौरान पै.प.न्या. द्वारा उठाए गए लाभों की तुलना में कुछ नहीं था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि पत्तन के स्वयं के कर्षनावों, जो उपरोकथित अवधि के दौरान पत्तन में आए थे, के पास 83,000 डे.वे.टो. तक जलयान को खीचने की क्षमता थी तथा किराये पर लिये कर्षनावों को उद्देश्य, जिसके लिए इन्हें किराये पर लिया गया था, के लिए उपयोग नहीं किया गया था।

मामला मंत्रालय को प्रेषित किया गया था (अगस्त 2009); उनका उत्तर फरवरी 2010 तक प्रतीक्षित था।

तूतीकोरिन पत्तन न्यास

8.10 राजस्व की हानि

एक कम्पनी द्वारा संचालित डीनेचरड स्पिरिट तथा एथीलीन-डी -क्लोराइड के लिए पृथक वार्षिक न्यूनतम गारंटीकृत थ्रुपुट का अनुबंध न होने के कारण तूतीकोरिन पत्तन न्यास ने मार्च 2009 तक 36.68 लाख रू. के राजस्व की हानि उठाई।

तूतीकोरिन पत्तन न्यास (तू.प.न्या.) ने एथीलीन-डी-क्लोराइड (ए.डी.क्लो.) आयात करने के लिए भण्डारण टैंक की स्थापना हेतु जून 1984 से मई 2010 तक पत्तन भूमि की दीर्घकालीन पट्टे हेतु एक कम्पनी के साथ अनुबंध किया (अगस्त 1987)। तू.प.न्या. ने 10,000 मीट्रिक टन (मी.ट.) प्रति वर्ष ए.डी.क्लो. की न्यूनतम गारंटीकृत थ्रुपुट (न्यू.गा.थ्रु.) का अनुबंध करने के लिए कम्पनी के साथ एक अनुपूरक समझौता किया। कमी हेतु संबंधित उत्पाद के लिए निर्धारित दरों पर घाट-शुल्क का भुगतान करना पड़ा।

कम्पनी ने, वर्तमान ए.डी.क्लो. के अतिरिक्त, 30,000 मी.ट. प्रति वर्ष न्यू.गा.थ्रु. सहित डीनेचरड स्पिरिट (डी.ने.स्पि.) आयात करने के लिए तू.प.न्या. की अनुमति प्राप्त कर ली (फरवरी 2005)। तथापि, बोर्ड ने ए.डी.क्लो. सहित एक संयुक्त 30,000 मी.ट. प्रति वर्ष न्यू.गा.थ्रु. आयात करने की अनुमति दी।

डी.ने.स्पि. तथा ए.डी.क्लो. के लिए पृथक वार्षिक न्यू.गा.थ्रु. के अभाव में, तू.प.न्या. ने मार्च 2005 से मार्च 2007 की अवधि के लिए एक संयुक्त वार्षिक न्यू.गा.थ्रु. में कमी हेतु घाटशुल्क की डी.ने.स्पि. दर पर एक मांग की (मार्च 2007)। तदन्तर, कम्पनी के अनुरोध पर तू.प.न्या. ने ए.डी.क्लो. को लागू 51 रू. प्रति मी.ट. की दर जोकि बोर्ड द्वारा अनुमोदित थी (फरवरी 2008), पर कमी हेतु घाटशुल्क संग्रहण करने का निर्णय किया (मार्च 2007)।

इस प्रकार, पृथक वार्षिक न्यू.गा.थ्रु. का अनुबन्ध तथा ए.डी.क्लो. के लिए लागू निम्नतर दर पर न्यू.गा.थ्रु. में कमी के प्रभार वसूल करने के लिए बोर्ड का निर्णय न होने के परिणामस्वरूप मार्च 2009 तक 36.68 लाख रू. के राजस्व की हानि हुई। न्यू.गा.थ्रु. में कमी होने की दशा में राजस्व हानि की पट्टा -अवधि अर्थात मई 2014 तक जारी रहने की आशा की जाती है।

तू.प.न्या. ने बताया (अगस्त 2009) कि बोर्ड द्वारा 51 रू. प्रति मी.ट. की दर लागू करने का निर्णय विस्तृत विश्लेषण करने के बाद विधिवत् रूप से अनुमोदित किया गया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कम्पनी ने वर्तमान ए.डी.क्लो. के अतिरिक्त 30,000 मी.ट. क्यू.गा.थ्रु. सहित डी.ने.स्पि. आयात करने की अनुमति प्राप्त की जबकि बोर्ड ने ब्यौरे, जोकि न्यू.गा.थ्रु. में कमी के लिए लागू दरों पर घाट-शुल्क संग्रहित करने के लिए अवश्यक था, का विशेष रूप से उल्लेख किए बिना 30,000 मी.ट. के संयुक्त वार्षिक न्यू.गा.थ्रु. सहित दोनां डी.ने.स्पि. तथा ए.डी.क्लों के लिए अनुमति प्रदान की। अनुबंध में द्विधार्थकता होने के कारण पत्तन को कम दर पर घाट-शुल्क लेने के लिए मजबूर होना पड़ा तथा परिणामस्वरूप राजस्व की हानि हुई।

मामला मंत्रालय को जुलाई 2009 में प्रेषित किया गया था; उनका उत्तर फरवरी 2010 तक प्रतीक्षित था।

प्रबंधन करने के लिए उत्तरदायी था। विकासक को वित्तपोषण जोखिम का आबंटन अपफ्रंट शुल्क की राशि एवं निर्मित अपार्टमेंट के साझेदारी अनुपात का निर्धारण करने के लिए महत्वपूर्ण था। तथापि, विकासक के अंतर सहित 766.89 करोड़ रू. पर 333 अपार्टमेंट को वापस खरीदने का दि.वि.प्रा. के अनुवर्ती निर्णय ने विकासक एवं दि.वि.प्रा. द्वारा विभाजित जोखिमों एवं बाध्यताओं के संतुलन को पर्याप्त रूप से परिवर्तित किया। राष्ट्रीय महत्व की परियोजना को समय में पूरा करने के लिए आवश्यकता एवं महत्व की पृष्ठभूमि में निर्धारित 11,000 रू. प्रति वर्ग फुट की दर, जो कि विषय विशेषज्ञों की यथोचित रूप से गठित समिति द्वारा अनुशंसित दरों से उच्च थी, दि.वि.प्रा. के श्रेष्ठ हित में नहीं थी जैसा कि नीचे विवरण दिया गया है:

9.1.2 समिति की अनुशंसाओं की अनुपालना न करना

मूल्यांकन समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ अपनी रिपोर्ट में अनुशंसा की (अप्रैल 2009) कि दि.वि.प्रा. को अनबिके अपार्टमेंट पर विद्यमान बैंकरों के साथ समरूप प्रभारों का सृजन करके कर्ज के माध्यम से विकासक को वित्तीय सहायता प्रदान करने, जैसा कि विकास द्वारा अनुरोध किया गया था, पर विचार करना चाहिए। परन्तु यह अनुशंसा न तो दि.वि.प्रा. के उपाध्यक्ष को प्रस्तुत टिप्पणी में दर्शाई गई थी न ही उपराज्यपाल की अध्यक्षता के अधीन अप्रैल 2009 में हुई बैठक, जिसमें विकासक से 11,000 रू. प्रति वर्ग फुट की दर पर अपार्टमेंट खरीदने का निर्णय लिया गया था, में प्रस्तुत पृष्ठभूमि टिप्पणी में उल्लेखित किया गया था। इस प्रकार, दि.वि.प्रा. ने विकासक को कर्ज देने के संबंध में मूल्यांकन समिति की अनुशंसा पर विचार किए बिना 333 मकान खरीदे।

अपने उत्तर में, मंत्रालय (नवम्बर 2009) ने, मामले का निदान नहीं किया था क्योंकि कर्ज देने के लिए मूल्यांकन समिति की अनुशंसा को विचार करने एवं निर्णय के लिए उच्च प्राधिकारियों की जानकारी में क्यों नहीं लाया गया था।

9.1.3 उच्चतर दरों पर अपार्टमेंट की खरीद के कारण 89.24 करोड़ रू. का परिहार्य अतिरिक्त व्यय

मूल्यांकन समिति ने, परामर्शदाताओं द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर, प्लिन्थ क्षेत्र के 9,382 रू. से 9,720 रू. प्रति वर्ग फुट के बीच खरीद मूल्य की सिफारिश की (अप्रैल 2009)। इसने यह भी अनुशंसा की कि अंतिम मूल्य के लिए विकासक के साथ दि.वि.प्रा. द्वारा बातचीत की जाए।

अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि दि.वि.प्रा. ने अंततः विकासक द्वारा माँग किए गए 11,000 रू. प्रति वर्ग फुट की दर पर 766.89 करोड़ रू. की कीमत के 333 अपार्टमेंट खरीदे। दि.वि.प्रा. ने, इस आधार पर कि परामर्शदाताओं द्वारा अनुशंसित दरों में विकासक का अंतर, ऊरी एवं परियोजना प्रबंधन प्रभार सम्मिलित नहीं थे, उच्चतर दरें स्वीकृत की।

दि.वि.प्रा. की मूल्यांकन समिति द्वारा अनुशंसित श्रेणी की अपेक्षा उच्चतर दरों पर खरीद के लिए बताए कारण स्वीकार्य नहीं हैं क्योंकि परामर्शदाता क ने के.लो.नि.वि. प्लिन्थ क्षेत्र दर पर आधारित लागत उपागम पद्धति अपनाकर 7,425 रू. प्रति वर्ग फुट, जिसमें परियोजना की बेहतर विशिष्टताओं के लिए 25 प्रतिशत की वृद्धि के अतिरिक्त ठेकेदार का लाभ तथा ऊरी व्यय सम्मिलित था, की दर परिकलित की। इसके अतिरिक्त, उसी परामर्शदाता द्वारा बाजार उपागम अपनाकर प्लिन्थ क्षेत्र परिकलित दर 9720 रू. प्रति वर्ग फुट थी। यह दर यहाँ पर विषय सूक्ष्म बाजार में अपार्टमेंट के औसत विक्रय मूल्य, जो लगभग 7200 रू. प्रति वर्ग फुट था, के आधार पर पहुँची थी। इस दर को निर्देश चिन्ह के रूप में लिया गया था तथा परियोजना की अच्छी विशिष्टताओं की क्षतिपूर्ति करने हेतु 35 प्रतिशत तक बढ़ाया गया। परामर्शदाता ख ने मूल्यांकन समिति को प्रस्तुत रिपोर्ट में 9,382 रू. तथा 9,735 रू. प्रति वर्ग फुट के बीच के खरीद मूल्य की सिफारिश की (9 अप्रैल 2009)। बाद में, उसने मूलधन पर 10 प्रतिशत के अतिरिक्त विकासक के अंतर, ऊरी एवं परियोजना प्रबंधन प्रभारों के रूप में 10 प्रतिशत की सलाह दी (21 अप्रैल 2009) तथा खरीद मूल्यों को 10,245 रू. प्रति वर्ग फुट तक संशोधित किया। इसने बाद में विकासक के अंतर में 10 प्रतिशत से 15 प्रतिशत तक की वृद्धि की (23 अप्रैल 2009) जिसने दर को 11,056 रू. प्रति वर्ग फुट तक बढ़ाया। मूल्य को एक बार में न्यायसंगत दर की तैयारी न करने के कारण दिए बिना परामर्शदाता ख द्वारा बारम्बार बदला गया था।

इस प्रकार, दो परामर्शदाताओं द्वारा परिकलित खरीद मूल्य 7425 रू. से 9735 रू. के बीच था तथा अन्ततः मूल्यांकन समिति ने अपार्टमेंट के लिए 9720 रू. प्रति वर्ग फुट की अनुशंसा की जिसमें विकासक का अंतर, ऊरी एवं परियोजना प्रबंधन प्रभार सम्मिलित थे।

दर, जो कि मूल्यांकन समिति द्वारा प्रस्तावित दरों के साथ काफी असंगति में थी, में वृद्धि के लिए विश्लेषण करने तथा औचित्य प्रदान करने की बजाए, दि.वि.प्रा. विकासक को स्वीकार्य 11,000 रू. की दर पर पहुँचा। इसका, परिणाम 89.24 करोड़ रू. के परिहार्य अतिरिक्त व्यय में हुआ।

मंत्रालय ने बताया (नवम्बर 2009) कि मूल्यांकन समिति ने 9382 रू. तथा 9720 रू. प्रति वर्ग फुट के बीच के खरीद मूल्य की अनुशंसा की थी। इसके पश्चात, उपाध्यक्ष, दि.वि.प्रा. ने मूल्यांकन समिति की रिपोर्ट पर विचार करने तथा विकासक के साथ बातचीत करने के लिए एक बातचीत समिति गठित की। बातचीत समिति ने पाया कि मूल्यांकन समिति ने विकासक को कोई अंतर प्रदान नहीं किया था तथा तकनीकी विशेषज्ञों की रिपोर्ट में पार्किंग की लागत पर विचार नहीं किया गया था। तब, वित्तीय विशेषज्ञ (परामर्शदाताओं में से एक) ने अनुमानित परियोजना लागत, विकासक के अंतर के प्रति भत्ता, 15 प्रतिशत की दर पर ऊपरी एवं परियोजना प्रबंधन प्रभार तथा 10 प्रतिशत की दर पर विकासक द्वारा निवेशित मूलधन की कीमत को शामिल करके 11056 रू. प्रति वर्ग फुट की एक संशोधित कार्य लागत प्रस्तुत की तथा 11000 रू. प्रति वर्ग फुट की विकासक की माँग स्वीकृत की थी।

मंत्रालय का उत्तर इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए स्वीकार्य नहीं है कि लागत उपागम को लागू करके परियोजना की कीमत का निर्धारण करते समय, परामर्शदाता क ने बेहतर विशिष्टताओं के लिए 25 प्रतिशत की वृद्धि को अनुमत करने के पश्चात प्लिन्थ क्षेत्र की 7425 रू. प्रति वर्ग फुट की दर परिकलित की। इसके अतिरिक्त, इसने स्पष्ट रूप से बताया कि सभी परिकलनों के लिए, इसने के.लो.नि.वि. प्लिन्थ क्षेत्र दरों पर विचार किया था, जो मार्च 2009 की लागत निर्देशिका में यथोचित रूप से समायोजित है, जिसमें ठेकेदार का लाभ तथा ऊपरी लागत सम्मिलित थी। इसके अतिरिक्त, मूल्यांकन समिति द्वारा अनुशंसित दर में पार्किंग की लागत सम्मिलित थी।

9.1.4 अधिक फ्लोर क्षेत्र के निर्माण के लिए विकासक से 65.23 करोड़ रू. की अपफ्रंट राशि की गैर-वसूली

मई 2007 में दि.वि.प्रा. द्वारा जारी प्रस्ताव हेतु अनुरोध (प्र.हे.आ.) में सुविधाजन शॉपिंग, दो आंगनवाड़ियों तथा दुग्ध बूथ के अंतर्गत क्षेत्र को छोड़कर 200 के अधिकतम फ्लोर क्षेत्र अनुपात (फ्लो.क्षे.अ.) वाले आवासीय परिसर के विकास हेतु 11 हेक्टेयर की कुल भूमि सम्मिलित थी। चूंकि प्र.हे.आ. के प्रति बोलीकर्ताओं से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था इसलिए दि.वि.प्रा. की उच्च शक्ति समिति ने प्र.हे.आ. की शर्तों का संशोधन किया (जून 2007) तथा प्र.हे.आ. दस्तावेज में एक अनुशेष जोड़ा जो समझौते का भाग भी था। प्र.हे.आ. को अनुशेष के अनुसार, बोलीकर्ताओं को 2,01,280 वर्ग मी., जो 21,66,577 वर्ग फुट है, के क्षेत्र के आधार पर अपफ्रंट राशि के उद्धरण देने थे। समझौते के प्रावधानों ने आगे प्रावधान किया कि यदि अधिक फ्लो.क्षे.अ. (फ्लोर क्षेत्र) प्राप्त किया जाता तो आवासीय सुविधाओं में अपफ्रंट भुगतान तथा दि.वि.प्रा. के अंश

यथानुपात आधार पर बढ़ जाएगा। परियोजना सौंपे जाने के दौरान विकासक ने दि.वि.प्रा. को अपफ्रंट राशि के रूप में 321 करोड़ रू. अदा किए।

अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि विकासक ने वास्तव में 26,06,878 वर्ग फुट फ्लोर क्षेत्र (प्लिन्थ क्षेत्र) का निर्माण किया जैसा कि अप्रैल 2009 में मूल्यांकन समिति द्वारा नियुक्त दोनों परामर्शदाताओं द्वारा परिकलित किया गया था। परिणामस्वरूप, विकासक ने 4,40,301 वर्ग फुट के बराबर अधिक प्लिन्थ क्षेत्र का निर्माण किया जिसके लिए 65.23 करोड़ रू. की अपफ्रंट राशि विकासक से वसूली जानी है जैसा नीचे विवरण दिया है:

1	समझौता (क) के अनुसार अनुमत फ्लोर क्षेत्र	21,66,577 वर्ग फुट
2	वास्तव में निर्मित ख फ्लोर क्षेत्र	26,06,878 वर्ग फुट
3	विकासक द्वारा निर्मित अधिक फ्लोर क्षेत्र (क-ख)	4,40,301 वर्ग फुट
4	विकासक द्वारा अदा की कुल अपफ्रंट राशि	321 करोड़ रू.
5	अधिक फ्लोर क्षेत्र के निर्माण के कारण अपफ्रंट राशि में समानुपातिक वृद्धि =(321 करोड़/21,66,577) X 26,06,878	386.23 करोड़ रू.
6	निर्माण किए अधिक फ्लोर क्षेत्र के लिए विकासक से वसूलनीय अपफ्रंट राशि	65.23 करोड़ रू.

यह भी पाया गया कि आवासीय सुविधा में दि.वि.प्रा. का अंश अपने आप बढ़ गया था क्योंकि संविदा की शर्तों के अनुसार दि.वि.प्रा. पूर्ण परियोजना में से एक तिहाई अंश प्राप्त करेगा, परन्तु अधिक फ्लोर क्षेत्र के निर्माण के कारण 65.23 करोड़ रू. की अतिरिक्त अपफ्रंट राशि का फरवरी 2010 तक दि.वि.प्रा. द्वारा विकासक से दावा नहीं किया गया था।

मंत्रालय ने बताया (नवम्बर 2009) कि पूर्व बोली सम्मेलन के दौरान, दि.वि.प्रा. द्वारा यह बताया गया था कि यदि अधिक फ्लो.क्षे.अ. प्राप्त हुए तो आवासीय सुविधा में दि.वि.प्रा. के अंश का अपफ्रंट भुगतान समानुपात आधार पर बढ़ जाएगा तथा इसलिए दि.वि.प्रा. को कोई हानि नहीं हुई थी। दि.वि.प्रा. ने यह भी बताया (फरवरी 2010) कि अधिक फ्लो.क्षे.अ. के निर्माण पर निर्णय परियोजना के पूरा होने के पश्चात लिया जाएगा।

तथापि, मंत्रालय का उत्तर, ने जब अधिक फ्लो.क्षे.अ. का पता चल गया था, विकासक से इस राशि का दावा न करने के लिए कारणों का निदान नहीं किया था।

9.1.5 विद्युतीकरण की लागत के प्रति विकासक से 20.31 करोड़ रू. की गैर वसूली

समझौते के अनुसार, बी.वाई.पी.एल. (कार्यान्वयन अभिकरण) द्वारा किए गए आवासीय परिसर के बाह्य विद्युतीकरण की लागत को विकासक द्वारा वहन किया जाना था। खेल गाँव में दि.वि.प्रा. तथा विकासक के बीच विद्युत भार विभाजन खेल गाँव में बी.वाई.पी.एल. द्वारा संस्थापित किए जाने वाले समर्पित ग्रिड स्टेशन से 6.3: 20.793 एम.वी.ए. के अनुपात में था।

अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि खेल गाँव में आवासीय अपार्टमेंट के लिए ग्रिड उप-स्टेशन तथा 11 के.वी. फीड उप-स्टेशन तथा एल.टी. संवितरण के संस्थापन की कुल लागत 26.47 करोड़ रू. थी तथा दि.वि.प्रा. ने 11.42 करोड़ रू. तथा 15.04 करोड़ रू. की दो किश्तों में कार्यान्वयन अभिकरण को समग्र लागत क्रमशः अगस्त 2008 तथा अक्तूबर 2008 में अदा की।

इसके पश्चात्, दि.वि.प्रा. ने विकासक से 36.36 लाख रू. के ब्याज के साथ 20.31 करोड़ रू. के उसके अंश की माँग की (नवम्बर 2008)। तथ्य यह रहा कि दि.वि.प्रा. द्वारा नवम्बर 2009 तक राशि वसूल नहीं की गई थी।

लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार करते हुए मंत्रालय ने बताया कि दि.वि.प्रा., दि.वि.प्रा. के पास पड़ी विकासक की निष्पादन प्रत्याभूति का आह्वान करके ब्याज के साथ देय राशि को वसूलेगा। तथापि, दि.वि.प्रा. ने एक वर्ष से अधिक बीत जाने के बावजूद भी राशि की गैर-वसूली के लिए कारण स्पष्ट नहीं किए थे।

9.1.6 4.12 करोड़ रू. के श्रम उपकर का कम भुगतान

श्रम आयुक्त के आदेश (अगस्त 2005) के अनुसार, श्रम उपकर, निर्माण योजना को स्वीकृत करते समय सहयोग समझौते के अनुसार निर्माणकर्ता अथवा स्वामी अथवा दोनों से अनुमानित लागत की एक प्रतिशत की दर पर वसूल किया जाना था।

अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि विकासक ने निर्माण योजना को स्वीकृति के समय केवल 24.75 लाख रू. तथा इसके पश्चात मई 2008 तक 30 लाख रू. जमा किए थे। यह भी पाया गया था कि परियोजना की अनुमानित लागत 1168.20 करोड़ रू. थी जैसा कि मूल्यांकन समिति द्वारा नियुक्त परामर्शदाता द्वारा परिकलित की गई। 1168.20 करोड़ रू. में से, अप्रैल 2009 तक विकासक द्वारा 467.27 करोड़ रू. का व्यय पहले से ही किया जा चुका था। इस प्रकार, इस अवधि तक विकासक द्वारा अदा

किया कुल उपकर 4.67 करोड़ रू. होना चाहिए था। परिणामस्वरूप, अप्रैल 2009 तक 4.12 करोड़ रू. तक के श्रम उपकर का कम भुगतान था।

मंत्रालय ने बताया कि चूंकि इस आवासीय परियोजना में दि.वि.प्रा. निर्माण हेतु विकासक को कोई राशि अदा नहीं कर रहा था इसलिए दि.वि.प्रा. द्वारा श्रम उपकर का कोई अभिलेख अनुरक्षित नहीं किया जा रहा था।

मंत्रालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि आवासीय परियोजना दि.वि.प्रा. के साथ समझौते के अंतर्गत विकसित की जा रही है तथा निर्माणकर्ता दि.वि.प्रा. के साथ साझेदारी आधार पर मकानों का निर्माण कर रहा है। इस प्रकार दोनों पक्ष श्रम उपकर के भुगतान हेतु उत्तरदायी थे। इसके अतिरिक्त, श्रम उपकर का भुगतान एक सांविधिक आवश्यकता है तथा इसलिए दि.वि.प्रा. को यह सुनिश्चित करना अपेक्षित था कि विकासक द्वारा यह अदा किया गया था।

9.2 निधियों का अवरोधन

स्थल के उचित सर्वेक्षण के बिना पेरीफेरल सीवर लाइनों की तैयारी करने और बिछाने के कार्य को सौंपे जाने के परिणामस्वरूप 2.80 करोड़ रूपये की निधियों का अवरोधन हुआ।

शालीमार बाग में बाह्य सीवर लाइन को प्रदान करने और बिछाने का कार्य 1.71 करोड़ रू. की लागत पर समाप्ति की तिथि 12 अगस्त 2005 के साथ ठेकेदार को सौंपा गया (नवम्बर 2004)। कुल सात लाइनों में,पाँच सीवर लाइनों के बिछाने का कार्य 70 प्रतिशत तक पूरा हो चुका था और 1.47 करोड़ रू. का भुगतान ठेकेदार को किया जा चुका था (अगस्त 2006)।

अधिशासी अभियंता ने मुख्य सड़क जो कि उपस्थित सेवा सुविधाओं जैसे जल आपूर्ति लाइनें, सीवर लाइनें, बड़े जल नाले, विद्युत तार और पोल और टेलीफोन लाइनों के परिवर्तन और भारी ट्रैफिक के कारण अतिसंकुचित हो गयी थी, के साथ बची हुयी 700 और 900 मिमी. की व्यास की पाइप लाइन को बिछाने के कार्यान्वयन में कठिनाइओं को इंगित किया (मार्च 2005)। चूंकि उपरोक्त समस्या का सामना करने के लिए समय और व्यय बहुत ज्यादा होता, इसलिए दि.वि.प्रा. ने 71 लाख रू. की लागत के 700 मिमी. व्यास की लाइनों को बिछाने का कार्य को रोक दिया (जनवरी 2007) एवं 1.25 करोड़ रू. की निविदा लागत पर अन्य ठेकेदार को दो वर्षों से अधिक के पश्चात् सौंपा (सितंबर 2007)। कार्य को ट्रेंचलेस तकनीकी का प्रयोग करते हुये मार्च 2008 तक पूरा

होना था। ठेकेदार को जुलाई 2009 तक 1.33 करोड़ रू. का भुगतान किया गया था और कार्य अगस्त 2009 तक पूरा नहीं हुआ था।

लेखापरीक्षा संवीक्षा (अक्तूबर 2008) से पता चला कि अधिशासी अभियंता जिसने मार्च 2005 में उपरोक्त कठिनाइयों को इंगित किया था, ने अगस्त 2004 में स्थल की उपलब्धता की पुष्टि की थी। जुलाई 2004 में बनाये गये विस्तृत अनुमान भी बताते थे कि स्थल उपलब्ध था। यह भी देखा गया कि 900 मिमी व्यास की सीवर लाइन को बिछाने का कार्य जो कि मूल ठेकेदार द्वारा खुली खुदाई द्वारा किया जाना था, शुरू नहीं किया गया था।

मंत्रालय ने अपने उत्तर में कहा (अगस्त 2009) कि अनुमान स्थल के सामान्य सर्वेक्षण के आधार पर तैयार किये गये थे और समय व्यतीत होने के साथ कार्य की वास्तविक खुदाई के समय स्थल की स्थितियां बदल गयी थी। उत्तर में आगे जोड़ा गया कि स्थल की स्थितियां दि.वि.प्रा. के नियंत्रण से बाहर थी और वास्तविक स्थल स्थितियों के अनुसार निर्माण का कार्यक्रम परिवर्तित किया जाना था। 900 मिमी व्यास के पाइप के बिछाने के संदर्भ में मंत्रालय ने कहा कि इसे या तो मूल ठेकेदार द्वारा या उसके जोखिम और लागत पर कार्यान्वित करा लिया जायेगा।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अधिशासी अभियंता द्वारा मार्च 2005 में इंगित की गयी कठिनाईयों पर, जुलाई 2004 में विस्तृत अनुमान जिसमें स्थल की उपलब्धता को स्पष्ट रूप से सुनिश्चित किया गया था, बनाते समय ध्यान दिया जा सकता था। इसके अतिरिक्त, कार्य पूरा होना अनिश्चित था क्योंकि शेष कार्य के लिये खुदाई की तकनीक को अंतिम रूप दिया जाना था। एस.पी.एस. (सीवरेज पम्पिंग स्टेशन) के निर्माण, जिससे अन्ततः सीवर लाइन को जोड़ा जाना था, पर भी निर्णय लिया जाना था।

अतः इससे स्पष्ट होता है कि कार्य के अनुमान स्थल के बिना उचित सर्वेक्षण कराये बनाये गये। इसके अतिरिक्त, दि.वि.प्रा. और संबधित स्थानीय निकाय के बीच निविदा करने से पहले उपरोक्त बाधाओं से स्थल को मुक्त करने के लिये कोई समन्वय नहीं था।

अपर्याप्तताओं के परिणामस्वरूप 2.80 करोड़ रू. की निधियों का अवरोधन हुआ। इसके अतिरिक्त, करीब साढ़े चार वर्षों की समाप्ति के बाद भी कार्य अपूर्ण पड़ा रहा।

9.3 परिहार्य व्यय

उपयुक्त औचित्य के बिना उचित एवं तुलनीय निविदा के अस्वीकृत करने के परिणामस्वरूप 2.11 करोड़ रू. का परिहार्य व्यय हुआ।

दिल्ली विकास प्राधिकरण (दि.वि.प्रा.) ने द्वारका फेस-II सेक्टर-17 में 6.49 करोड़ रू. की अनुमानित लागत पर कमांड टेंक-5 तथा एक पंप-हाऊस के निर्माण हेतु अवसंरचना विकास परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए अनुमोदित ठेकेदारों की चयनित सूची के आधार पर ठेकेदारों से निविदाएं आमंत्रित की (जुलाई 2003)। तीन निवदाएं प्राप्त की गई थी तथा कार्य परामर्शी बोर्ड (डब्ल्यू.ए.बी.) के निर्देशों (सितंबर 2003) के अनुसार बातचीत करने के लिए सब से कम निविदाकार को बुलाया गया था। मुख्य अभियन्ता ने बातचीत करने के पश्चात सिफारिश की (नवंबर 2003) कि 6.23 करोड़ रू. की पेशकश, जो कि अनुमानित लागत से 4.03 प्रतिशत कम थी तथा न्यायसंगत दर से 15.61 प्रतिशत कम थी, उसी प्रकार के पहले सौंपे गए निर्माण कार्यों की दरों के उचित तथा तुलनीय थी। कार्य परामर्शी बोर्ड ने बिना किसी औचित्य के निविदा को अस्वीकार कर दिया (दिसम्बर 2003) तथा ठेकेदारों की अधिकृत श्रेणी से निविदाओं को दोबारा आमंत्रित करने का निर्णय लिया।

निविदाओं को उसी अनुमानित लागत पर डेढ़ वर्ष से अधिक समय के प्रश्चात पुनः आमंत्रित किया गया (सितंबर 2005) तथा कार्य परामर्शी बोर्ड ने 8.34 करोड़ रू. की वार्ता की गई राशि पर उसी ठेकेदार को कार्य सौंपा (फरवरी 2006)।

संवीक्षा ने प्रकट किया (मई 2008) कि अवसंरचना विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु पहली बार निविदा ठेकेदारों की अनुमोदित चयनित सूची से आमंत्रित की गई थी। साथ ही का.प.बो. के निर्देशों की अनुपालना करते हुए सबसे कम निविदाकार से बातचीत की गई थी। तथापि, उचित तथा तुलनीय निविदा जो कि न्यायसंगत थी, को बिना उपयुक्त कारणों से अस्वीकृत कर दिया गया जिसके परिणामस्वरूप 2.11 करोड़ रू. का परिहार्य अतिरिक्त व्यय हुआ।

मंत्रालय ने अपने उत्तर में बताया (अगस्त 2009) कि यद्यपि 6.23 करोड़ रू. की वार्ता दर अनुमानित लागत से 4.03 प्रतिशत कम थी किन्तु इसे उचित रूप से स्वीकार्य सीमा तक घटाया नहीं गया था तथा यह उन दरों से मेल नहीं खा रही थी जिन पर इसी प्रकार के निर्माण कार्य पूर्व में सौंपे गए थे। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय ने आगे बताया कि अनुमोदित चयनित सूची उन ठेकेदारों पर आधारित थी जो कि 10 करोड़ रू. अथवा इससे अधिक के लागत के निर्माण कार्य के लिये योग्य थे जबकि वर्तमान निविदा की

राशि पांच करोड़ रू. से 10 करोड़ रू. के बीच में थी, जिससे कानूनी जटिलताएं उत्पन्न हो सकती थीं।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि मंत्रालय द्वारा बताई गई स्थिति दिसम्बर 2003 में हुई का.प.बो. की बैठक की कार्यसूची/कार्यवृत के अनुरूप नहीं है। कार्य-सूची टिप्पणी में यह निष्कर्ष देने के लिए काफी विस्तार से बताया गया कि दरें उपयुक्त तथा उन दरों के तुलनीय थीं, जिन पर उसी प्रकार के निर्माण कार्य सौंपे गए थे जबकि कार्यवृत्त अस्वीकृत करने के औचित्य के बारे में मौन थे। इसके अतिरिक्त, ठेकेदार की पात्रता के आधार पर निविदा को अस्वीकृत करना भी स्वीकार्य नहीं है क्योंकि इस बात की सितम्बर 2003 की का.प.बो. की प्रथम बैठक में चर्चा की गई थी तथा यह स्पष्टतः बाद में सोचा गया विचार था।

इस प्रकार, निविदा को अस्वीकृत करने के परिणामस्वरूप 2.11 करोड़ रू. का परिहार्य व्यय हुआ।

9.4 परिहार्य व्यय

के.लो.नि.वि. निर्माण कार्य संहिता के प्रावधानों के उल्लंघन में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा प्रथम आमंत्रण में निविदा के अस्वीकार करने के परिणामस्वरूप 1.16 करोड़ रू. का परिहार्य व्यय हुआ।

के.लो.नि.वि. निर्माण कार्य संहिता (2003) के पैरा 18.12.1 में प्रावधान है कि प्रचलित बाजार दरों (न्यायसंगत दरों) पर परिकलित की गयी राशि से निविदा राशि में पाँच प्रतिशत तक के परिवर्तन की उपेक्षा की जा सकती है। अधिक आकस्मिकता के मामलों में, 10 प्रतिशत तक के परिवर्तन अनुमत किये जा सकते थे परन्तु किसी भी मामले में 10 प्रतिशत से अधिक दरों पर परिवर्तन को स्वीकृत नहीं किया जाना चाहिए।

दिल्ली विकास प्राधिकरण (दि.वि.प्रा.) ने निविदाओं को अप्रैल 2006 में निम्न आय वर्ग मकानों के संबंध में आमंत्रित किया। वार्ता के बाद, निम्नतम निविदाकर्ता का प्रस्ताव 9000 रू. प्रति वर्ग मी अर्थात 8,777 रू. प्रति वर्ग मी. की न्यायोचित दर से केवल 2.54 प्रतिशत अधिक था। यह प्रस्ताव निर्माण कार्य परामर्शी बोर्ड (नि.का.प.बो.) द्वारा जनवरी 2007 में मुख्य अभियंता (रोहिणी) जिसने बताया कि दरें न्यायसंगत दर से काफी अधिक थी, की अनुशंसाओं पर अस्वीकृत कर दिया गया था।

दि.वि.प्रा. को दूसरे आमंत्रण के पश्चात 9967.30 रू. प्रति वर्ग मी. की वार्ता दर पर कार्य सौंपा (अक्तूबर 2007)। कार्य की कुल लागत 28 अगस्त 2009 तक पूरा किए

जाने के लिए 16.68 करोड़ रू. थी। कार्य प्रगति में था तथा जुलाई 2009 तक 11.94 करोड़ रू. का व्यय किया गया था।

इस प्रकार, के.लो.नि.वि. संहिता के उल्लंघन में दि.वि.प्रा. द्वारा प्रथम निविदा को अस्वीकार करने के परिणामस्वरूप 1.16 करोड़ रू. का परिहार्य अतिरिक्त व्यय हुआ।

मंत्रालय ने बताया (सितम्बर 2009) कि नि.का.प.बो.) ने उच्च दरों के कारण प्रथम आमंत्रण के दौरान निविदाओं को अस्वीकार किया था।

मंत्रालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि ठेकेदार द्वारा उद्धृत दरें न्यायोचित दरों से केवल 2.54 प्रतिशत अधिक थीं तथा के.लो.नि.वि. निर्माणकार्य मैनुअल के अनुसार स्वीकार्य थी। इसके अतिरिक्त, प्रथम निविदा को अस्वीकार करना न्यायसंगत नहीं था क्योंकि दि.वि.प्रा. को भवन-सामग्री के मूल्यों में औसत वार्षिक वृद्धि की जानकारी थी।

9.5 फ्लाई ऐश के लाने ले जाने में गैर-मितव्ययता के कारण अतिरिक्त व्यय

दिल्ली विकास प्राधिकरण (दि.वि.प्रा.) ने राजघाट पर स्थित पावर प्लांट की बजाए बदरपुर पॉवर प्लांट से फ्लाई ऐश के ले जाने पर 69.29 लाख रू. का अतिरिक्त व्यय किया।

पर्यावरण तथा वन मंत्रालय की अधिसूचना (सितम्बर 1999 तथा अप्रैल 2007) के अनुसार, भवन निर्माण में सम्मिलित किसी भी क्रियाकलाप में कार्यरत प्रत्येक व्यक्ति को मिट्टी, टाप सोयल, रेत इत्यादि की बजाए फ्लाई ऐश/पौंड ऐश से तैयार पूर्णतः/आंशिक भवन निर्माण सामग्री का प्रयोग करना अपेक्षित था। सभी स्थानीय निकायों अथवा विकास प्राधिकरणों द्वारा भी भवन सामग्री, सड़कों, बाँध तथा अन्य किसी उपयोग के लिए ऐश या ऐश-आधारित उत्पादकों का उपयोग किया जाना था। सभी थर्मल प्लांटों पर फ्लाई ऐश बिना किसी लागत के उपलब्ध थी।

दिल्ली विकास प्राधिकरण (दि.वि.प्रा.) ने "सी/ओ सात मीटर चौड़े कैरीएज़ रास्ता अलीपुर-नरेला रोड से पश्चिमी यमुना कैनाल" तक का कार्य एक ठेकेदार को 15.15 करोड़ रू. की निविदा लागत पर सौंपा (जुलाई 2007)। फ्लाई ऐश जो कि बदरपुर पॉवर प्लांट (ब.पा.प्लांट) से लाने ले जाने वाली ऐश का 1,41,160 सी.यू.एम. का अनुमान में प्रावधान किया गया था। कार्य प्रगति पर था तथा दि.वि.प्रा. की संबंधित डिवीजन ने लाने ले जाने पर 1.96 करोड़ रू. का तथा 200 रू. प्रति सी.यू.एम. की दर पर 97,955.03 सी.यू.एम. फ्लाई ऐश के लिए जुलाई 2009 तक ठेकेदार को भुगतान किया गया था।

अभिलेखों की संवीक्षा (अक्तूबर 2008) से प्रकट हुआ कि सात से आठ लाख सी.यू.एम. पौंड ऐश इंद्रप्रस्थ पॉवर जेनरेशन कंपनी लिमिटेड (आई.पी.जी.सी.एल.) तथा प्रगति पॉवर कारपोरेशन (पी.पी.सी.एल) राजघाट में बिना लागत के उपलब्ध था जो कि ब.पा.प्लांट जहां से फ्लाई ऐश लाई जानी थी, की अपेक्षाकृत स्थल के नजदीक थे।

कार्य के स्थल के अधिक निकट पॉवर प्लांटों की बजाए ब.पा.प्लांट से फ्लाई ऐश को लाने ले जाने के कारण दि.वि.प्रा. ने 69.29 लाख रू. का परिहार्य व्यय किया।

मंत्रालय ने बताया (अगस्त 2009) कि बदरपुर से लाने ले जाने के प्रावधानों को राजघाट पर फ्लाई ऐश की गैर-उपलब्धता से संबंधित अधिशासी अभियंता/अधीक्षक अभियंता से प्राप्त रिपोर्टों पर आधारित अनुमान में सम्मिलित किया गया था तथा निविदाएं राजघाट पर फ्लाई ऐश की उपलब्धता के संबंध में जानकारी प्राप्त करने से पूर्व आमंत्रित की गई थीं।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है चूंकि उक्त रिपोर्टें उत्तर के साथ प्रस्तुत नही की गई थीं। दि.वि.प्रा. ने मार्च 2007 में ही राजघाट पर फ्लाई ऐश की उपलब्धता की सूचना प्राप्त की थी जबकि निर्माणकार्य जुलाई 2007 में सौंपा गया था। प्राधिकरण द्वारा राजघाट पर पर्याप्त फ्लाई ऐश की उपलब्धता की सूचना प्राप्त करने के पश्चात भी कोई कार्रवाई नहीं की गई थी।

9.6 निधियों का अवरोधन

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा मुक्त स्थल की उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना कार्य को आरंभ करने के परिणामस्वरूप संविदा को समय से पूर्व ही बन्द करना पड़ा तथा 68.47 लाख रू. की निधियों का अवरोधन हुआ।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग संहिता की धारा 15.1.2 में निर्धारित है कि नोटिस इनवाईटिंग टेंडर (एन.आई.टी.) के अनुमोदन से पहले मुक्त स्थल की उपलब्धता वांछनीय है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण (दि.वि.प्रा.) ने रोहिणी में बाह्य सीवर लाईन प्रदान करने तथा बिछाने का कार्य 2.90 करोड़ रू. की समझौता दर पर सौंपा (सितंबर 2006) तथा कार्यकारी इंजीनियर के भूमि उपलब्धता के प्रमाणपत्र के आधार पर मई 2007 में कार्य समाप्ति को निर्धारित किया जो निर्माण कार्य परामर्शी बोर्ड सहित सभी उच्च प्राधिकारियों द्वारा स्वीकार किया गया था। सीवर लाईन को सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट

(सी.ट्री.प्लां.) की मुख्य लाईन के माध्यम से सीवेज पंपिंग स्टेशन (सी.पं.स्टे.) के साथ जोड़ा जाना था।

ठेकेदार 68.47 लाख रू. की राशि पर केवल 21 प्रतिशत कार्य को निष्पादित कर सका था और शेष कार्य को काम को करने के दौरान अधिक मात्रा में अतिक्रमण और न्यायालय के स्थगन आदेश के कारण निष्पादित नहीं किया जा सका। फलस्वरूप दि.वि.प्रा. ने कार्य को बंद कर दिया (जुलाई 2008) क्योंकि अतिक्रमण और स्थगन आदेश के हटने का इंतजार करने से कोई लाभकारी उद्देश्य पूरा नहीं होगा जैसाकि सी.पं.स्टे. का कार्य जिसके साथ बाह्य सीवर लाइन को जोड़ा जाना था, पूरा नहीं किया गया था। सी.पं.स्टे. की मुख्य लाइन के माध्यम से सी.ट्री.प्लां. को जोड़ना भूमि की गैर-उपलब्धता के कारण भी प्रारम्भ नहीं किया गया था।

इस प्रकार मुक्त स्थल की उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना कार्य को आरंभ करने के परिणामस्वरूप 68.47 लाख रू. की निधियों का अवरोधन हुआ।

दि.वि.प्रा. ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार किया (मार्च 2009) तथा बताया कि भूमि प्रबंधन शाखा ने एन.आई.टी. के अनुमोदन से पहले परामर्श नहीं किया था तथा भूमि की स्थिति से संबंधित गलत विवरण प्रस्तुत करने हेतु उत्तरदायित्व निश्चित करने के संबंध में मामले की जाँच की जा रही थी। दि.वि.प्रा. ने आगे बताया कि बिछाई गई सीवर लाइन का पूरा उपयोग किया जाएगा। उत्तर इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए स्वीकार्य नहीं है कि प्रबंधन कार्य बंद करने के समय जानता था कि बाह्य सीवर लाइन पूरा करने से कोई लाभकारी उद्देश्य की प्राप्ति नहीं होगी क्योंकि सी.पं.स्टे. तथा मुख्य लाइन को निष्पादित किया जाना था। इसके अतिरिक्त, न तो सीवर लाइन के लिए अतिक्रमण और न ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय के स्थगन आदेश को उस तिथि तक रद्द किया गया था। साथ ही सी.पं.स्टे. जहाँ इस परियोजना के कार्य को पूरा किया जाना था, के निर्माण से संबंधित कार्य बन्द कर दिया गया (जुलाई 2008) और यह जनवरी 2010 तक अपूर्ण रहा।

मंत्रालय ने बताया (अगस्त 2009) कि स्थल पर पहले से बिछाई गई सीवर लाईन लाभप्रद रूप से प्रयुक्त की जाएगी और इस प्रकार यह व्यय निधियों के अवरोधन के रूप में परिभाषित नहीं किया जा सकता। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि मुक्त स्थल की उपलब्धता को सुनिश्चित किए बिना कार्य को प्रदान करने के कारण, शेष कार्य से संबंधित अनिश्चितताएं शेष रही। समय ढाँचा भी, जिसके द्वारा एस.पी.एस. के निर्माण से

संबंधित कार्य के साथ-साथ एस.टी.पी. के साथ संयोजकता के कार्य पूरा होगा, अभिनिश्चित नहीं था और उस समय तक राशि अवरोधित रहेगी।

अध्याय : X

10.1 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई - संक्षिप्त स्थिति

लोक सभा सचिवालय ने सभी मंत्रालयों को, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सदन के पटल पर प्रस्तुत किए जाते ही इन प्रतिवेदनों में उल्लिखित विभिन्न पैराग्राफों पर की गई उपचारात्मक/शोधक कार्रवाई को दर्शाते हुए, वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) को टिप्पणियां प्रस्तुत करने हेतु, अप्रैल 1982 में अनुदेश जारी किए।

22 अप्रैल 1997 को संसद में प्रस्तुत अपने नौवें प्रतिवेदन (ग्यारहवीं लोक सभा) में लोक लेखा समिति ने इच्छा व्यक्त की थी कि मार्च 1994 तथा 1995 को समाप्त हुए वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से सम्बन्धित लम्बित कार्रवाई टिप्पणियों (का.टि.) के प्रस्तुतीकरण को तीन महीने की अवधि के भीतर पूर्ण करें और सिफारिश की कि मार्च 1996 को समाप्त हुए और आगे के वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से सम्बन्धित सभी पैराग्राफों पर लेखापरीक्षा द्वारा विधिवत पुनरीक्षित का.टि. संसद में प्रतिवेदनों के प्रस्तुतीकरण के चार महीनों के भीतर उन्हें प्रस्तुत करें।

31 मार्च, 2008 को समाप्त हुई अवधि तक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (स्वायत्त निकायों) में शामिल पैराग्राफों पर का.टि. की प्राप्ति से सम्बन्धित स्थिति (**परिशिष्ट**-IX) की समीक्षा से प्रकट हुआ कि उपरोक्त अनुदेशों के बावजूद, मंत्रालयों ने अधिकांश पैराग्राफों के सम्बन्ध में उपचारात्मक/शोधक का.टि. प्रस्तुत नहीं की थी। 179 पैराग्राफों, जिन पर का.टि भेजनी अपेक्षित थीं, में से 68 पैराग्राफों के संबंध में का.टि. प्राप्त ही नहीं हुई थीं जैसा कि नीचे दिए गए चार्ट में दर्शाया गया है:

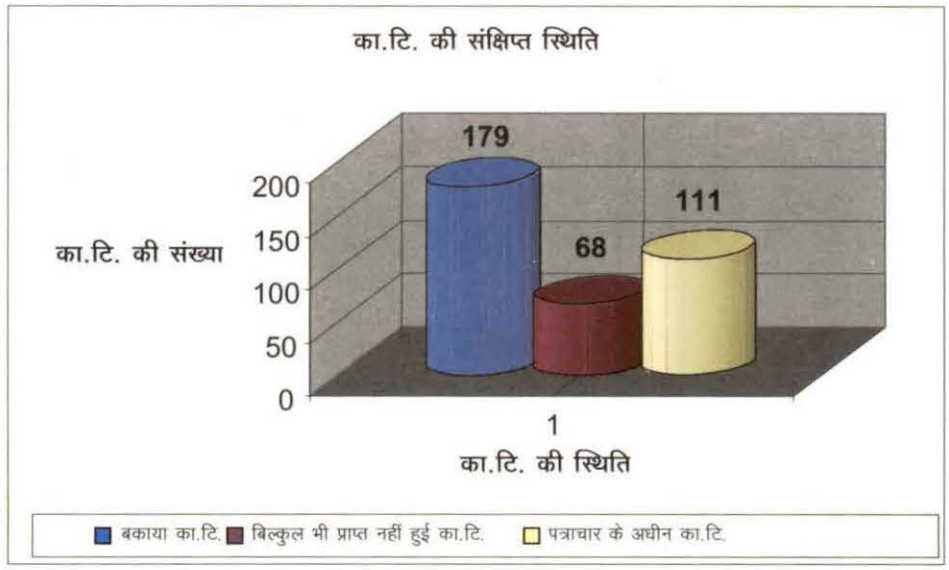

68 पैराग्राफों में से छः पैराग्राफ मार्च 1993 को समाप्त वर्ष तक के प्रतिवेदनों से संबंधित हैं। 111 पैराग्राफों के संबंध में का.टि. जो अभी पत्राचार के अधीन थीं, प्रतीक्षित थीं।

ए.के. पटनायक

(ए.के. पटनायक)
महानिदेशक लेखापरीक्षा

नई दिल्ली
दिनांक 21 अप्रैल APR 2010

प्रतिहस्ताक्षरित

विनोद राय

(विनोद राय)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली
दिनांक 22 अप्रैल APR 2010

परिशिष्ट

परिशिष्ट - I

(पैराग्राफ 1.1.1 के संदर्भ में)

नि.म.ले.प. (क.श.से.) अधिनियम, 1971 की धारा 19(2) तथा 20(1) के अन्तर्गत लेखापरीक्षित केन्द्रीय स्वायत्त निकायों को 2004-2005 से 2008-2009 के दौरान जारी किए गए अनुदान/ऋण

(लाख रुपयों में)

क्र. सं.	मंत्रालय/विभाग/निकाय का नाम	2008-09		2007-08		2006-07		2005-06		2004-05	
		अनुदान	ऋण	अनुदान	ऋण	अनुदान	ऋण	अनुदान	ऋण	अनुदान	ऋण
	कृषि										
1.	केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	24.42	शून्य
2.	नारियल विकास बोर्ड, कोची	6536.76	शून्य	5200.00	शून्य	4000.00	शून्य	3500.00	शून्य	2000.00	शून्य
3.	राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, नई दिल्ला	5756.02	शून्य	5304.28	शून्य	6494.00	शून्य	2952.70	शून्य	2330.00	शून्य
4.	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, गुड़गाँव	17493.56	शून्य	13003.65	शून्य	14760.50	शून्य	10531.00	शून्य	7000.00	शून्य
5.	राष्ट्रीय कृषि विस्तारण प्रबंधन संस्थान, हैदराबाद	शून्य	शून्य	2.54	शून्य	437.44	शून्य	1286.37	शून्य	350.00	शून्य
6.	राष्ट्रीय तिलहन तथा वनस्पति तेल विकास बोर्ड, गुड़गाँव	734.00	शून्य	744.00	शून्य	602.00	शून्य	800.00	शून्य	1600.00	शून्य
7.	तटीय मत्स्यपालन प्राधिकरण, चैन्नई	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.
8.	पादप प्रकार किसान अधिकार रक्षा प्राधिकरण (पा.प्र.कि.अ.र.प्रा.) एन.ए.एस.सी. परिसर, पूसा, नई दिल्ली	1000.00	शून्य	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.
		31520.34	**शून्य**	**24254.47**	**शून्य**	**26293.94**	**शून्य**	**19070.07**	**शून्य**	**13304.42**	**शून्य**
	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा										
9.	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली	287047.00	शून्य	223043.00	9600.00	217459.00	शून्य	183900.00	शून्य	162696.00	शून्य
		287047.00	**शून्य**	**223043.00**	**9600.00**	**217459.00**	**शून्य**	**183900.00**	**शून्य**	**162696.00**	**शून्य**

क्र. सं.	मंत्रालय/विभाग/निकाय का नाम	2008-09		2007-08		2006-07		2005-06		2004-05	
		अनुदान	ऋण	अनुदान	ऋण	अनुदान	ऋण	अनुदान	ऋण	अनुदान	ऋण
	पशु पालन एवं डेरी उद्योग										
10.	भारतीय पशु- चिकित्सा परिषद, नई दिल्ली	170.00	शून्य	170.40	शून्य	135.00	शून्य	100.00	शून्य	65.00	शून्य
		170.00	**शून्य**	**170.40**	**शून्य**	**135.00**	**शून्य**	**100.00**	**शून्य**	**65.00**	**शून्य**
	रसायन एवं उर्वरक										
11.	राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थान, मोहाली	5244.50	शून्य	3706.31	शून्य	2982.32	शून्य	1324.00	शून्य	1046.00	शून्य
		5244.50	**शून्य**	**3706.31**	**शून्य**	**2982.32**	**शून्य**	**1324.00**	**शून्य**	**1046.00**	**शून्य**
	कोयला एवं खान										
12.	कोयला खान भविष्य निधि संगठन, धनबाद	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
		शून्य	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**
	वाणिज्य										
13.	कृषि तथा प्रसंस्करण खाद्य पदार्थ निर्यात विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली	12455.29	शून्य	12422.00	शून्य	8983.63	शून्य	6597.91	शून्य	61.03	शून्य
14.	कॉफी बोर्ड (सामान्य निधि लेखे), बैंगलुरू	10066.07	शून्य	8124.00	शून्य	5563.24	शून्य	12425.68	शून्य	6341.32	शून्य
15.	कॉफी बोर्ड (पूल निधि लेखे), बैंगलुरू	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
16.	निर्यात निरीक्षण अभिकरण, चैन्नई	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
17.	निर्यात निरीक्षण अभिकरण, कोचीन	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
18.	निर्यात निरीक्षण अभिकरण, कोलकाता	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
19.	निर्यात निरीक्षण अभिकरण, मुम्बई	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	उ. न.	उ. न.	शून्य	शून्य
20.	निर्यात निरीक्षण अभिकरण, दिल्ली	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	उ. न.	उ. न.	शून्य	शून्य
21.	निर्यात निरीक्षण परिषद, नई दिल्ली	1583.00	शून्य	500.00	शून्य	120.34	शून्य	450.00	शून्य	शून्य	शून्य
22.	समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, कोची	9726.00	शून्य	8440.71	शून्य	शून्य	शून्य	135.00	शून्य	4533.30	शून्य

क्र. सं.	मंत्रालय/विभाग/निकाय का नाम	2008-09		2007-08		2006-07		2005-06		2004-05	
		अनुदान	ऋण	अनुदान	ऋण	अनुदान	ऋण	अनुदान	ऋण	अनुदान	ऋण
23.	रबड़ बोर्ड, कोट्टायम	13027.00	शून्य	10275.00	शून्य	9329.86	शून्य	9073.70	शून्य	10140.00	शून्य
24.	मसाला बोर्ड, कोची	7453.60	शून्य	6545.00	शून्य	110.00	शून्य	3200.00	शून्य	शून्य	शून्य
25.	तम्बाकू बोर्ड, गुन्टूर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	उ. न.	उ. न.	2642.50	शून्य
26.	चाय बोर्ड, कोलकाता	14686.29	शून्य	14917.00	शून्य	17988.48	शून्य	12013.13	शून्य	10317.00	शून्य
		68997.25	**शून्य**	**61223.71**	**शून्य**	**42095.55**	**शून्य**	**43895.42**	**शून्य**	**34035.15**	**शून्य**
	कोरपोरेट कार्य										
27.	भारतीय प्रतियोगिता आयोग, नई दिल्ली	1000.00	शून्य	500.00	शून्य	300.00	शून्य	150.00	शून्य	उ. न.	उ. न.
		1000.00	**शून्य**	**500.00**	**शून्य**	**300.00**	**शून्य**	**150.00**	**शून्य**	**उ. न.**	**उ. न.**
	उपभोक्ता कार्य										
28.	भारतीय मानक ब्यूरो, नई दिल्ली	162.01	शून्य	150.00	शून्य	13.60	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
		162.01	**शून्य**	**150.00**	**शून्य**	**13.60**	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**
	संस्कृति										
29.	इलाहाबाद संग्रहालय, इलाहाबाद	291.96	शून्य	224.80	शून्य	194.01	शून्य	147.00	शून्य	200.54	शून्य
30.	एसियाटिक सोसाइटी, कोलकाता	1039.90	शून्य	800.87	शून्य	574.60	शून्य	665.00	शून्य	565.00	शून्य
31.	केन्द्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान, लेह	950.76	शून्य	913.60	शून्य	782.81	शून्य	768.82	शून्य	690.00	शून्य
32.	केन्द्रीय उच्चतर तिब्बती अध्ययन संस्थान, सारनाथ, वाराणसी	1029.23	शून्य	752.00	शून्य	680.00	शून्य	576.28	शून्य	580.00	शून्य
33.	सांस्कृतिक संसाधन एवं प्रशिक्षण केन्द्र, नई दिल्ली	180.00	शून्य	1350.74	शून्य	836.50	शून्य	856.00	शून्य	1236.84	शून्य
34.	दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, नई दिल्ली	1387.42	शून्य	745.63	शून्य	767.97	शून्य	730.00	शून्य	उ. न.	उ. न.
35.	पूर्वी क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, कोलकाता	272.62	शून्य	334.77	शून्य	187.84	शून्य	474.05	शून्य	295.63	शून्य
36.	गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति, नई दिल्ली	1487.84	शून्य	958.86	शून्य	717.56	शून्य	652.37	शून्य	588.93	शून्य
37.	भारतीय संग्रहालय, कोलकाता	969.25	शून्य	645.68	शून्य	730.00	शून्य	2207.00	शून्य	1609.50	शून्य
38.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र, नई दिल्ली	2950.00	शून्य	4015.38	शून्य	310.00	शून्य	55.00	शून्य	38.00	शून्य

क्र. सं.	मंत्रालय/विभाग/निकाय का नाम	2008-09		2007-08		2006-07		2005-06		2004-05	
		अनुदान	ऋण	अनुदान	ऋण	अनुदान	ऋण	अनुदान	ऋण	अनुदान	ऋण
39.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, भोपाल	1017.26	शून्य	720.00	शून्य	660.24	शून्य	565.00	शून्य	455.00	शून्य
40.	कलाक्षेत्र प्रतिष्ठान, चैन्नई	559.29	शून्य	496.20	शून्य	432.97	शून्य	320.00	शून्य	340.00	शून्य
41.	खुदा बख्श ओरिएन्टल पब्लिक लाइब्रेरी, पटना	340.28	शून्य	155.34	शून्य	258.95	शून्य	304.66	शून्य	उ. न.	उ. न.
42.	ललित कला अकादमी, नई दिल्ली	2130.00	शून्य	936.43	शून्य	829.78	शून्य	789.00	शून्य	790.03	शून्य
43.	राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद, कोलकाता	4141.05	शून्य	3593.00	शून्य	3140.00	शून्य	3070.00	शून्य	2960.21	शून्य
44.	राष्ट्रीय संग्रहालय संस्थान, नई दिल्ली	1017.60	शून्य	248.69	शून्य	143.00	शून्य	106.00	शून्य	154.75	शून्य
45.	राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, नई दिल्ली	2851.93	शून्य	2109.92	शून्य	1679.92	शून्य	1469.00	शून्य	725.00	शून्य
46.	राष्ट्रीय संस्कृति निधि, नई दिल्ली	319.00	शून्य	300.00	शून्य	200.00	शून्य	200.00	शून्य	उ. न.	उ. न.
47.	नेहरू स्मारक संग्रहालय एवं पुस्तकालय, नई दिल्ली	1712.32	शून्य	2914.93	शून्य	757.40	शून्य	726.00	शून्य	714.00	शून्य
48.	उत्तर केन्द्रीय क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, इलाहाबाद	186.49	शून्य	177.73	शून्य	166.15	शून्य	474.00	शून्य	330.80	शून्य
49.	उत्तर पूर्वी केन्द्रीय क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, दीमापुर	435.91	शून्य	314.54	शून्य	250.49	शून्य	561.75	शून्य	173.35	शून्य
50.	उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, पटियाला	282.00	शून्य	259.54	शून्य	301.47	शून्य	564.50	शून्य	390.57	शून्य
51.	राजा राम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान, कोलकाता	3280.00	शून्य	2629.12	शून्य	2359.17	शून्य	2556.00	शून्य	उ. न.	उ. न.
52.	रामपुर रजा लाइब्रेरी बोर्ड, रामपुर	426.48	शून्य	276.00	शून्य	192.00	शून्य	277.00	शून्य	उ. न.	उ. न.
53.	साहित्य अकादमी, नई दिल्ली	2016.09	शून्य	1475.11	शून्य	1212.30	शून्य	1305.00	शून्य	969.22	शून्य
54.	सालारजंग संग्रहालय, हैदराबाद	1625.17	शून्य	1170.34	शून्य	920.00	शून्य	1055.00	शून्य	880.00	शून्य
55.	संगीत नाटक अकादमी, नई दिल्ली	3128.24	शून्य	2063.71	शून्य	1757.00	शून्य	1675.00	शून्य	1184.71	शून्य
56.	दक्षिण केन्द्रीय क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, नागपुर	162.00	शून्य	162.68	शून्य	133.66	शून्य	465.36	शून्य	276.90	शून्य

क्र. सं.	मंत्रालय/विभाग/निकाय का नाम	2008-09		2007-08		2006-07		2005-06		2004-05	
		अनुदान	ऋण	अनुदान	ऋण	अनुदान	ऋण	अनुदान	ऋण	अनुदान	ऋण
57.	दक्षिण क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, थन्जावुर, तमिलनाडु	209.16	शून्य	269.07	शून्य	184.14	शून्य	395.47	शून्य	284.85	शून्य
58.	विक्टोरिया मेमोरियल हाल, कोलकाता	763.64	शून्य	720.00	शून्य	892.18	शून्य	777.16	शून्य	669.05	शून्य
59.	पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, उदयपुर	322.94	शून्य	155.80	शून्य	132.16	शून्य	454.52	शून्य	294.22	शून्य
		37485.83	**शून्य**	**31890.48**	**शून्य**	**22384.27**	**शून्य**	**25241.94**	**शून्य**	**17397.10**	**शून्य**
	रक्षा										
60.	हिमालय पर्वतारोहण संस्थान, दार्जिलिंग	692.59	शून्य	175.57	शून्य	203.88	शून्य	106.92	शून्य	63.11	शून्य
61.	जवाहर पर्वतारोहण तथा शीतकाल खेलकूद संस्थान, पहलगाँव	110.55	शून्य	40.17	शून्य	33.83	शून्य	25.26	शून्य	21.43	शून्य
62.	नेहरू पर्वतारोहण संस्थान, उत्तरकाशी	438.83	शून्य	67.33	शून्य	47.90	शून्य	179.42	शून्य	67.61	शून्य
		1241.97	**शून्य**	**283.07**	**शून्य**	**285.61**	**शून्य**	**311.60**	**शून्य**	**152.15**	**शून्य**
	पर्यावरण एवं वन										
63.	पशु कल्याण बोर्ड, चैन्नई	2208.00	शून्य	2122.00	शून्य	उ. न.	उ. न.	524.90	शून्य	उ. न.	उ. न.
64.	केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, नई दिल्ली	1750.00	शून्य	1700.00	शून्य	2063.00	शून्य	1723.00	शून्य	1950.00	**शून्य**
65.	राष्ट्रीय जैव-विविधता प्राधिकरण, चैन्नई	310.00	शून्य	146.01	शून्य	142.02	शून्य	137.74	शून्य	उ. न.	उ. न.
66.	भारतीय वन्य जीव संस्थान, देहरादून	1620.00	शून्य	1400.00	शून्य	1300.00	शून्य	986.54	शून्य	760.00	**शून्य**
		5888.00	**शून्य**	**5368.01**	**शून्य**	**3505.02**	**शून्य**	**3372.18**	**शून्य**	**2710.00**	**शून्य**
	विदेश कार्य										
67.	भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, नई दिल्ली	8645.87	शून्य	7700.00	शून्य	6850.00	शून्य	6050.00	शून्य	5750.00	शून्य
68.	भारतीय विश्व कार्य परिषद, नई दिल्ली	368.23	शून्य	340.00	शून्य	240.00	शून्य	225.00	शून्य	165.00	शून्य
		9014.10	**शून्य**	**8040.00**	**शून्य**	**7090.00**	**शून्य**	**6275.00**	**शून्य**	**5915.00**	**शून्य**
	वित्त										
69.	बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण, हैदराबाद	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

क्र. सं.	मंत्रालय/विभाग/निकाय का नाम	2008-09		2007-08		2006-07		2005-06		2004-05	
		अनुदान	ऋण	अनुदान	ऋण	अनुदान	ऋण	अनुदान	ऋण	अनुदान	ऋण
70.	भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, मुम्बई	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
		शून्य	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**
	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण										
71.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली	65342.00	शून्य	47001.00	शून्य	46238.14	शून्य	22423.12	शून्य	28900.00	शून्य
72.	केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद, नई दिल्ली	107.00	शून्य	85.00	शून्य	170.36	शून्य	70.00	शून्य	97.00	शून्य
73.	केन्द्रीय आयुर्वेद तथा सिद्ध अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली	9004.64	शून्य	5692.91	शून्य	3210.51	शून्य	3838.75	शून्य	3531.00	शून्य
74.	केन्द्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली	2990.00	शून्य	1861.04	शून्य	1367.43	शून्य	1410.00	शून्य	1239.00	शून्य
75.	केन्द्रीय यूनानी औषधि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली	5304.62	शून्य	3470.12	शून्य	2826.23	शून्य	2374.84	शून्य	2457.07	शून्य
76.	केन्द्रीय योग तथा प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली	1195.97	शून्य	438.56	शून्य	278.45	शून्य	250.00	शून्य	240.00	शून्य
77.	भारतीय केन्द्रीय औषधि परिषद, नई दिल्ली	112.58	शून्य	68.60	शून्य	63.94	शून्य	87.08	शून्य	96.90	शून्य
78.	चितरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान, कोलकाता	शून्य	शून्य	1595.00	शून्य	595.00	शून्य	15523.00	शून्य	1795.00	शून्य
79.	भारतीय दन्त्य परिषद, नई दिल्ली	19.00	शून्य	19.00	शून्य	19.00	शून्य	18.00	शून्य	18.00	शून्य
80.	भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली	56418.00	शून्य	31165.00	शून्य	32269.00	शून्य	36500.00	शून्य	27745.00	शून्य
81.	भारतीय नर्सिंग परिषद, नई दिल्ली	37.00	शून्य	31.00	शून्य	110.00	शून्य	25.00	शून्य	50.00	शून्य
82.	भारतीय चिकित्सा परिषद, नई दिल्ली त	130.00	शून्य	160.00	शून्य	160.00	शून्य	160.00	शून्य	145.00	शून्य
83.	मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान, नई दिल्ली	580.00	शून्य	356.59	शून्य	406.21	शून्य	252.30	शून्य	357.00	शून्य
84.	राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड, नई दिल्ली	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	677.00	शून्य	20.00	शून्य

क्र. सं.	मंत्रालय/विभाग/निकाय का नाम	2008-09		2007-08		2006-07		2005-06		2004-05	
		अनुदान	ऋण	अनुदान	ऋण	अनुदान	ऋण	अनुदान	ऋण	अनुदान	ऋण
85.	राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर	2162.00	शून्य	1730.00	शून्य	1072.00	शून्य	1195.00	शून्य	1025.98	शून्य
86.	राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, नई दिल्ली	2742.19	शून्य	150.00	शून्य	3138.63	शून्य	1616.95	शून्य	1157.87	शून्य
87.	राष्ट्रीय हौम्योपैथी संस्थान, कोलकाता	2089.00	शून्य	1786.17	शून्य	867.34	शून्य	860.00	शून्य	904.54	शून्य
88.	राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान,बैंगलुरू	9786.00	शून्य	6000.00	शून्य	6327.31	शून्य	4876.50	शून्य	4467.00	शून्य
89.	राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान, पुणे	437.00	शून्य	298.00	शून्य	214.45	शून्य	150.00	शून्य	195.00	शून्य
90.	राष्ट्रीय सिद्ध संस्थान, तमिलनाडु	1074.00	शून्य	600.00	शून्य	200.00	शून्य	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.
91.	राष्ट्रीय यूनानी औषधी संस्थान,बैंगलुरू	876.00	शून्य	538.15	शून्य	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.
92.	उत्तर-पूर्वी इन्दिरा गाँधी स्वास्थ्य एवं आयुर्विज्ञान संस्थान, शिलाँग	5900.00	शून्य	4200.00	शून्य	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.
93.	भारतीय फार्मेसी परिषद, नई दिल्ली	20.00	शून्य	15.00	शून्य	12.00	शून्य	5.00	शून्य	10.00	शून्य
94.	स्नातकोत्तर चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़	30500.00	शून्य	20300.00	शून्य	23086.00	शून्य	8083.78	शून्य	12400.00	शून्य
95.	राष्ट्रीय आरोग्य निधि, नई दिल्ली	शून्य	शून्य	495.00	शून्य	430.00	शून्य	284.00	शून्य	130.00	शून्य
96.	राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ, नई दिल्ली	120.17	शून्य	79.15	शून्य	271.93	शून्य	78.24	शून्य	53.98	शून्य
		196947.17	**शून्य**	**128135.29**	**शून्य**	**123333.93**	**शून्य**	**100758.56**	**शून्य**	**87035.34**	**शून्य**
	भारी उद्योग										
97.	राष्ट्रीय ऑटोमोटिव परीक्षण एवं प्रा. एवं प्रे. अवसंरचना परियोजना समिति (रा.आ.प.प्रा.प्रे.अ.प.), नई दिल्ली	13189.00	शून्य	शून्य	शून्य	13000.00	शून्य	19701.00	शून्य	उ. न.	उ. न.
		13189.00	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**	**13000.00**	**शून्य**	**19701.00**	**शून्य**	**उ. न.**	**उ. न.**
	गृह मंत्रालय										
98.	राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, नई दिल्ली	1931.00	शून्य	1579.02	शून्य	1205.35	शून्य	1112.00	शून्य	1258.00	शून्य

क्र. सं.	मंत्रालय/विभाग/निकाय का नाम	2008-09		2007-08		2006-07		2005-06		2004-05	
		अनुदान	ऋण	अनुदान	ऋण	अनुदान	ऋण	अनुदान	ऋण	अनुदान	ऋण
99.	नगर परिषद, पोर्ट ब्लेयर, अ.नि. द्वीपसमूह	161.00	शून्य	शून्य	शून्य	10.00	शून्य	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.
		2092.00	**शून्य**	**1579.02**	**शून्य**	**1215.35**	**शून्य**	**1112.00**	**शून्य**	**1258.00**	**शून्य**
	मानव संसाधन विकास										
100.	अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली	19627.00	शून्य	9941.14	शून्य	9135.52	शून्य	9148.00	शून्य	6400.00	शून्य
101.	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़	35595.24	शून्य	25259.03	शून्य	उ. न.	उ. न.	20367.58	शून्य	17356.30	शून्य
102.	असम विश्वविद्यालय, सिल्चर	3264.82	शून्य	2721.77	शून्य	उ. न.	उ. न.	1132.32	शून्य	3362.83	शून्य
103.	अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन संस्थान, ग्वालियर	2405.00	शून्य	1120.00	शून्य	1093.00	शून्य	803.00	शून्य	597.50	शून्य
104.	अरोविल्ले प्रतिष्ठान, अरोविल्ले, पान्डिचेरी	697.00	शून्य	476.00	शून्य	280.75	शून्य	201.25	शून्य	210.40	शून्य
105.	बाबा साहिब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ	1583.33	शून्य	1531.32	शून्य	उ. न.	उ. न.	240.48	शून्य	221.67	शून्य
106.	बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय, वाराणसी	39113.96	शून्य	29663.03	शून्य	उ. न.	उ. न.	22947.59	शून्य	18527.61	शून्य
107.	भारत शिक्षा कोश, नई दिल्ली	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	उ. न.	उ. न.	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
108.	प्रशिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड, चैन्नई	179.92	शून्य	247.50	शून्य	3334.75	शून्य	1638.00	शून्य	112.03	शून्य
109.	प्रशिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड, कानपुर	161.75	शून्य	95.00	शून्य	630.00	शून्य	595.19	शून्य	92.00	शून्य
110.	प्रशिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड, मुम्बई	136.75	शून्य	120.00	शून्य	871.24	शून्य	630.00	शून्य	69.00	शून्य
111.	व्यावहारिक प्रशिक्षण बोर्ड, कोलकाता	219.25	शून्य	137.50	शून्य	555.00	शून्य	499.25	शून्य	79.97	शून्य
112.	केन्द्रीय तिब्बती विद्यालय प्रशासन, नई दिल्ली	3071.00	शून्य	2540.00	शून्य	20.10	शून्य	1890.00	शून्य	1640.00	शून्य
113.	सभ्यता अध्ययन केन्द्र, नई दिल्ली	1055.00	शून्य	174.96	शून्य	160.00	शून्य	शून्य	शून्य	169.82	शून्य
114.	केन्द्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कोकराझार	1499.00	शून्य	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.
115.	दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली	24065.69	शून्य	20751.67	शून्य	उ. न.	उ. न.	15060.29	शून्य	14551.65	शून्य

क्र. सं.	मंत्रालय/विभाग/निकाय का नाम	2008-09		2007-08		2006-07		2005-06		2004-05	
		अनुदान	ऋण	अनुदान	ऋण	अनुदान	ऋण	अनुदान	ऋण	अनुदान	ऋण
116.	डा. बी.आर. अम्बेडकर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जालन्धर	5185.98	शून्य	1200.00	शून्य	907.00	शून्य	400.00	शून्य	728.00	शून्य
117.	अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा विश्वविद्यालय, हैदराबाद	4772.46	शून्य	3187.24	शून्य	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.
118.	भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली	1190.73	शून्य	924.98	शून्य	854.94	शून्य	711.36	शून्य	655.76	शून्य
119.	भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली	609.07	शून्य	440.68	शून्य	450.00	शून्य	367.62	शून्य	331.00	शून्य
120.	भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली	5302.00	शून्य	2878.56	शून्य	4450.00	शून्य	4181.02	शून्य	3945.00	शून्य
121.	भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान, शिमला	748.27	शून्य	291.74	शून्य	572.20	शून्य	494.00	शून्य	557.93	शून्य
122.	इन्दिरागाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली	4291.00	शून्य	67.66	शून्य	उ. न.	उ. न.	3024.00	शून्य	6665.48	शून्य
123.	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद	5525.00	शून्य	2800.00	शून्य	1643.00	शून्य	1563.00	शून्य	900.00	शून्य
124.	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी डिजाइन एवं उत्पादन संस्थान, कांचीपुरम	200.00	शून्य	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.
125.	भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, पुणे	4875.00	शून्य	2550.00	शून्य	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.
126.	भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, तिरूवनन्तपुरम	850.00	शून्य	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.
127.	भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, भोपाल	1000.00	शून्य	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.
128.	भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, मोहाली	3275.00	शून्य	1050.00	शून्य	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.
129.	भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, कोलकात्ता	7700.00	शून्य	2400.00	शून्य	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.

क्र. सं.	मंत्रालय/विभाग/निकाय का नाम	2008-09		2007-08		2006-07		2005-06		2004-05	
		अनुदान	ऋण	अनुदान	ऋण	अनुदान	ऋण	अनुदान	ऋण	अनुदान	ऋण
130.	भारतीय प्रबंधन संस्थान, अहमदाबाद	225.25	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
131.	भारतीय प्रबंधन संस्थान,बैंगलुरू	1066.68	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	75.00	शून्य
132.	भारतीय प्रबंधन संस्थान, इंदौर	1495.83	शून्य	1719.00	शून्य	2497.47	शून्य	1808.00	शून्य	1045.83	शून्य
133.	भारतीय प्रबंधन संस्थान, कोलकाता	2506.00	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	400.00	शून्य
134.	भारतीय प्रबंधन संस्थान, कोजीकोड	3188.33	शून्य	3234.75	शून्य	2304.96	शून्य	1619.00	शून्य	1150.00	शून्य
135.	भारतीय प्रबंधन संस्थान, लखनऊ	1981.84	शून्य	शून्य	शून्य	2147.57	शून्य	1514.00	शून्य	1115.00	शून्य
136.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, चैन्नई	24435.75	शून्य	11922.00	शून्य	121.25	शून्य	12265.00	शून्य	10325.00	शून्य
137.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली	21273.00	शून्य	12933.57	शून्य	92.95	शून्य	8800.00	शून्य	12630.00	शून्य
138.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गुवाहटी	8276.75	शून्य	6874.00	शून्य	76.27	शून्य	7254.00	शून्य	3748.00	शून्य
139.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर	24736.75	शून्य	12680.00	शून्य	106.60	शून्य	10250.00	शून्य	10688.50	शून्य
140.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर	35550.50	शून्य	15400.00	शून्य	127.50	शून्य	11450.00	शून्य	10812.96	शून्य
141.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मुम्बई	27173.00	शून्य	14352.93	शून्य	118.85	शून्य	11930.00	शून्य	10511.00	शून्य
142.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रूड़की	30497.75	शून्य	10699.50	शून्य	87.00	शून्य	9010.00	शून्य	7623.56	शून्य
143.	भारतीय खान विद्यालय, धनबाद	10620.00	शून्य	4927.17	शून्य	3365.00	शून्य	2211.00	शून्य	1799.00	शून्य
144.	जामिया मिलिया इस्लामियां विश्वविद्यालय, दिल्ली	12696.39	शून्य	15292.01	शून्य	उ. न.	उ. न.	6868.51	शून्य	7158.53	शून्य
145.	जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली	14556.83	शून्य	13958.67	शून्य	उ. न.	उ. न.	10102.36	शून्य	8942.30	शून्य
146.	केन्द्रीय विद्यालय संगठन, नई दिल्ला	145100.00	शून्य	96400.00	शून्य	894.36	शून्य	82294.00	शून्य	69349.00	शून्य
147.	केन्द्रीय हिन्दी शिक्षण मण्डल, आगरा	1584.00	शून्य	1420.00	शून्य	शून्य	शून्य	955.85	शून्य	958.00	शून्य
148.	लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली	1308.00	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	554.05	शून्य
149.	लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली	1591.00	शून्य	1122.03	शून्य	शून्य	शून्य	1016.95	शून्य	315.42	शून्य
150.	मणिपुर विश्वविद्यालय, कांचीपुर	4612.29	शून्य	5874.21	शून्य	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.

क्र. सं.	मंत्रालय/विभाग/निकाय का नाम	2008-09		2007-08		2006-07		2005-06		2004-05	
		अनुदान	ऋण	अनुदान	ऋण	अनुदान	ऋण	अनुदान	ऋण	अनुदान	ऋण
151.	मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय, हैदराबाद	3520.94	शून्य	3646.85	शून्य	उ. न.	उ. न.	1334.73	शून्य	1300.00	शून्य
152.	मिजोरम विश्वविद्यालय, ऐजल	7096.85	शून्य	6637.54	शून्य	उ. न.	उ. न.	2524.74	शून्य	2851.03	शून्य
153.	महर्षि संदीपनी राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन	1100.00	शून्य	520.00	शून्य	170.00	शून्य	25.00	शून्य	उ. न.	उ. न.
154.	मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जयपुर	3883.50	शून्य	1950.00	शून्य	1310.00	शून्य	1250.00	शून्य	1266.50	शून्य
155.	मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भोपाल	5131.49	शून्य	1700.00	शून्य	1700.00	शून्य	1140.00	शून्य	1322.00	शून्य
156.	मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद	5922.87	शून्य	2600.00	शून्य	1837.50	शून्य	1580.00	शून्य	1215.00	शून्य
157.	नागालैण्ड विश्वविद्यालय, कोहिमा	2784.79	शून्य	3162.25	शून्य	उ. न.	उ. न.	2044.32	शून्य	2441.43	शून्य
158.	राष्ट्रीय बाल भवन सोसाइटी, नई दिल्ली	1486.99	शून्य	1394.68	शून्य	8.01	शून्य	शून्य	शून्य	675.97	शून्य
159.	राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, नई दिल्ली	2004.00	शून्य	1681.05	शून्य	2463.04	शून्य	1702.22	शून्य	880.00	शून्य
160.	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग शिक्षण संस्थान, नई दिल्ली	192.00	शून्य	195.09	शून्य	शून्य	शून्य	165.41	शून्य	उ. न.	उ. न.
161.	राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान, नई दिल्ली	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	उ. न.	उ. न.
162.	राष्ट्रीय सिंधी भाषा प्रोत्साहन परिषद, दिल्ली	60.00	शून्य	170.00	शून्य	100.00	शून्य	60.00	शून्य	76.00	शून्य
163.	राष्ट्रीय उर्दू भाषा प्रोत्साहन परिषद, नई दिल्ली	1735.00	शून्य	1740.00	शून्य	1660.00	शून्य	1153.01	शून्य	1100.00	शून्य
164.	राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषद, नई दिल्ली	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
165.	राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली	9934.00	शून्य	9095.00	शून्य	92.08	शून्य	7513.00	शून्य	5375.55	शून्य
166.	राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान परिषद, हैदराबाद	331.00	शून्य	180.00	शून्य	90.00	शून्य	24.00	शून्य	शून्य	शून्य

क्र. सं.	मंत्रालय/विभाग/निकाय का नाम	2008-09		2007-08		2006-07		2005-06		2004-05	
		अनुदान	ऋण	अनुदान	ऋण	अनुदान	ऋण	अनुदान	ऋण	अनुदान	ऋण
167.	राष्ट्रीय शैक्षणिक योजना एवं प्रशासनिक विश्वविद्यालय, नई दिल्ली	1319.00	शून्य	1040.00	शून्य	752.21	शून्य	515.65	शून्य	535.33	शून्य
168.	राष्ट्रीय ढ़लाई एवं गढ़ाई प्रौद्योगिकी संस्थान, रांची	1957.25	शून्य	1210.00	शून्य	871.00	शून्य	831.00	शून्य	671.00	शून्य
169.	राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान विश्वविद्यालय, भोपाल	1068.44	शून्य	935.00	शून्य	720.00	शून्य	720.00	शून्य	655.00	शून्य
170.	राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, चण्डीगढ़	2045.25	शून्य	840.06	शून्य	1015.06	शून्य	718.06	शून्य	760.00	शून्य
171.	राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, चैन्नई	917.62	शून्य	767.93	शून्य	692.93	शून्य	779.93	शून्य	672.50	शून्य
172.	राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, कोलकाता	1120.94	शून्य	534.25	शून्य	710.90	शून्य	624.25	शून्य	522.50	शून्य
173.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, अगरतला	4658.00	शून्य	1500.00	शून्य	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.
174.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दुर्गापुर	7399.40	शून्य	1800.00	शून्य	1787.50	शून्य	1760.00	शून्य	1550.00	शून्य
175.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, हमीरपुर	3296.81	शून्य	3110.00	शून्य	1325.00	शून्य	925.00	शून्य	889.00	शून्य
176.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जमशेदपुर	2518.94	शून्य	1450.00	शून्य	975.00	शून्य	1400.00	शून्य	1962.00	शून्य
177.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कोजीकोड	10846.00	शून्य	3650.00	शून्य	2600.00	शून्य	2500.00	शून्य	2098.50	शून्य
178.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कुरूक्षेत्र	1670.17	शून्य	3515.00	शून्य	2187.50	शून्य	1400.00	शून्य	1122.50	शून्य
179.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना	2070.25	शून्य	1050.00	शून्य	1100.00	शून्य	1200.00	शून्य	1100.00	शून्य
180.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रायपुर	1879.75	शून्य	1125.00	शून्य	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.
181.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, राउरकेला	7800.75	शून्य	3440.00	शून्य	3100.00	शून्य	2125.00	शून्य	2382.50	शून्य
182.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सिल्चर	3221.00	शून्य	2210.00	शून्य	2263.00	शून्य	1237.95	शून्य	1265.00	शून्य
183.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, श्रीनगर	3047.87	शून्य	1950.00	शून्य	1350.00	शून्य	1225.00	शून्य	1459.00	शून्य
184.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सूरथकल	9186.51	शून्य	3800.00	शून्य	2320.00	शून्य	1972.73	शून्य	2300.00	शून्य
185.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, तिरूचिरापल्ली	9048.88	शून्य	4000.00	शून्य	3050.00	शून्य	1672.00	शून्य	1925.00	शून्य

क्र. सं.	मंत्रालय/विभाग/निकाय का नाम	2008-09		2007-08		2006-07		2005-06		2004-05	
		अनुदान	ऋण	अनुदान	ऋण	अनुदान	ऋण	अनुदान	ऋण	अनुदान	ऋण
186.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, वारंगल	14764.33	शून्य	3200.00	शून्य	2450.00	शून्य	2433.77	शून्य	2010.00	शून्य
187.	राष्ट्रीय औद्योगिक अभियांत्रिकी संस्थान, मुम्बई	4418.64	शून्य	3476.52	शून्य	2228.64	शून्य	1065.41	शून्य	666.66	शून्य
188.	राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान, नई दिल्ली	1500.00	शून्य	600.00	शून्य	4.15	शून्य	360.00	शून्य	540.00	शून्य
189.	नवोदय विद्यालय समिति, नई दिल्ली	154987.00	शून्य	110480.00	शून्य	818.65	शून्य	72185.00	शून्य	58866.00	शून्य
190.	उत्तर-पूर्वी क्षेत्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, ईटानगर	2650.00	शून्य	1950.00	शून्य	2009.19	शून्य	1425.00	शून्य	1350.00	शून्य
191.	उत्तर-पूर्वी पहाड़ी विश्वविद्यालय, शिलाँग	11134.91	शून्य	8903.12	शून्य	उ. न.	उ. न.	4036.72	शून्य	7217.36	शून्य
192.	पंडित द्वारका प्रसाद मिश्रा भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, डिजाइन एवं उत्पादन संस्थान, जबलपुर	2392.00	शून्य	1100.00	शून्य	800.00	शून्य	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.
193.	पाण्डिचेरी विश्वविद्यालय, पाण्डिचेरी	6093.04	शून्य	4241.12	शून्य	उ. न.	उ. न.	2363.48	शून्य	1682.70	शून्य
194.	राजीव गांधी विश्वविद्यालय, अरूणाचल प्रदेश	1259.48	शून्य	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.
195.	राजीव गांधी भारतीय प्रबंधन संस्थान, शिलांग	1000.00	शून्य	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.
196.	राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली	6224.00	शून्य	5219.67	शून्य	4414.00	शून्य	3207.00	शून्य	3130.00	शून्य
197.	राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरूपति	1100.00	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	25.00	शून्य	539.45	शून्य
198.	संत लोंगोवाल अभियान्त्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, लोंगोवाल	2765.83	शून्य	875.00	शून्य	1300.00	शून्य	1100.00	शून्य	1100.00	शून्य
199.	एस.पी.ए., भोपाल	400.00	शून्य	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.
200.	सरदार वल्लभ भाई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सूरत	10355.26	शून्य	3100.00	शून्य	2320.00	शून्य	1650.00	शून्य	1512.50	शून्य
201.	योजना एवं वास्तुकला विद्यालय, नई दिल्ली	1605.00	शून्य	1000.00	शून्य	1000.00	शून्य	960.00	शून्य	855.00	शून्य

क्र. सं.	मंत्रालय/विभाग/निकाय का नाम	2008-09		2007-08		2006-07		2005-06		2004-05	
		अनुदान	ऋण	अनुदान	ऋण	अनुदान	ऋण	अनुदान	ऋण	अनुदान	ऋण
202.	सिक्किम विश्वविद्यालय	1725.00	शून्य	1850.00	शून्य	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.
203.	तेजपुर विश्वविद्यालय, तेजपुर	6359.00	शून्य	2517.98	शून्य	उ. न.	उ. न.	704.16	शून्य	2109.45	शून्य
204.	त्रिपुरा विश्वविद्यालय	1972.52	शून्य	2617.00	शून्य	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.
205.	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली	251400.00	शून्य	183634.00	शून्य	132133.00	शून्य	117660.53	शून्य	190260.00	शून्य
206.	हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद	11274.45	शून्य	8156.85	शून्य	उ. न.	उ. न.	4316.08	शून्य	4279.62	शून्य
207.	इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	14282.73	शून्य	13814.59	शून्य	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.
208.	विश्वेस्वरैया राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नागपुर	5704.35	शून्य	2850.00	शून्य	2337.50	शून्य	शून्य	शून्य	1650.00	शून्य
209.	विश्व भारती विश्वविद्यालय, शान्तिनिकेतन	11526.85	शून्य	8510.57	शून्य	शून्य	शून्य	4870.16	शून्य	4023.31	शून्य
		1199825.81	**शून्य**	**782075.74**	**शून्य**	**224963.14**	**शून्य**	**525727.33**	**शून्य**	**558540.46**	**शून्य**
	लघु, छोटे एवं मध्यम उद्यम										
210.	कॉयर बोर्ड, कोची	5435.81	शून्य	शून्य	शून्य	2836.26	शून्य	3892.27	शून्य	1942.00	10.00
211.	खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग, मुम्बई	104821.25	शून्य	50.00	शून्य	63529.00	शून्य	61576.00	शून्य	54338.00	151.00
		110257.06	**शून्य**	**50.00**	**शून्य**	**66365.26**	**शून्य**	**65468.27**	**शून्य**	**56280.00**	**161.00**
	सूचना एवं प्रसारण										
212.	प्रसार भारती, नई दिल्ली	121894.00	23831.00	109327.00	21074.00	113368.00	40.02	107802.00	17547.00	101078.00	8593.00
213.	भारतीय प्रेस परिषद, नई दिल्ली	315.73	शून्य	237.00	शून्य	214.28	शून्य	214.48	शून्य	142.26	शून्य
		122209.73	**23831.00**	**109564.00**	**21074.00**	**113582.28**	**40.02**	**108016.48**	**17547.00**	**101220.26**	**8593.00**
	श्रम एवं रोजगार										
214.	केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड, नागपुर	3650.00	शून्य	3351.00	शून्य	2850.00	शून्य	2534.00	शून्य	2340.00	शून्य
215.	कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, नई दिल्ली	2.97	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

क्र. सं.	मंत्रालय/विभाग/निकाय का नाम	2008-09		2007-08		2006-07		2005-06		2004-05	
		अनुदान	ऋण	अनुदान	ऋण	अनुदान	ऋण	अनुदान	ऋण	अनुदान	ऋण
216.	कर्मचारी राज्य बीमा निगम, नई दिल्ली	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
217.	वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नोएडा, उत्तर प्रदेश	785.00	शून्य	785.00	शून्य	520.00	शून्य	490.00	शून्य	457.96	शून्य
		4437.97	**शून्य**	**4136.00**	**शून्य**	**3370.00**	**शून्य**	**3024.00**	**शून्य**	**2797.96**	**शून्य**
	विधि एवं न्याय										
218.	राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी, भोपाल	891.00	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	90.00	शून्य	94.00	शून्य
219.	राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, (सं.क्षे.) चण्डीगढ़	10.00	शून्य	2.00	शून्य	1.00	शून्य	शून्य	शून्य	5.00	शून्य
220.	राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली	1882.69	शून्य	175.00	शून्य	999.19	शून्य	1000.00	शून्य	उ. न.	उ. न.
221.	राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, (सं.क्षे.), पाण्डिचेरी	13.04	शून्य	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.
		2796.73	**शून्य**	**177.00**	**शून्य**	**1000.19**	**शून्य**	**1090.00**	**शून्य**	**99.00**	**शून्य**
	अल्पसंख्यक कार्य										
222.	केन्द्रीय वक्फ परिषद, नई दिल्ली	शून्य	शून्य	290.00	शून्य	206.00	शून्य	143.00	शून्य	उ. न.	उ. न.
		शून्य	**शून्य**	**290.00**	**शून्य**	**206.00**	**शून्य**	**143.00**	**शून्य**	**उ. न.**	**उ. न.**
	विद्युत										
223.	ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, नई दिल्ली	6130.00	शून्य	4495.00	शून्य	290.00	शून्य	शून्य	शून्य	36.00	शून्य
224.	केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग, नई दिल्ली	726.99	शून्य	600.00	शून्य	434.00	शून्य	584.01	शून्य	645.05	शून्य
225.	राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, फरीदाबाद	2728.00	शून्य	1071.00	शून्य	1104.00	शून्य	153.00	शून्य	1412.00	शून्य
		9584.99	**शून्य**	**6166.00**	**शून्य**	**1828.00**	**शून्य**	**737.01**	**शून्य**	**2093.05**	**शून्य**
	पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस										
226.	पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड, नई दिल्ली	300.00	शून्य	200.00	शून्य	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.

क्र. सं.	मंत्रालय/विभाग/निकाय का नाम	2008-09		2007-08		2006-07		2005-06		2004-05	
		अनुदान	ऋण	अनुदान	ऋण	अनुदान	ऋण	अनुदान	ऋण	अनुदान	ऋण
		300.00	**शून्य**	**200.00**	**शून्य**	**उ. न.**	**उ. न.**	**उ. न.**	**उ. न.**	**उ. न.**	**उ. न.**
	रेलवे										
227.	**रेलवे सूचना प्रणाली केन्द्र, नई दिल्ली**	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
228.	रेल भूमि विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली	690.00	शून्य	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.
		690.00	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**
	ग्रामीण विकास										
229.	लोक कार्य एवं ग्रामीण प्रौद्योगिकी संवर्धन परिषद, नई दिल्ली	2846.08	शून्य	6225.26	शून्य	3518.27	शून्य	7000.00	शून्य	6985.00	शून्य
230.	राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, हैदराबाद	19995.84	शून्य	3905.04	शून्य	1689.73	शून्य	शून्य	शून्य	1641.90	शून्य
		22841.92	**शून्य**	**10130.30**	**शून्य**	**5208.00**	**शून्य**	**7000.00**	**शून्य**	**8626.90**	**शून्य**
	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी										
231.	श्री चित्रा तिरूनल आयुर्विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, तिरूवनन्तपुरम	8361.75	शून्य	7898.00	शून्य	7722.00	शून्य	7760.00	शून्य	4505.00	शून्य
232.	प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड, नई दिल्ली	शून्य	शून्य	1900.00	शून्य	432.00	शून्य	4266.00	शून्य	4810.00	शून्य
		8361.75	**शून्य**	**9798.00**	**शून्य**	**8154.00**	**शून्य**	**12026.00**	**शून्य**	**9315.00**	**शून्य**
	वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान										
233.	वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली	235620.00	शून्य	186369.57	शून्य	152282.00	शून्य	145349.00	शून्य	126647.00	शून्य
		235620.00	**शून्य**	**186369.57**	**शून्य**	**152282.00**	**शून्य**	**145349.00**	**शून्य**	**126647.00**	**शून्य**
	जहाजरानी										
234.	चैन्नई पत्तन न्यास, चैन्नई	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
235.	कोचीन पत्तन न्यास, कोचीन	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	300.00
236.	भारतीय समुद्री अध्ययन संस्थान, मुम्बई	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	300.00	शून्य
237.	जवाहर लाल नेहरू पत्तन न्यास, नहावाशेरा	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

क्र. सं.	मंत्रालय/विभाग/निकाय का नाम	2008-09		2007-08		2006-07		2005-06		2004-05	
		अनुदान	ऋण	अनुदान	ऋण	अनुदान	ऋण	अनुदान	ऋण	अनुदान	ऋण
238.	कांडला पत्तन न्यास, गाँधीधाम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	उ. न.	उ. न.	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
239.	कोलकाता गोदी श्रमिक बोर्ड, कोलकाता	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	952.00	शून्य
240.	कोलकाता पत्तन न्यास, कोलकाता	शून्य	शून्य	60.18	शून्य	68.47	शून्य	316.26	शून्य	952.00	शून्य
241.	मोरमुगांव पत्तन न्यास, मुम्बई	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
242.	अध्यक्ष मुम्बई पत्तन न्यास पहले मुम्बई गोदी श्रमिक बोर्ड, मुम्बई	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
243.	मुम्बई पत्तन न्यास, मुम्बई	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
244.	मुम्बई पत्तन न्यास पेंशन निधि न्यास	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	उ. न.	उ. न.
245.	नया मंगलौर पत्तन न्यास, नया मंगलौर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
246.	पारादीप पत्तन न्यास, पारादीप	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
247.	सीमन्स भविष्य निधि संगठन, मुम्बई	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
248.	महापत्तन शुल्क प्राधिकरण, मुम्बई	322.85	शून्य	140.28	शून्य	421.27	शून्य	2674.70	शून्य	200.00	शून्य
249.	तूतीकोरिन पत्तन न्यास, तूतीकोरिन	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
250.	विजाग गोदी श्रमिक बोर्ड, विशाखापत्तनम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
251.	विजाग पत्तन न्यास, विशाखापत्तनम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
		322.85	**शून्य**	**200.46**	**शून्य**	**489.74**	**शून्य**	**2990.96**	**शून्य**	**2404.00**	**300.00**
	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता										
252.	अली यावर जंग राष्ट्रीय श्रवण विकलांग संस्थान, मुम्बई	1138.00	शून्य	1280.00	शून्य	1206.00	शून्य	1131.00	शून्य	1028.00	शून्य
253.	राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, नई दिल्ली	210.00	शून्य	134.25	शून्य	142.00	शून्य	137.00	शून्य	133.00	शून्य
254.	राष्ट्रीय दृष्टि विकलांग संस्थान, सिकन्दराबाद	1462.00	शून्य	1410.00	शून्य	971.00	शून्य	831.00	शून्य	495.00	शून्य
255.	राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, सिकन्दराबाद	1460.00	शून्य	1574.98	शून्य	1149.00	शून्य	1369.00	शून्य	1225.00	शून्य

क्र. सं.	मंत्रालय/विभाग/निकाय का नाम	2008-09		2007-08		2006-07		2005-06		2004-05	
		अनुदान	ऋण	अनुदान	ऋण	अनुदान	ऋण	अनुदान	ऋण	अनुदान	ऋण
256.	डा. श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय अस्थि संबंधी विकलांग संस्थान, कोलकाता	820.00	शून्य	521.45	शून्य	664.00	शून्य	578.00	शून्य	580.00	शून्य
257.	राष्ट्रीय बहु-अपंगता व्यक्ति अधिकारिता संस्थान (रा.ब.व्य.अ.सं.) मुत्तुकाडु, चैन्नई	977.00	शून्य	250.00	शून्य	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.
258.	आत्मविमोह, प्रमास्तिष्कीय घात, मानसिक विकलांगता और बहुविध विकलांगता पीड़ित व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय न्यास, नई दिल्ली	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
259.	पंडित दीनदयाल उपाध्याय शारीरिक विकलांग संस्थान, नई दिल्ली	925.00	शून्य	698.00	शून्य	530.00	शून्य	409.00	शून्य	560.00	शून्य
260.	भारतीय पुनर्वास परिषद, नई दिल्ली	417.00	शून्य	399.99	शून्य	381.00	शून्य	380.00	शून्य	286.00	शून्य
261.	स्वामी विवेकानन्द राष्ट्रीय पुनर्वास, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, कटक	1300.00	शून्य	1345.00	शून्य	1109.00	शून्य	1129.00	शून्य	1017.00	शून्य
		8709.00	**शून्य**	**7613.67**	**शून्य**	**6152.00**	**शून्य**	**5964.00**	**शून्य**	**5324.00**	**शून्य**
	दूरसंचार										
262.	भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भा.दू.वि.प्रा.), नई दिल्ली	2595.00	शून्य	2245.00	शून्य	1500.00	शून्य	1520.00	शून्य	1627.00	शून्य
263.	भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण-अं.भ.नि., नई दिल्ली	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
		2595.00	शून्य	**2245.00**	शून्य	**1500.00**	शून्य	**1520.00**	शून्य	**1627.00**	शून्य
	कपड़ा										
264.	केन्द्रीय रेशम बोर्ड, बैंगलुरू	शून्य	शून्य	11159.00	शून्य	19457.55	शून्य	शून्य	शून्य	16331.50	शून्य
265.	पटसन निर्माता विकास परिषद, कोलकाता	8405.00	शून्य	5250.00	शून्य	4300.00	शून्य	शून्य	शून्य	3870.00	शून्य
266.	राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान, नई दिल्ली	9128.00	शून्य	1000.00	शून्य	2327.37	शून्य	23.53	शून्य	3755.00	शून्य
267.	कपड़ा समिति, मुम्बई	2882.06	शून्य	2238.00	शून्य	1429.51	शून्य	1328.28	शून्य	525.00	शून्य

क्र. सं.	मंत्रालय/विभाग/निकाय का नाम	2008-09		2007-08		2006-07		2005-06		2004-05	
		अनुदान	ऋण	अनुदान	ऋण	अनुदान	ऋण	अनुदान	ऋण	अनुदान	ऋण
		20415.06	**शून्य**	**19647.00**	**शून्य**	**27514.43**	**शून्य**	**1351.81**	**शून्य**	**2448.15**	**शून्य**
	शहरी विकास										
268.	दिल्ली विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
269.	दिल्ली शहरी कला आयोग, नई दिल्ली	138.55	शून्य	109.23	शून्य	124.00	शून्य	71.53	शून्य	89.00	शून्य
270.	लक्षद्वीप भवन विकास बोर्ड, कवारती	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
271.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नई दिल्ली	5933.50	शून्य	10192.41	शून्य	7690.00	शून्य	2081.00	शून्य	190.00	शून्य
272.	राजघाट समाधि समिति, नई दिल्ली	236.63	शून्य	288.54	शून्य	215.09	शून्य	162.14	शून्य	180.00	शून्य
		6308.68	**शून्य**	**10590.18**	**शून्य**	**8029.09**	**शून्य**	**2314.67**	**शून्य**	**459.00**	**शून्य**
	जल संसाधन										
273.	ब्रह्मपुत्र बोर्ड, गुवाहाटी	5700.53	शून्य	3383.35	शून्य	3427.00	शून्य	3129.00	शून्य	2568.00	शून्य
274.	नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण, इन्दौर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
275.	बेतवा नदी बोर्ड, झांसी	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	उ. न.	उ. न.	शून्य	शून्य
276.	राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, नई दिल्ली	3000.00	शून्य	2200.00	शून्य	1877.00	शून्य	उ. न.	उ. न.	2100.00	शून्य
		8700.53	**शून्य**	**5583.35**	**शून्य**	**5304.00**	**शून्य**	**3129.00**	**शून्य**	**4668.00**	**शून्य**
	महिला एवं बाल विकास										
277.	राष्ट्रीय महिला आयोग, नई दिल्ली	671.32	शून्य	640.00	शून्य	645.00	शून्य	559.75	शून्य	440.00	शून्य
278.	राष्ट्रीय बाल अधिकार सुरक्षा आयोग, नई दिल्ली	568.00	शून्य	540.00	शून्य	150.00	शून्य	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.
279.	केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण, नई दिल्ली	240.00	शून्य	202.00	शून्य	149.50	शून्य	130.00	शून्य	उ. न.	उ. न.
		1479.32	**शून्य**	**1382.00**	**शून्य**	**944.50**	**शून्य**	**689.75**	**शून्य**	**440.00**	**शून्य**
	युवा मामले और खेलकूद										

क्र. सं.	मंत्रालय/विभाग/निकाय का नाम	2008-09		2007-08		2006-07		2005-06		2004-05	
		अनुदान	ऋण	अनुदान	ऋण	अनुदान	ऋण	अनुदान	ऋण	अनुदान	ऋण
280.	लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान, ग्वालियर	2700.00	शून्य	2100.00	शून्य	1300.00	शून्य	1310.00	शून्य	900.00	शून्य
281.	नेहरू युवा केन्द्र संगठन, नई दिल्ली	12278.47	शून्य	3194.00	शून्य	7263.00	शून्य	7588.98	शून्य	4351.00	शून्य
282.	भारतीय खेल प्राधिकरण, नई दिल्ली	20300.00	शून्य	19222.00	शून्य	15954.00	शून्य	20188.60	शून्य	13893.00	शून्य
		35278.47	**शून्य**	**24516.00**	**शून्य**	**24517.00**	**शून्य**	**29087.58**	**शून्य**	**19144.00**	**शून्य**
	कुल योग	**2460734.04**	**23831.00**	**1669078.03**	**30674.00**	**1111503.22**	**40.02**	**1320840.63**	**17547.00**	**1227747.94**	**9054.00**

परिशिष्ट - II

(पैराग्राफ 1.1.1 के संदर्भ में)

नि.म.ले.प.(क.श.से) अधिनियम 1971 की धारा 14(1) और 14(2) के अंतर्गत लेखापरीक्षित केन्द्रीय स्वायत्त निकायों को 2004-05 से 2008-09 के दौरान जारी किए गए अनुदान/ऋण

(लाख रू. में)

क्र. सं.	मंत्रालय/विभाग/निकाय का नाम	2008-09		2007-08		2006-07		2005-06		2004-05	
		अनुदान	ऋण	अनुदान	ऋण	अनुदान	ऋण	अनुदान	ऋण	अनुदान	ऋण
	कृषि										
1.	भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ, नई दिल्ली	1298.34	शून्य	1194.85	शून्य	11178.63	शून्य	916.00	शून्य	2925.00	शून्य
2.	राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली	2200.00	शून्य	2030.00	शून्य	1700.00	शून्य	1740.00	शून्य	1332.00	शून्य
3.	लघु किसान कृषि व्यापार सहायता संघ, नई दिल्ली	28739.62	शून्य	31488.80	शून्य	19403.00	शून्य	16268.34	शून्य	14863.28	शून्य
	परमाणु ऊर्जा										
4.	परमाणु ऊर्जा शिक्षा समिति, मुम्बई	4354.00	शून्य	3196.89	शून्य	2872.00	शून्य	1883.00	शून्य	1377.00	शून्य
5.	हरीश चन्द्र अनुसंधान संस्थान, इलाहाबाद	1877.38	शून्य	1839.98	शून्य	1301.00	शून्य	941.00	शून्य	920.00	शून्य
6.	गणितीय विज्ञान संस्थान, चैन्नई	2468.00	शून्य	1683.00	शून्य	1167.00	शून्य	1018.00	शून्य	960.00	शून्य
7.	भौतिक विज्ञान संस्थान, भुवनेश्वर	5189.00	शून्य	3382.00	शून्य	847.00	शून्य	1574.25	शून्य	1035.12	शून्य
8.	प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान, गांधी नगर	18259.00	शून्य	12560.00	शून्य	5106.00	शून्य	7686.00	शून्य	6800.00	शून्य
9.	साहा नाभिकीय भौतिक विज्ञान संस्थान, कोलकाता	10202.00	शून्य	4928.00	शून्य	4745.00	शून्य	5455.00	शून्य	5328.00	शून्य
10.	टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान, मुम्बई	29550.00	शून्य	18618.48	शून्य	19446.00	शून्य	13722.00	शून्य	13764.90	शून्य
11.	टाटा स्मारक केन्द्र (टा.स्मा.के.), मुम्बई	16868.00	शून्य	13010.00	शून्य	14424.00	शून्य	10377.86	शून्य	8226.16	शून्य
	रसायन एवं उर्वरक										
12.	केन्द्रीय प्लास्टिक अभियांत्रिकी प्रौद्योगिकी संस्थान, चैन्नई	2132.73	शून्य	1389.41	शून्य	2928.00	शून्य	1088.00	शून्य	985.80	शून्य
13.	कीटनाशी प्रतिपादन प्रौद्योगिकी संस्थान, गुड़गांव	703.26	शून्य	599.99	शून्य	409.58	शून्य	69.80	शून्य	273.65	शून्य
	वाणिज्य										

क्र. सं.	मंत्रालय/विभाग/निकाय का नाम	2008-09		2007-08		2006-07		2005-06		2004-05	
		अनुदान	ऋण	अनुदान	ऋण	अनुदान	ऋण	अनुदान	ऋण	अनुदान	ऋण
14.	भारतीय उद्योग परिसंघ, नई दिल्ली	403.77	शून्य	612.46	शून्य	155.84	शून्य	67.60	शून्य	उ. न.	उ. न.
15.	कालीन निर्यात संवर्धन परिषद, नई दिल्ली	1120.93	शून्य	799.60	शून्य	193.59	शून्य	245.99	शून्य	उ. न.	उ. न.
16.	सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद, मुम्बई	128.20	शून्य	151.90	शून्य	113.63	शून्य	25.36	शून्य	उ. न.	उ. न.
17.	रसायन एवं संबद्ध उत्पाद इ.पी.सी., कोलकाता	271.00	शून्य	277.40	शून्य	225.00	शून्य	109.19	शून्य	उ. न.	उ. न.
18.	इलेक्ट्रॉनिक कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर निर्यात संवर्धन परिषद, नई दिल्ली	486.21	शून्य	363.05	शून्य	139.92	शून्य	119.14	शून्य	उ. न.	उ. न.
19.	अभियांत्रिकी इ.पी.सी. कोलकाता	891.74	शून्य	948.15	शून्य	1352.32	शून्य	1573.84	शून्य	1507.06	शून्य
20.	भारतीय निर्यात संगठन परिसंघ, नई दिल्लीभारतीय निर्यात संगठन परिसंघ, नई दिल्ली	324.56	शून्य	120.58	शून्य	261.90	शून्य	89.44	शून्य	650.00	शून्य
21.	भारतीय वाणिज्य सदन एवं उद्योग परिसंघ, नई दिल्ली	408.19	शून्य	320.39	शून्य	115.88	शून्य	42.24	शून्य	उ. न.	उ. न.
22.	रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद, मुम्बई	668.93	शून्य	541.88	शून्य	959.68	शून्य	608.63	शून्य	उ. न.	उ. न.
23.	हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद, नई दिल्ली	1178.26	शून्य	1128.63	शून्य	1521.16	शून्य	1223.76	शून्य	उ. न.	उ. न.
24.	भारतीय विदेशी व्यापार संस्थान, नई दिल्ली	1390.58	शून्य	454.65	शून्य	552.00	शून्य	396.14	शून्य	460.53	शून्य
25.	भारतीय सिल्क निर्यात संवर्धन परिषद, मुम्बई	160.00	शून्य	158.04	शून्य	106.50	शून्य	55.00	शून्य	उ. न.	उ. न.
26.	भारतीय पैकिंग संस्थान, मुम्बई	413.00	शून्य	300.00	शून्य	150.00	शून्य	260.00	शून्य	उ. न.	उ. न.
27.	चमड़ा निर्यात संवर्धन परिषद, चैन्नई	314.28	शून्य	392.40	शून्य	1897.57	शून्य	266.34	शून्य	उ. न.	उ. न.
28.	महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम, मुम्बई	8000.00	शून्य	8624.74	शून्य	7210.00	शून्य	3276.00	शून्य	उ. न.	उ. न.
29.	राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली	1108.53	शून्य	454.00	शून्य	25.30	शून्य	100.00	शून्य	उ. न.	उ. न.
30.	प्लास्टिक निर्यात संवर्धन परिषद, मुम्बई	200.48	शून्य	200.00	शून्य	191.75	शून्य	290.73	शून्य	उ. न.	उ. न.
31.	भारतीय गुणवत्ता परिषद, नई दिल्ली	300.00	शून्य	75.00	शून्य	50.00	शून्य	40.00	शून्य	20.00	शून्य
32.	शल्क निर्यात संवर्धन परिषद, कोलकाता	शून्य	शून्य	270.62	शून्य	103.72	शून्य	85.63	शून्य	73.42	शून्य
33.	खेल सामग्री निर्यात संवर्धन परिषद, नई दिल्ली	228.16	शून्य	239.23	शून्य	168.28	शून्य	115.92	शून्य	142.49	शून्य
34.	फुटवियर अभिकल्पना एवं विकास संस्थान, नोएडा	3017.60	शून्य	926.76	शून्य	1888.00	शून्य	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.
	संस्कृति										
35.	सांस्कृतिक संसाधन एवं प्रशिक्षण केन्द्र, लखनऊ	1288.65	शून्य	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.

क्र. सं.	मंत्रालय/विभाग/निकाय का नाम	2008-09		2007-08		2006-07		2005-06		2004-05	
		अनुदान	ऋण	अनुदान	ऋण	अनुदान	ऋण	अनुदान	ऋण	अनुदान	ऋण
36.	नव नालंदा महाविहार, बिहार	368.68	शून्य	331.81	शून्य	154.77	शून्य	458.53	शून्य	385.00	शून्य
	रक्षा										
37.	छावनी बोर्ड, अहमदनगर	100.49	शून्य	148.50	शून्य	148.50	शून्य	165.00	शून्य	195.00	शून्य
38.	छावनी बोर्ड, बैरकपुर	उ. न.	उ. न.	104.00	शून्य	192.50	शून्य	175.00	शून्य	167.00	शून्य
39.	छावनी बोर्ड, चकराता	243.00	शून्य	218.00	शून्य	143.00	शून्य	130.00	शून्य	129.00	शून्य
40.	छावनी बोर्ड, क्लीमेंट टाउन	173.17	शून्य	159.50	शून्य	137.50	शून्य	125.00	शून्य	117.00	शून्य
41.	छावनी बोर्ड, दानापुर	284.00	शून्य	259.00	शून्य	239.00	शून्य	190.00	शून्य	124.00	शून्य
42.	छावनी बोर्ड, कसौली	131.00	शून्य	131.00	शून्य	121.00	शून्य	110.00	शून्य	102.00	शून्य
43.	छावनी बोर्ड, खास्योल	212.78	शून्य	182.25	शून्य	152.25	शून्य	110.25	शून्य	112.00	शून्य
44.	छावनी बोर्ड, लन्डौर	150.97	शून्य	112.90	शून्य	115.00	शून्य	102.00	शून्य	उ. न.	उ. न.
45.	छावनी बोर्ड, लैंसडॉन	204.72	शून्य	180.00	शून्य	160.00	शून्य	130.00	शून्य	121.00	शून्य
46.	छावनी बोर्ड, रामगढ़	314.00	शून्य	264.00	शून्य	647.00	शून्य	140.00	शून्य	141.00	शून्य
47.	छावनी बोर्ड, रानीखेत	428.00	शून्य	380.00	शून्य	250.00	शून्य	250.00	शून्य	351.38	शून्य
48.	छावनी बोर्ड, वैलिंगटन	368.16	शून्य	318.16	शून्य	231.00	शून्य	210.00	शून्य	161.62	शून्य
49.	छावनी बोर्ड, अल्मोड़ा	75.03	शून्य	50.00	शून्य	50.00	शून्य	30.00	शून्य	उ. न.	उ. न.
50.	छावनी बोर्ड, बादामीबाग	190.42	शून्य	170.50	शून्य	125.50	शून्य	88.50	शून्य	उ. न.	उ. न.
51.	छावनी बोर्ड, बकलोह	101.98	शून्य	96.54	शून्य	104.00	शून्य	75.00	शून्य	उ. न.	उ. न.
52.	छावनी बोर्ड, दागशाइ	133.49	शून्य	104.50	शून्य	71.50	शून्य	65.00	शून्य	उ. न.	उ. न.
53.	छावनी बोर्ड, डलहौजा	124.33	शून्य	96.00	शून्य	101.00	शून्य	80.00	शून्य	उ. न.	उ. न.
54.	छावनी बोर्ड, फैज़ाबाद	186.00	शून्य	148.00	शून्य	88.00	शून्य	80.00	शून्य	उ. न.	उ. न.
55.	छावनी बोर्ड, जलपहाड़	156.00	शून्य	133.75	शून्य	108.75	शून्य	60.00	शून्य	उ. न.	उ. न.
56.	छावनी बोर्ड, शाहजहांपुर	97.71	शून्य	75.00	शून्य	50.00	शून्य	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.
57.	छावनी बोर्ड, जम्मू	40.85	शून्य	60.90	शून्य	73.00	शून्य	60.00	शून्य	उ. न.	उ. न.
58.	छावनी बोर्ड, जुटोग	92.23	शून्य	92.50	शून्य	82.50	शून्य	75.00	शून्य	उ. न.	उ. न.
59.	छावनी बोर्ड, लेबोंग	105.89	शून्य	81.00	शून्य	66.00	शून्य	29.50	शून्य	उ. न.	उ. न.
60.	छावनी बोर्ड, नैनीताल	122.47	शून्य	110.00	शून्य	75.00	शून्य	55.00	शून्य	उ. न.	उ. न.
61.	छावनी बोर्ड, पचमड़ा	117.64	शून्य	100.00	शून्य	105.00	शून्य	63.00	शून्य	उ. न.	उ. न.

क्र. सं.	मंत्रालय/विभाग/निकाय का नाम	2008-09		2007-08		2006-07		2005-06		2004-05	
		अनुदान	ऋण	अनुदान	ऋण	अनुदान	ऋण	अनुदान	ऋण	अनुदान	ऋण
62.	छावनी बोर्ड, शिलोंग	142.68	शून्य	128.00	शून्य	108.00	शून्य	70.00	शून्य	उ. न.	उ. न.
63.	छावनी बोर्ड, सुबाटू	102.99	शून्य	96.00	शून्य	68.00	शून्य	62.00	शून्य	उ. न.	उ. न.
64.	रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान	830.30	शून्य	1298.45	शून्य	2135.00	शून्य	1844.00	शून्य	1219.00	शून्य
	पर्यावरण एवं वन										
65.	भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद, देहरादून	8493.00	शून्य	7324.00	शून्य	4803.00	शून्य	6531.67	शून्य	4870.59	शून्य
66.	भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, भोपाल	उ. न.	उ. न.	843.00	शून्य	471.00	शून्य	556.32	शून्य	570.63	शून्य
67.	भारतीय प्लाइवुड उद्योग अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, बैंगलुरू	उ. न.	उ. न.	650.00	शून्य	305.00	शून्य	382.09	शून्य	453.70	शून्य
	विदेश कार्य										
68.	विकासशील देशों के लिए अनुसंधान एवं सूचना प्रणाली, नई दिल्ली	260.00	शून्य	175.00	शून्य	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.
	भू-विज्ञान										
69.	भारतीय उष्णकटिबंधीय विज्ञान संस्थान, पुणे	5162.00	शून्य	1450.00	शून्य	2096.00	शून्य	उ. न.	शून्य	उ. न.	शून्य
70.	भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवाएं केन्द्र, हैदराबाद	4370.00	शून्य	7497.53	शून्य	3916.89	शून्य	2242.00	शून्य	1398.00	शून्य
71.	राष्ट्रीय अंटार्टिक एवं महासागर अनुसंधान केन्द्र, गोवा	7600.64	शून्य	5679.26	शून्य	4179.60	शून्य	5573.69	शून्य	4423.00	शून्य
72.	राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान, चैन्नई	8748.84	शून्य	13167.52	शून्य	13020.99	शून्य	12600.26	शून्य	12125.00	शून्य
	वित्त										
73.	राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान, फरीदाबादराष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान, फरीदाबाद	670.00	शून्य	215.00	शून्य	203.00	शून्य	186.00	शून्य	150.00	शून्य
74.	राष्ट्रीय सार्वजनिक वित्त एवं नीति संस्थान, नई दिल्ली	866.92	शून्य	562.62	शून्य	226.00	शून्य	201.50	शून्य	179.04	शून्य
75.	पेंशन निधि नियामक एवं विकास प्राधिकरण	450.00	शून्य	475.00	शून्य	300.00	शून्य	200.00	शून्य	100.00	शून्य
	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग										

क्र. सं.	मंत्रालय/विभाग/निकाय का नाम	2008-09		2007-08		2006-07		2005-06		2004-05	
		अनुदान	**ऋण**	**अनुदान**	**ऋण**	**अनुदान**	**ऋण**	**अनुदान**	**ऋण**	**अनुदान**	**ऋण**
76.	पश्चिम बंगाल उद्योग विकास निगम परिषद गृह, कोलकाता	1805.00	शून्य	2237.00	शून्य	2300.82	शून्य	2179.60	शून्य	उ. न.	उ. न.
	गृह मामले										
77.	उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय संस्थान, तेजपुर	700.00	शून्य	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.
78.	श्री सरकार्डी नेत्रालय, गुवाहाटी	400.00	शून्य	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.
79.	डॉ. बी. बरोच कैंसर संस्थान, गुवाहाटी	250.00	शून्य	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.
	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण										
80.	अखिल भारतीय स्पीच एवं श्रवण संस्थान, मैसूर	1752.99	शून्य	1100.00	शून्य	929.96	शून्य	396.00	शून्य	911.00	शून्य
81.	केन्द्रीय संयुक्त भवन परिसर परिषद, नई दिल्ली	223.13	शून्य	160.82	शून्य	85.06	शून्य	174.00	शून्य	258.00	शून्य
82.	केन्द्रीय औषध अनुसंधान संस्थान, लखनऊ	उ. न.	उ. न.	385.24	शून्य	299.97	शून्य	174.95	शून्य	250.00	शून्य
83.	गांधी ग्राम ग्रामीण स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, तमिलनाडु	उ. न.	उ. न.	160.00	शून्य	145.87	शून्य	1118.52	शून्य	73.00	शून्य
84.	आयुर्वेद में स्नातकोत्तर शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, जामनगर	1298.39	शून्य	1376.82	शून्य	615.37	शून्य	603.40	शून्य	584.00	शून्य
85.	अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान, मुम्बई	2769.26	शून्य	972.20	शून्य	1633.91	शून्य	965.25	शून्य	545.00	शून्य
86.	कस्तूरबा स्वास्थ्य समिति, वर्धा	उ. न.	उ. न.	1648.00	शून्य	1437.00	शून्य	644.50	शून्य	1000.00	शून्य
87.	लाला राम स्वरूप क्षय रोग एवं समवर्गी रोग संस्थान,महरौली, नई दिल्ली	2880.00	शून्य	2163.00	शून्य	1666.25	शून्य	1078.00	शून्य	1520.00	शून्य
88.	लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलाई मानसिक स्वास्थ्य क्षेत्रीय संस्थान, तेजपुर	2450.00	शून्य	225.00	शून्य	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.
89.	राष्ट्रीय जैविक संस्थान, नोएडा	उ. न.	उ. न.	1132.00	शून्य	1368.00	शून्य	750.00	शून्य	4000.00	शून्य
90.	राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान अकादमी, नई दिल्ली	उ. न.	उ. न.	65.08	शून्य	72.41	शून्य	उ. न.	उ. न.	77.00	शून्य
91.	नई दिल्ली क्षय रोग केन्द्र	173.00	शून्य	129.00	शून्य	120.00	शून्य	75.00	शून्य	90.00	शून्य
92.	भारतीय पास्चर संस्थान, कूनूर	1146.00	शून्य	1000.00	शून्य	946.79	शून्य	398.34	शून्य	900.00	शून्य
93.	क्षेत्रीय आयुर्विज्ञान संस्थान, इम्फाल	5539.00	शून्य	4300.00	शून्य	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.
94.	पराचिकित्सीय एवं उपचर्या आयुर्विज्ञान क्षेत्रीय संस्थान, ऐजवाल	825.00	शून्य	384.00	शून्य	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.

क्र. सं.	मंत्रालय/विभाग/निकाय का नाम	2008-09		2007-08		2006-07		2005-06		2004-05	
		अनुदान	ऋण	अनुदान	ऋण	अनुदान	ऋण	अनुदान	ऋण	अनुदान	ऋण
95.	राज्य परिवार नियोजन सेवा परियोजना में नवीनता अभिकरण, लखनऊ	उ. न.	उ. न.	3612.02	शून्य	1684.76	शून्य	3014.00	शून्य	4623.00	शून्य
96.	वल्लबभाई पटेल वक्ष संस्थान, नई दिल्ली	4555.00	शून्य	1500.00	शून्य	1801.00	शून्य	950.00	शून्य	1000.00	शून्य
	मानव संसाधन विकास										
97.	भारतीय विश्वविद्यालय संघ	77.33	शून्य	75.00	शून्य	75.00	शून्य	49.50	शून्य	70.00	शून्य
98.	डॉ. हरीसिंह गौड़ विश्वविद्यालय, मध्य प्रदेश	1007.40	शून्य	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.
99.	गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़	427.67	शून्य	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.
100.	हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, उत्तराखण्ड	1116.00	शून्य	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.
101.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जन जातीय विश्वविद्यालय, मध्य प्रदेश	400.00	शून्य	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.
102.	भारतीय विज्ञान संस्थान, बैंगलुरू	20897.00	शून्य	12600.00	शून्य	15500.00	शून्य	8900.00	शून्य	उ. न.	उ. न.
103.	चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय विश्वविद्यालय, दिल्ली	4783.30	शून्य	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.
	औद्योगिकी नीति एवं संवर्धन										
104.	केन्द्रीय उत्पादन प्रौद्योगिकी संस्थान, बैंगलुरू	1889.00	शून	1082.50	शून्य	645.00	शून्य	640.00	शून्य	442	उ. न.
	सूचना एवं प्रसारण										
105.	भारतीय बाल चलचित्र समिति, मुम्बई	496.99	शून्य	350.00	शून्य	274.51	शून्य	463.71	शून्य	215.00	शून्य
106.	भारतीय चलचित्र एवं दूरदर्शन संस्थान, पुणे	1460.95	शून्य	1445.00	शून्य	699.69	शून्य	883.51	शून्य	930.31	शून्य
107.	भारतीय जन संचार संस्थान, नई दिल्ली	452.45	शून्य	449.82	शून्य	389.71	शून्य	463.10	शून्य	439.60	शून्य
108.	सत्यजीत राय चलचित्र एवं दूरदर्शन संस्थान, कोलकाता	921.00	शून्य	977.30	शून्य	702.34	शून्य	660.20	शून्य	386.00	शून्य
	अल्पसंख्यक कार्य										
109.	मौलाना आज़ाद शिक्षा प्रतिष्ठान, नई दिल्ली	6000.00	शून्य	5000.00	शून्य	10000.00	शून्य	2999.00	शून्य	उ. न.	उ. न.
	खान										
110.	जवाहरलाल नेहरू एल्यूमिनियम अनुसंधान विकास एवं डिजाइन केन्द्र, नागपुर	407.00	शून्य	220.00	शून्य	40.00	शून्य	263.00	शून्य	उ. न.	उ. न.

क्र. सं.	मंत्रालय/विभाग/निकाय का नाम	2008-09		2007-08		2006-07		2005-06		2004-05	
		अनुदान	ऋण	अनुदान	ऋण	अनुदान	ऋण	अनुदान	ऋण	अनुदान	ऋण
111.	राष्ट्रीय खनिक स्वास्थ्य संस्थान	95.00	शून्य	64.00	शून्य	उ. न.	उ. न.	35.64	शून्य	उ. न.	उ. न.
	नई एवं पुर्ननवीकरण ऊर्जा										
112.	सरदार स्वरण सिंह राष्ट्रीय पुनर्नवीकरणीय उर्जा संस्थान, कपूरथला	350.00	शून्य	367.00	शून्य	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.
113.	वायु ऊर्जा प्रौद्योगिकी केन्द्र, चैन्नइ	500.00	शून्य	1075.00	शून्य	उ. न.	उ. न.	400.00	शून्य	उ. न.	उ. न.
	लघु उद्योग										
114.	राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद, नई दिल्ली	802.71	शून्य	763.95	शून्य	447.87	शून्य	722.55	शून्य	708.00	शून्य
115.	राष्ट्रीय सीमेन्ट एवं भवन सामग्री परिषद, बल्लभगढ़, हरियाणा	300.00	शून्य	250.00	शून्य	306.25	शून्य	300.00	शून्य	300.00	शून्य
116.	भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (भा.ल.उ.वि.बैं.), नई दिल्ली	4312.63	शून्य	11793.00	शून्य	6264.81	शून्य	1060.00	शून्य	2117.50	शून्य
	श्रम एवं रोजगार										
117.	राष्ट्रीय अनुदेश जनसंचार संस्थान (रा.अ.ज.सं.), चैन्नई	250.00	शून्य	220.00	शून्य	215.00	शून्य	204.00	शून्य	204.00	शून्य
	विधि एवं न्याय										
118.	संवैधानिक एवं संसदीय अध्ययन संस्थान	42.73	शून्य	29.00	शून्य	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.
119.	भारतीय विधि संस्थान	119.60	शून्य	75.00	शून्य	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.
	कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन										
120.	केन्द्रीय सिविल सेवाएं सांस्कृतिक एवं खेलकूद बोर्ड, नई दिल्ली	50.00	शून्य	50.00	शून्य	40.00	शून्य	40.00	शून्य	40.00	शून्य
121.	सिविल सेवा अधिकारी संस्थान	शून्य	शून्य	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.
122.	गृह कल्याण केन्द्र, नई दिल्ली	25.00	शून्य	उ. न.	उ. न.	57.00	शून्य	50.00	शून्य	40.00	शून्य
123.	भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली	149.63	शून्य	207.50	शून्य	189.00	शून्य	189.00	शून्य	220.50	शून्य
124.	अवसंरचना संविधाओं का योजनागत अनुदान उन्नयन	150.18	शून्य	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.
125.	प्रशिक्षण कार्यकलापों तथा क्षमता निर्माण हेतु सभी सहायता के लिए प्रशिक्षण	2.95	शून्य	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.
	योजना आयोग										

क्र. सं.	मंत्रालय/विभाग/निकाय का नाम	2008-09		2007-08		2006-07		2005-06		2004-05	
		अनुदान	ऋण	अनुदान	ऋण	अनुदान	ऋण	अनुदान	ऋण	अनुदान	ऋण
126.	अनुप्रयुक्त मानव शक्ति अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली	501.00	शून्य	487.00	शून्य	370.00	शून्य	397.46	शून्य	410.14	शून्य
	विद्युत										
127.	केन्द्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान, बैंगलुरू	2910.54	शून्य	6781.00	शून्य	2241.70	शून्य	1409.82	शून्य	893.79	शून्य
	पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस										
128.	पैट्रोलियम प्रयोगशाला समिति, नोएडा	157.00	शून्य	196.00	शून्य	152.00	शून्य	265.00	शून्य	उ. न.	उ. न.
	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता										
129.	डा. अम्बेडकर फाउन्डेशन, नई दिल्ली	100.00	शून्य	100.00	शून्य	उ. न.	उ. न.	100.00	शून्य	100.00	शून्य
130.	राष्ट्रीय सामाजिक रक्षा संस्थान, नई दिल्ला	638.00	शून्य	410.00	शून्य	451.00	शून्य	453.00	शून्य	401.00	शून्य
131.	मानसिक विकास केन्द्र रामचन्द्र नगर, विजयवाड़ा, आन्ध्रप्रदेश	उ. न.	उ. न.	70.00	शून्य	56.83	शून्य	49.65	शून्य	72.26	शून्य
	अंतरिक्ष										
132.	राष्ट्रीय रिमोट सेन्सिंग एजेन्सी (रा.रि.से.ए.), हैदराबाद	शून्य	शून्य	उ. न.	उ. न.	2000.00	शून्य	1400.00	शून्य	1400.00	शून्य
133.	भौतिकी अनुसंधान प्रयोगशाला (भौ.अ.प्र.), अहमदाबाद	5650.00	शून्य	उ. न.	उ. न.	4110.00	शून्य	3304.00	शून्य	3329.00	शून्य
134.	राष्ट्रीय वातावरण अनुसंधान प्रयोगशाला (रा.वा.अ.प्र.), गाडंकी	1240.00	शून्य	उ. न.	उ. न.	770.00	शून्य	582.00	शून्य	435.00	शून्य
135.	उत्तर पूर्वी अंतरिक्ष अनुप्रयोग केन्द्र (उ.पू.अ.अ.के.), शिलांग	500.00	शून्य	उ. न.	उ. न.	300.00	शून्य	500.00	शून्य	500.00	शून्य
136.	सेमी-कण्डक्टर प्रयोगशाला (एस.सी.एल.), चण्डीगढ़	3760.00	शून्य	उ. न.	उ. न.	2700.00	शून्य	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.
137.	भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (भा.अ.वि.प्रौ.सं.), तिरूवनन्तपुरम	6525.00	शून्य	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.
	वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान										
138.	परामर्शी विकास केन्द्र, नई दिल्ली	200.00	शून्य	200.00	शून्य	उ. न.	उ. न.	60.00	शून्य	50.00	शून्य
	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी										

क्र. सं.	मंत्रालय/विभाग/निकाय का नाम	2008-09		2007-08		2006-07		2005-06		2004-05	
		अनुदान	ऋण	अनुदान	ऋण	अनुदान	ऋण	अनुदान	ऋण	अनुदान	ऋण
139.	अगरकर अनुसंधान संस्थान, पुणे	976.50	शून्य	993.00	शून्य	795.00	शून्य	700.00	शून्य	663.00	शून्य
140.	आर्यभट्ट निरीक्षण सम्बन्धी विज्ञान अनुसंधान संस्थान, नैनीताल	4500.00	शून्य	2300.00	शून्य	1500.00	शून्य	1000.00	शून्य	700.00	शून्य
141.	बीरबल साहनी पुरावनस्पति विज्ञान संस्थान, लखनऊ	991.00	शून्य	630.00	शून्य	633.00	शून्य	2065.00	शून्य	608.00	शून्य
142.	बोस संस्थान, कोलकाता	2917.00	शून्य	2623.00	शून्य	2578.00	शून्य	1789.33	शून्य	1383.00	शून्य
143.	डी.एन.ए. फिंगर प्रिंटिंग एवं डायग्नोस्टिक केन्द्र, हैदराबाद	उ. न.	उ. न.	1506.00	शून्य	उ. न.	उ. न.	2000.00	उ. न.	13.00	उ. न.
144.	द्रविय क्रिस्टल अनुसंधान केन्द्र बैंगलुरू	365.00	शून्य	400.00	शून्य	उ. न.	उ. न.	270.00	शून्य	200.00	शून्य
145.	भारतीय विज्ञान अकादमी, बैंगलुरू	440.00	शून्य	451.00	शून्य	317.00	शून्य	260.00	शून्य	227.00	शून्य
146.	भारतीय कृषि विज्ञान संघ, कोलकाता	3790.00	शून्य	4425.00	शून्य	3728.00	शून्य	2740.00	शून्य	2320.00	शून्य
147.	भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान, बैंगलोर	3970.30	शून्य	3908.00	शून्य	3128.00	शून्य	2840.00	शून्य	2600.00	शून्य
148.	भारतीय भू चुंबकत्व संस्थान, मुम्बई	2256.00	शून्य	2255.00	शून्य	2007.00	शून्य	2185.00	शून्य	1168.00	शून्य
149.	भारतीय राष्ट्रीय अभियान्त्रिकी अकादमी, नई दिल्ली	199.00	शून्य	200.00	शून्य	150.00	शून्य	142.00	शून्य	100.00	शून्य
150.	भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, नई दिल्ली	1192.00	शून्य	886.00	शून्य	793.80	शून्य	699.00	शून्य	628.00	शून्य
151.	भारतीय विज्ञान कांग्रेस संघ, कोलकाता	218.00	शून्य	227.00	शून्य	216.60	शून्य	178.00	शून्य	181.00	शून्य
152.	उन्नत अनुसंधान उन्नयन हेतु भारत-फ्रेंच केन्द्र, नई दिल्ली	334.78	शून्य	उ. न.	उ. न.	980.00	शून्य	1031.00	शून्य	775.00	शून्य
153.	भारत-अमरीका एस. एण्ड टी. क्षेत्र, नई दिल्ली	1000.00	शून्य	उ. न.	उ. न.	250.00	शून्य	280.00	शून्य	400.00	शून्य
154.	अन्तर्राष्ट्रीय धातु विज्ञान ऊर्जा एवं नई सामग्री उन्नत अनुसंधान केन्द्र, हैदराबाद	4000.00	शून्य	4500.00	शून्य	3800.00	शून्य	2600.00	शून्य	2800.00	शून्य
155.	जवाहरलाल नेहरू उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान केन्द्र, बैंगलुरू	2911.00	शून्य	3500.00	शून	2300.00	शून्य	2300.00	शून्य	1550.00	शून्य
156.	राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, इलाहाबाद	46.83	शून्य	298.00	शून्य	194.00	शून्य	320.00	शून्य	243.00	शून्य
157.	राष्ट्रीय जांच एवं कैलीब्रेशन प्रयोगशालाओं हेतु प्रत्यायन बोर्ड, नई दिल्ली	100.00	शून्य	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.	500.00	शून्य	399.00	शून्य

क्र. सं.	मंत्रालय/विभाग/निकाय का नाम	2008-09		2007-08		2006-07		2005-06		2004-05	
		अनुदान	ऋण	अनुदान	ऋण	अनुदान	ऋण	अनुदान	ऋण	अनुदान	ऋण
158.	राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केन्द्र, गुड़गांवा	उ. न.	उ. न.	1710.00	उ. न.	उ. न.	उ. न.	1838.00	शून्य	21.00	शून्य
159.	राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केन्द्र, पुण	उ. न.	उ. न.	2982.00	शून्य	उ. न.	उ. न.	2640.00	शून्य	16.92	शून्य
160.	राष्ट्रीय पादप जिनोम अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली	उ. न.	उ. न.	1360.00	शून्य	उ. न.	उ. न.	1020.00	शून्य	10.95	शून्य
161.	राष्ट्रीय इम्यूनोलॉजी संस्थान, नई दिल्ली	उ. न.	उ. न.	3662.00	शून्य	उ. न.	उ. न.	3032.33	शून्य	28.85	शून्य
162.	रमन अनुसंधान संस्थान, बैंगलूरू	3280.00	शून्य	2523.00	शून्य	2200.00	शून्य	2240.00	शून्य	1920.00	शून्य
163.	सत्येन्द्र नाथ बोस राष्ट्रीय आधारिक विज्ञान केन्द्र, कोलकाता	1497.00	शून्य	1437.00	शून्य	1213.00	शून्य	1140.00	शून्य	845.00	शून्य
164.	सूचना प्रौद्योगिकी पूर्वानुमान एवं मूल्यांकन परिषद, नई दिल्ली	207.20	शून्य	409.00	शून्य	72.60	शून्य	1358.00	शून्य	2509.00	शून्य
165.	विज्ञान प्रसार, नोएडा	900.00	शून्य	800.00	शून्य	600.00	शून्य	700.00	शून्य	520.00	शून्य
166.	वाडिया हिमालयी भूगर्भशास्त्र संस्थान, देहरादून	1595.00	शून्य	1411.00	शून्य	1214.00	शून्य	1120.00	शून्य	1135.00	शून्य
	सांख्यिकी तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन										
167.	भारतीय सांख्यिकी संस्थान, कोलकाता	8505.71	शून्य	7639.76	शून्य	6066.24	शून्य	5510.69	शून्य	5282.00	शून्य
	दूरसंचार										
168.	टेलिमैटिक्स विकास केन्द्र (टे.-वि.के.), नई दिल्ली	10900.00	शून्य	9600.00	शून्य	8200.00	शून्य	7512.00	शून्य	उ. न.	उ. न.
	कपड़ा										
169.	परिधान निर्यात उन्नयन परिषद, नई दिल्ली	शून्य	शून्य	383.98	शून्य	251.01	शून्य	137.95	शून्य	884.47	शून्य
170.	केन्द्रीय रेशम बोर्ड, नई दिल्ली	29430.00	शून्य	13016.00	शून्य	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.
	शहरी विकास										
171.	भवन सामग्री प्रौद्योगिकी संवर्धन परिषद, नई दिल्ली	840.26	शून्य	899.58	शून्य	619.27	शून्य	309.00	शून्य	492.00	शून्य
172.	राष्ट्रीय शहरी कार्य संस्थान, नई दिल्ली	212.70	शून्य	206.19	शून्य	183.46	शून्य	148.82	शून्य	168.00	शून्य
	महिला एवं बाल विकास										
173.	केन्द्रीय सामाजिक कल्याण बोर्ड, नई दिल्ली	3559.52	शून्य	3808.57	शून्य	13626.64	शून्य	11261.46	शून्य	8053.23	शून्य
174.	राष्ट्रीय जन सहयोग तथा बाल विकास संस्थान, नई दिल्ली	1980.74	शून्य	1500.00	शून्य	उ. न.	उ. न.	1428.06	शून्य	1067.38	शून्य

क्र. सं.	मंत्रालय/विभाग/निकाय का नाम	2008-09		2007-08		2006-07		2005-06		2004-05	
		अनुदान	**ऋण**	**अनुदान**	**ऋण**	**अनुदान**	**ऋण**	**अनुदान**	**ऋण**	**अनुदान**	**ऋण**
	युवा मामले एवं खेलकूद										
175.	भारतीय ओलम्पिक संघ, नई दिल्ली	238.96	शून्य	शून्य	9521.00	639.00	शून्य	28.53	शून्य	12.45	शून्य
176.	राजीव गाँधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान	900.00	शून्य	865.00	शून्य	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.	245.00	शून्य
177.	**कुल योग**	379054.11	**शून्य**	308153.40	9521.00	260894.00	**शून्य**	209926.38	**शून्य**	158943.72	**शून्य**

परिशिष्ट - III

(पैराग्राफ 1.1.1 के संदर्भ में)

नि.म.ले.प. (क.श.से.) अधिनियम 1971 की धारा 19(2) और 20(1) के अन्तर्गत निकाय, जिनकी 2008-2009 की सूचना दिसम्बर 2009 तक प्राप्त नहीं हुई थी

क्र. सं.	मंत्रालय/विभाग/निकाय का नाम
	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय
1.	राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, नई दिल्ली
	विदेश कार्य
2.	हज समिति, मुम्बई
	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
3.	भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण
	मानव संसाधन विकास
4.	गांधी ग्राम ग्रामीण संस्थान, गांधी ग्राम, डींडीगुल, तमिलनाडु
5.	योजना एवं वास्तुकला विद्यालय, विजयवाड़ा
6.	केन्द्रीय शास्त्रीय तमिल संस्थान, चेन्नई
	अल्पसंख्यक कार्य
7.	दरगाह ख्वाजा साहेब, अजमेर
	पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस
8.	राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान, लखनऊ
	सड़क परिवहन एवं राजमार्ग
9.	राष्ट्रीय राजमार्ग अभियांत्रिक प्रशिक्षण संस्थान
	युवा कार्य एवं खेलकूद
10.	राष्ट्रमंडल खेल 2010 प्रबंधक समिति, नई दिल्ली

परिशिष्ट - IV

(पैराग्राफ 1.1.2 के संदर्भ में)

निकायों की सूची जिन्होंने लेखे तीन माह से अधिक के विलम्ब के उपरान्त प्रस्तुत किए

क्र.सं.	स्वायत्त निकाय का नाम	लेखाओं की प्राप्ति की तिथि
1.	भारतीय प्रबंधन संस्थान, लखनऊ	13/10/08
2.	इलाहाबाद विश्वविद्यालय	1/10/08
3.	संत लोंगोवाल अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, लोंगोवाल	3/10/08
4.	राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली	8/10/08
5.	कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, नई दिल्ली	13/10/08
6.	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद	14/10/08
7.	भारतीय प्रबंधन संस्थान, कलकत्ता	15/10/08
8.	राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान, कलकत्ता	15/10/08
9.	प्रसार भारती, नई दिल्ली	15/10/08
10.	दिल्ली विकास प्राधिकरण	17/10/08
11.	श्री चित्रा तिरूनल चिकित्सा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, तिरूवनन्तपुरम	24/10/08
12.	सभ्यता अध्ययन केन्द्र, नई दिल्ली	27/10/08
13.	भारतीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान, नई दिल्ली	27/10/08
14.	राष्ट्रीय सांस्कृतिक निधि	31/10/08
15.	इलाहाबाद संग्रहालय समिति, इलाहाबाद	1/11/08
16.	दिल्ली विश्वविद्यालय	4/11/08
17.	योजना एवं वास्तुकला विद्यालय, नई दिल्ली	27/10/08
18.	लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान, ग्वालियर	6/11/08
19.	लक्षद्वीप भवन विकास बोर्ड, कवराती	11/11/08
20.	रेल भूमि विकास प्राधिकरण	14/11/08
21.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, अगरतला	20/11/08
22.	बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ	2/12/08
23.	राज्य विधि सेवा प्राधिकरण (सं.शा.क्षे.) चंडीगढ़	2/12/08
24.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय संग्रहालय, भोपाल	11/12/08
25.	विश्वभारती विश्वविद्यालय, शांतिनिकेतन	22/12/08
26.	भारतीय संग्रहलाय, कोलकाता	23/12/08
27.	राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, नई दिल्ली	31/12/08
28.	अटल बिहारी बाजपेयी भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन संस्थान, ग्वालियर	5/1/09
29.	हिमालय पर्वतारोहण संस्थान, दार्जीलिंग	7/1/09
30.	राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, नई दिल्ली	14/1/09
31.	मणिपुर विश्वविद्यालय	12/2/09
32.	विक्टोरिया मेमोरियल हॉल, कलकत्ता	3/2/09
33.	केन्द्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कोकराझार	23/2/09

क्र.सं.	स्वायत्त निकाय का नाम	लेखाओं की प्राप्ति की तिथि
34.	डॉ. बी.आर. अम्बेडकर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जलंधर	27/2/09
35.	राष्ट्रीय सिंधी भाषा उन्नयन परिषद	5/3/09
36.	अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा विश्वविद्यालय, हैदराबाद	11/3/09
37.	नागालैंड विश्वविद्यालय, कोहिमा	1/4/09
38.	भारत शिक्षा कोष, नई दिल्ली	28/4/09
39.	कोयला खान भविष्य निधि संगठन, धनबाद	18/6/09
40.	केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली	22/6/09
41.	राष्ट्रीय संग्रहालय संस्थान	15/1/09
42.	भारतीय विदेशी कार्य परिषद, नई दिल्ली	11/12/09
43.	नेहरू युवा केन्द्र संगठन	10/8/09
44.	गांधी ग्राम ग्रामीण संस्थान, गांधी ग्राम	10/7/09
45.	राजीव गांधी भारतीय प्रबंधन संस्थान, शिलांग	24/3/09
46.	त्रिपुरा विश्वविद्यालय	5/2/09
47.	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, डिजाईन एवं विनिर्माण, कांचीपुरम	22/1/09
	निकायों की सूची जिनके लेखे दिसम्बर 2009 तक प्राप्त नहीं हुए थे	
1.	भारतीय हज समिति, मुम्बई	
2.	भारतीय प्रतियोगिता आयोग-संस्थागत विकास निधि, नई दिल्ली*	
3.	नगर निगम परिषद, पोर्ट ब्लेयर, अं.एवं नि. द्वीप समूह	
4.	तटीय मत्स्य पालन प्राधिकरण, चेन्नई	
5.	पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैर नियामक बोर्ड	
6.	राष्ट्रीय राजमार्ग अभियांत्रिक प्रशिक्षण संस्थान	

परिशिष्ट- V

(पैराग्राफ 1.1.3 के संदर्भ में)

2008-09 की अवधि तक के लिए लेखों के प्रस्तुतीकरण में बकाया

क्र.सं.	स्वायत्त निकाय का नाम	से बकाया	वर्षों की संख्या जिससे बकाया
1.	भारतीय प्रतियोगिता आयोग-संस्थागत विकास निधि, नई दिल्ली	2002-03	7
2.	भारतीय हज समिति, मुम्बई	2005-06	4
3.	तटीय मत्स्य पालन प्राधिकरण, चेन्नई (2005-06 तथा आगे)	2005-06	4
4.	नगर निगम परिषद, पोर्ट ब्लेयर, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	1990-91	19

परिशिष्ट - VI

(पैराग्राफ 1.2 के संदर्भ में)

स्वायत्त निकायों की सूची जिनके संबंध में लेखापरीक्षित लेखे 31 दिसम्बर 2009 तक संसद के समक्ष प्रस्तुत नहीं किए गए थे।

क्र.सं.	स्वायत्त निकायों के नाम (मंत्रालय -वार)
(क)	**2006-07 (लेखा वर्ष)**
	मानव संसाधन विकास
1.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दुर्गापुर
	विधि एवं न्याय
2.	राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, (सं.शा.क्षे.) चण्डीगढ़.
	महिला एवं बाल विकास
3.	केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण
(ख)	**2007-08 (लेखा वर्ष)**
	वाणिज्य एवं उद्योग
1.	निर्यात जांच अभिकरण, कोलकाता
2.	निर्यात जांच अभिकरण, मुम्बई
3.	निर्यात जांच अभिकरण, चेन्नई
4.	निर्यात जांच अभिकरण, कोच्ची
5.	निर्यात जांच अभिकरण, दिल्ली
	संस्कृति
6.	राजाराम मोहन राय पुस्तकालय फाउण्डेशन
	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
7.	केन्द्रीय भारतीय औषधि परिषद
	मानव संसाधन विकास
8.	राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, कोलकाता
9.	आई.आई.टी., मुम्बई
10.	सरदार बल्लभ भाई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सूरत
	विद्युत
11.	उर्जा कार्य कुशलता ब्यूरो, नई दिल्ली
	जहाजरानी
12.	विशाखापत्तनम गोदी श्रमिक बोर्ड, विशाखापत्तनम (कांडला)
13.	मुम्बई पत्तन न्यास, मुम्बई
14.	कांडला पत्तन न्यास, कांडला
15.	कलकत्ता गोदी श्रमिक बोर्ड

क्र.सं.	स्वायत्त निकायों के नाम (मंत्रालय -वार)
16.	कांडला गोदी श्रमिक बोर्ड कांडला (के.पी.टी. के साथ विलय)
	शहरी विकास
17.	दिल्ली शहरी कला आयोग, नई दिल्ली
(ग)	**2008-09 (लेखा वर्ष)**
	कृषि
	कृषि एवं सहकारिता विभाग
1.	राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम
2.	राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान, हैदराबाद
3.	नारियल विकास बोर्ड, कोच्चि
4.	पादप प्रकार एवं किसान अधिकार सुरक्षा प्राधिकरण
	पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य पालन
5.	भारतीय पशु चिकित्सा परिषद, नई दिल्ली
	रसायन एवं उर्वरक
6.	राष्ट्रीय भेषजीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, मोहाली
	वाणिज्य एवं उद्योग
7.	कृषि एवं संसाधित खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली
8.	निर्यात जांच अभिकरण, मुम्बई
9.	निर्यात जांच अभिकरण, चेन्नई
10.	निर्यात जांच अभिकरण, कोच्चि
11.	निर्यात जांच अभिकरण, दिल्ली
12.	तम्बाकू बोर्ड, गुन्टूर
13.	मसाला बोर्ड, कोच्चि
14.	रबर बोर्ड, कोट्टायम
15.	समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, कोच्चि
	उपभोक्ता कार्य
16.	भारतीय मानक ब्यूरो, नई दिल्ली
	संस्कृति
17.	सफदरजंग संग्रहालय बोर्ड, हैदराबाद
	भारी उद्योग एवं लोक उपक्रम
18.	राष्ट्रीय आटोमोटिव जांच तथा अ. एवं वि. अवसंरचना परियोजना कार्यान्वयन समिति (एन.ए.टी.आई.एस.), नई दिल्ली
	आवासीय एवं शहरी गरीबी उन्मूलन
19.	लक्षद्वीप भवन विकास बोर्ड, कवारती
	मानव संसाधन विकास
20.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कुरुक्षेत्र
21.	हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद
22.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कोझीकोड़ (कालीकट)
23.	राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरूमति

क्र.सं.	स्वायत्त निकायों के नाम (मंत्रालय -वार)
24.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दुर्गापुर
25.	राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, मोहाली
26.	राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, कोलकाता
27.	व्यावहारिक प्रशिक्षण बोर्ड, कोलकाता
28.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, वारंगल
29.	राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान परिषद, हैदराबाद
30.	मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय, हैदराबाद
31.	अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा विश्वविद्यालय, हैदराबाद
32.	भारतीय प्रबंधन संस्थान, कालीकट (कोझीकोड)
33.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, राउरकेला
	छोटे, लघु एवं मध्यम उपक्रम
34.	कोयर बोर्ड, कोच्चि
	पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस
35.	पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड
	शक्ति
36.	उर्जा कार्यकुशलता ब्यूरो
37.	केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग, नई दिल्ली
	ग्रामीण विकास
38.	लोक कार्रवाई एवं ग्रामीण प्रौद्योगिकी उत्थान परिषद, नई दिल्ली
39.	राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, हैदराबाद
	जहाजरानी
40.	कोचीन पत्तन न्यास, कोचीन
41.	महापत्तन टैरिफ प्राधिकरण, मुम्बई
42.	कांडला पत्तन न्यास, कांडला तथा कांडला गोदी श्रमिक बोर्ड
	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता
43.	स्वामी विवेकानन्द राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, ओलाटपुर
44.	राष्ट्रीय मानसिक विक्षिप्त संस्थान, सिकन्दराबाद
	कपड़ा
45.	कपड़ा समिति, नई दिल्ली
	शहरी विकास
46.	दिल्ली शहरी कला आयोग, नई दिल्ली
47.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रीय योजना बोर्ड, नई दिल्ली
48.	राजघाट समाधि समिति, नई दिल्ली
	जल संसाधन
49.	राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण

परिशिष्ट - VII

(पैराग्राफ 1.2 के संदर्भ में)

स्वायत्त निकायों द्वारा संसद में वर्ष 2006-07 तथा 2007-08 के लिए लेखापरीक्षित लेखों के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब

क्र. सं.	स्वायत्त निकाय का नाम (मंत्रालय-वार)	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	विलम्ब महीनों में
	संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी		
1.	भारतीय टेलिकॉम नियामक प्राधिकरण क.भ.नि. लेखा, नई दिल्ली	2007-08	1
2.	भारतीय टेलिकॉम नियामक प्राधिकरण, नई दिल्ली	2007-08	1
	उपभोक्ता कार्य		
3.	भारतीय मानक ब्यूरो, नई दिल्ली	2007-08	1
	संस्कृति		
4.	ललित कला अकादमी, नई दिल्ली	2007-08	1
5.	कलाक्षेत्र फाउण्डेशन, चेन्नई-41	2007-08	1
6.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, भोपाल	2007-08	6
7.	उत्तर केन्द्रीय क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्र, इलाहाबाद	2007-08	1
8.	दक्षिण केन्दीय क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्र, नागपुर	2007-08	1
9.	संस्कृति संसाधन एवं प्रशिक्षण केन्द्र	2007-08	1
	पर्यावरण एवं वन		
10.	भारतीय पशु कल्याण बोर्ड, चेन्नई	2007-08	6
	आयुर्वेद, योगा, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध तथा होम्योपैथी विभाग (आयुष)		
11.	राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान, पुणे	2007-08	1
	मानव संसाधन विकास		
12.	भारतीय प्रबंधन संस्थान, अहमदाबाद	2007-08	1
13.	जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली	2007-08	1
14.	विश्वेश्वरैया राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नागपुर	2007-08	1
15.	व्यावहारिक प्रशिक्षण बोर्ड, कोलकाता	2007-08	1
16.	राष्ट्रीय औद्योगिक अभियांत्रिकी प्रशिक्षण संस्थान, मुम्बई	2007-08	1
17.	भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, पुणे	2007-08	6
18.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, राउरकेला	2007-08	1
19.	केन्द्रीय विद्यालय संगठन	2007-08	1
	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता		
20.	राष्ट्रीय बहु अपंग व्यक्ति अधिकारिता संस्थान, चेन्नई	2006-07	18
	जल संसाधन		
21.	राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण	2007-08	1

परिशिष्ट - VIII

(पैराग्राफ 1.4 के संदर्भ में)

बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र

(लाख रुपयों में)

मंत्रालय/विभाग	अवधि जिससे अनुदान संबंधित है (मार्च 2008 तक)	मार्च 2008 तक जारी अनुदानों के संबंध में बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र जो 31 मार्च 2009 तक देय थे	
		संख्या	राशि
कृषि	1990-91	3	11.25
	1991-92	8	16.50
	1992-93	2	6.60
	1993-94	2	65.60
	1994-95	1	2.50
	1995-96	2	11.91
	1996-97	2	1.34
	1997-98	6	14.88
	1998-99	2	1.00
	2000-01	4	4.96
	2001-02	12	17.17
	2002-03	6	8.08
	2003-04	9	14.58
	2004-05	13	332.62
	2005-06	27	9872.25
	2006-07	154	36597.77
	2007-08	186	41394.98
		439	**88373.99**
अण्डमान निकोबार द्वीपसमूह प्रशासन	2005-06	1	160.11
	2006-07	242	2175.56
	2007-08	767	9354.67
		1010	**11690.34**
परमाणु ऊर्जा	1991-92	1	2.51
	1996-97	4	4.12
	1997-98	3	3.38
	1998-99	4	3.12
	1999-00	7	16.56
	2000-01	7	17.24
	2001-02	5	4.85
	2002-03	1	0.80
	2003-04	11	5.06
	2004-05	24	213.25
	2005-06	47	93.28
	2006-07	180	598.19
	2007-08	122	2059.12
		416	**3021.48**
केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड	2005-06	1	0.01
	2006-07	2	0.13
	2007-08	25	2.41
		28	**2.55**

मंत्रालय/विभाग	अवधि जिससे अनुदान संबंधित है (मार्च 2008 तक)	मार्च 2008 तक जारी अनुदानों के संबंध में बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र जो 31 मार्च 2009 तक देय थे	
		संख्या	राशि
रसायन एवं पैट्रो रसायन	2007-08	4	27.64
		4	**27.64**
उर्वरक विभाग	2006-07	6	465.46
	2007-08	4	20184.00
		10	**20649.46**
वाणिज्य एवं कपड़ा			
(i) वाणिज्य	2001-02	1	150.00
	2002-03	18	2253.92
	2003-04	9	1596.07
	2004-05	9	2823.9
	2005-06	12	2095.59
	2006-07	31	4070.21
	2007-08	134	99264.85
		214	**112254.54**
(ii) कपड़ा	1978-79	10	44.83
	1979-80	2	11.00
	1980-81	3	3.88
	1981-82	1	0.40
	1982-83	4	2.02
	1984-85	2	0.88
	1985-86	3	2.15
	1988-89	1	0.25
	1989-90	2	1.50
	1991-92	3	7.47
	1992-93	9	20.71
	1993-94	9	95.11
	1994-95	31	26.27
	1995-96	47	229.47
	1996-97	16	51.89
	1997-98	17	42.63
	1998-99	11	31.24
	1999-00	28	126.75
	2000-01	29	89.94
	2001-02	31	47.90
	2002-03	43	87.92
	2003-04	80	599.48
	2004-05	160	1749.25
	2005-06	239	2666.8
	2006-07	269	4113.44
	2007-08	919	6206.67
		1969	**16259.85**
नागरिक उड्डयन	2006-07	01	1549
	2007-08	01	85
		02	**1634**

मंत्रालय/विभाग	अवधि जिससे अनुदान संबंधित है (मार्च 2008 तक)	मार्च 2008 तक जारी अनुदानों के संबंध में बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र जो 31 मार्च 2009 तक देय थे	
		संख्या	राशि
संस्कृति	1990-91	7	2.14
	1991-92	16	8.00
	1992-93	381	1294.36
	1993-94	344	1086.77
	1994-95	228	268.36
	1995-96	295	2404.77
	1996-97	107	405.12
	1997-98	144	441.70
	1998-99	115	2493.67
	1999-00	75	265.18
	2000-01	287	657.76
	2001-02	62	278.55
	2002-03	228	1029.39
	2003-04	237	1000.12
	2004-05	374	499.81
	2005-06	335	2982.06
	2006-07	454	3824.34
	2007-08	1166	12553.01
		4855	**31495.11**
पर्यावरण एवं वन	1981-82	15	5.79
	1982-83	21	41.00
	1983-84	90	58.50
	1984-85	143	229.80
	1985-86	121	495.40
	1986-87	74	533.77
	1987-88	278	6531.00
	1988-89	359	2543.18
	1989-90	545	192.00
	1990-91	70	123.30
	1991-92	81	1439.00
	1992-93	216	736.00
	1993-94	64	74.18
	1994-95	108	240.48
	1995-96	94	231.37
	1996-97	469	2532.27
	1997-98	211	840.50
	1998-99	414	1947.05
	1999-00	482	2277.26
	2000-01	509	3520.23
	2001-02	525	3248.67
	2002-03	569	3103.98
	2003-04	655	2362.89
	2004-05	526	2611.28
	2005-06	578	3638.34
	2006-07	697	11152.16
	2007-08	921	26350.93
		8835	**77060.33**
गृह कार्य	2006-07	1	0.10
	2007-08	-	-
			0.10

मंत्रालय/विभाग	अवधि जिससे अनुदान संबंधित है (मार्च 2008 तक)	मार्च 2008 तक जारी अनुदानों के संबंध में बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र जो 31 मार्च 2009 तक देय थे	
		संख्या	राशि
वित्त			
(i) राजस्व विभाग	1996-97	1	0.03
	1997-98	2	0.05
	1999-00	1	0.02
	2002-03	1	24.00
	2007-08	2	50.18
		7	**74.28**
(ii) विनिवेश विभाग	2004-05	24	91.46
	2007-08	-	-
		24	**91.46**
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	1991-92	2	6.20
	1992-93	9	87.36
	1993-94	18	152.69
	1994-95	23	153.86
	1995-96	18	142.24
	1996-97	15	154.99
	1997-98	14	222.52
	1998-99	32	313.64
	1999-00	29	327.60
	2000-01	56	654.88
	2001-02	62	1459.79
	2002-03	89	1992.69
	2003-04	139	2042.88
	2004-05	199	2220.10
	2005-06	354	4731.56
	2006-07	361	5947.42
	2007-08	704	11614.68
		2124	**32225.10**
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण			
(i) स्वास्थ्य	1983-84	1	0.78
	1984-85	1	0.90
	1986-87	1	0.50
	1987-88	1	12.00
	1988-89	1	0.30
	1989-90	1	1.00
	1993-94	6	230.20
	1994-95	1	0.31
	1995-96	14	275.78
	1996-97	1	11.16
	1997-98	30	576.49
	1998-99	54	1545.21
	1999-00	64	1574.63
	2000-01	49	1314.56
	2001-02	28	778.31
	2002-03	38	832.09
	2003-04	216	4978.31
	2004-05	128	5530.47

मंत्रालय/विभाग	अवधि जिससे अनुदान संबंधित है (मार्च 2008 तक)	मार्च 2008 तक जारी अनुदानों के संबंध में बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र जो 31 मार्च 2009 तक देय थे	
		संख्या	राशि
	2005-06	247	31714.24
	2006-07	495	40331.65
	2007-08	714	110614.62
		2091	**200323.51**
(ii) परिवार कल्याण	1993-94	4	7.38
	1995-96	63	163.83
	1996-97	78	230.59
	1997-98	47	280.26
	1998-99	37	187.99
	1999-00	24	319.63
	2000-01	54	1133.58
	2001-02	48	613.01
	2002-03	77	1917.11
	2003-04	142	5405.5
	2004-05	197	16715.83
	2005-06	334	106846.41
	2006-07	500	193508.97
	2007-08	478	451260.05
		2083	**778590.14**
(iii) आयुष	1994-95	1	20.86
	1995-96	1	16.00
	1996-97	1	0.68
	1997-98	5	22.56
	1998-99	2	15.00
	1999-00	15	89.28
	2000-01	5	19.15
	2001-02	14	215.98
	2002-03	17	59.60
	2003-04	20	263.17
	2004-05	19	297.51
	2005-06	148	2892.46
	2006-07	221	4064.85
	2007-08	713	41473.18
		1182	**49450.28**
मानव संसाधन विकास			
माध्यमिक शिक्षा एवं साक्षरता विभाग	1982-83	1	5.00
	1984-85	1	0.60
	1985-86	9	5.04
	1986-87	19	17.70
	1987-88	4	13.09
	1988-89	21	74.23
	1989-90	33	55.61
	1990-91	9	20.84
	1991-92	7	8.93
	1992-93	10	77.23
	1993-94	28	298.03
	1994-95	34	461.22
	1995-96	52	1171.27
	1996-97	45	489.54
	1997-98	41	213.21

मंत्रालय/विभाग	अवधि जिससे अनुदान संबंधित है (मार्च 2008 तक)	मार्च 2008 तक जारी अनुदानों के संबंध में बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र जो 31 मार्च 2009 तक देय थे	
		संख्या	राशि
	1998-99	53	1357.09
	1999-00	56	931.62
	2000-01	39	1719.80
	2001-02	63	6587.9
	2002-03	101	9147.40
	2003-04	207	3636.82
	2004-05	146	4162.87
	2005-06	118	9350.95
	2006-07	165	13856.97
	2007-08	214	115063.56
		1476	**168726.52**
उच्चत्तर शिक्षा विभाग	1977-78	2	8.00
	1978-79	23	29.26
	1979-80	16	18.32
	1980-81	9	17.2
	1981-82	11	21.10
	1982-83	32	67.65
	1983-84	20	39.31
	1984-85	15	28.55
	1985-86	79	396.52
	1986-87	27	95.57
	1987-88	97	526.91
	1988-89	79	384.36
	1989-90	81	557.23
	1990-91	12	11.75
	1991-92	40	297.97
	1992-93	46	429.16
	1993-94	58	554.57
	1994-95	17	122.33
	1995-96	20	180.58
	1996-97	21	272.12
	1997-98	31	347.27
	1998-99	33	170.99
	1999-00	90	1382.06
	2000-01	84	654.33
	2001-02	90	761.26
	2002-03	166	1640.94
	2003-04	161	2106.29
	2004-05	192	2595.52
	2005-06	422	2074.04
	2006-07	267	20293.03
	2007-08	198	43772.87
		2439	**79857.06**
सूचना प्रौद्योगिकी	2001-02	2	11.00
	2002-03	52	5566.00
	2003-04	49	2464.00
	2004-05	58	12731.00
	2005-06	113	17454.00
	2006-07	125	35275.00
	2007-08	355	50499.00

मंत्रालय/विभाग	अवधि जिससे अनुदान संबंधित है (मार्च 2008 तक)	मार्च 2008 तक जारी अनुदानों के संबंध में बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र जो 31 मार्च 2009 तक देय थे	
		संख्या	राशि
		754	**124000.00**
उद्योग			
(i) भारी उद्योग	2000-01	1	182.00
	2002-03	1	30.00
	2003-04	2	31.53
	2004-05	5	462.00
	2005-06	10	1522.00
	2006-07	8	8688.00
	2007-08	8	1992.42
		35	**12907.95**
(ii) लघु उद्योग	2005-06	13	498.44
	2006-07	58	2966.29
	2007-08	119	18654.84
		190	**22119.57**
(iii) औद्योगिक नीति एवं उन्नयन	2004-05	5	5615.00
	2005-06	3	720.50
	2006-07	7	5303.53
	2007-08	51	11055.12
		66	**22694.15**
(iv) लोक उद्यम विभाग	2002-03	1	9.88
	2004-05	2	9.21
	2005-06	8	145.11
	2006-07	21	672.91
	2007-08	6	53.19
		38	**890.30**
श्रम एवं रोजगार	1979-80	1	0.01
	1982-83	2	0.13
	1985-86	3	1.62
	1987-88	3	2.94
	1988-89	1	6.21
	1989-90	9	10.10
	1990-91	14	19.29
	1991-92	8	26.59
	1992-93	2	0.64
	1993-94	5	3.89
	1994-95	3	3.71
	1995-96	13	92.10
	1996-97	101	184.58
	1997-98	4	4.31
	1998-99	15	16.66
	1999-00	21	26.12
	2000-01	27	53.95
	2001-02	15	38.93
	2002-03	16	10.9
	2003-04	7	24.67
	2004-05	30	147.02
	2005-06	11	56.97
	2006-07	79	1933.58
	2007-08	109	2991.06

मंत्रालय/विभाग	अवधि जिससे अनुदान संबंधित है (मार्च 2008 तक)	मार्च 2008 तक जारी अनुदानों के संबंध में बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र जो 31 मार्च 2009 तक देय थे	
		संख्या	राशि
		499	**5655.98**
विधि एवं न्याय			
(i) राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण	1982-83	2	1.00
	1983-84	3	1.30
	1984-85	3	0.90
	1989-90	2	1.00
	1990-91	1	0.25
	1991-92	7	1.48
	1992-93	3	0.30
	1993-94	3	0.40
	1995-96	3	0.30
	1996-97	4	1.66
	1997-98	3	1.18
	1998-99	3	9.00
	1999-00	3	6.00
	2001-02	1	5.00
	2004-05	2	3.88
	2005-06	4	32.50
	2006-07	10	63.27
	2007-08	52	1159.85
		109	**1289.27**
(ii) विधायी विभाग	1993-94	1	0.05
	1996-97	1	0.05
	2001-02	1	0.03
	2004-05	1	0.10
	2005-06	1	0.20
	2007-08	-	-
		5	**0.43**
(iii) विधिक कार्य विभाग	1999-00	1	100.00
	2003-04	1	150.00
	2007-08	-	-
		2	**250.00**
खान	2006-07	1	2.00
	2007-08	4	63.00
		5	**65.00**
नई एवं नवीकरणीय ऊर्जा	2004-05	12	57.50
	2005-06	36	194.51
	2006-07	24	635.68
	2007-08	605	31603.00
		677	**32490.69**
भू-विज्ञान	1983-84	9	0.72
	1984-85	28	44.89
	1985-86	20	5.58
	1986-87	15	7.95
	1987-88	40	40.41
	1988-89	43	140.90
	1989-90	74	89.71
	1990-91	40	251.48
	1991-92	7	83.90
	1992-93	26	364.22

मंत्रालय/विभाग	अवधि जिससे अनुदान संबंधित है (मार्च 2008 तक)	मार्च 2008 तक जारी अनुदानों के संबंध में बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र जो 31 मार्च 2009 तक देय थे	
		संख्या	राशि
	1993-94	21	582.60
	1994-95	17	217.89
	1995-96	64	357.24
	1996-97	42	82.25
	1997-98	59	278.55
	1998-99	60	971.10
	1999-00	55	1024.74
	2000-01	48	272.73
	2001-02	36	3334.81
	2002-03	24	1875.60
	2003-04	96	1127.50
	2004-05	73	6169.44
	2005-06	89	1077.62
	2006-07	104	10922.70
	2007-08	269	24228.91
		1359	**53553.44**
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन कार्मिक तथा प्रशिक्षण	2006-07	1	0.05
	2007-08	8	0 34
		9	**0.39**
योजना आयोग	2006-07	4	1.65
	2007-08	10	26.31
		14	**27.96**
विद्युत	2007-08	5	620.30
		5	**620.30**
जहाजरानी	2006-07	3	189.92
	2007-08	5	61.23
		8	**251.15**
अन्तरिक्ष	1976-77	1	0.05
	1979-80	1	0.05
	1980-81	1	0.38
	1981-82	1	0.03
	1982-83	5	0.69
	1983-84	1	0.02
	1984-85	3	0.97
	1985-86	1	0.05
	1986-87	6	1.35
	1987-88	4	4.88
	1989-90	2	0.07
	1990-91	1	5.24
	1991-92	1	1.24
	1993-94	2	1.28
	1998-99	1	0.20
	1999-00	2	1.30
	2000-01	6	62.52
	2001-02	13	444.25
	2002-03	16	170.45
	2003-04	32	252.35
	2004-05	36	489.80
	2005-06	62	273.44
	2006-07	62	441.96

मंत्रालय/विभाग	अवधि जिससे अनुदान संबंधित है (मार्च 2008 तक)	मार्च 2008 तक जारी अनुदानों के संबंध में बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र जो 31 मार्च 2009 तक देय थे	
		संख्या	राशि
	2007-08	75	604.23
		335	**2756.80**
शहरी विकास	1985-86	1	1.00
	1987-88	1	3.00
	1989-90	1	1.50
	1993-94	2	2.55
	1996-97	1	3.00
	1999-00	3	123.19
	2000-01	2	6.00
	2001-02	5	281.38
	2002-03	1	4.48
	2003-04	11	2483.51
	2005-06	17	2207.77
	2006-07	30	11750.03
	2007-08	197	38949.28
		272	**55816.69**
आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन	1995-96	1	2.20
	1996-97	1	1.10
	2003-04	8	2140.84
	2004-05	5	1364.16
	2005-06	6	16390.22
	2006-07	55	3024.83
	2007-08	76	23744.86
		152	**46668.21**
जल संसाधन	1986-87	3	12.50
	1987-88	1	4.04
	1988-89	2	5.80
	1989-90	2	2.85
	1990-91	3	7.17
	1991-92	3	6.56
	2000-01	2	6.19
	2001-02	3	42.06
	2005-06	2	20.88
	2006-07	22	113.96
	2007-08	138	1767.88
		181	**1989.89**
उपभोक्ता कार्य	1996-97	8	4.83
	1997-98	5	1.66
	1998-99	4	1.35
	1999-00	1	0.22
	2000-01	4	1.18
	2001-02	2	0.82
	2003-04	4	5.13
	2004-05	3	5.49
	2006-07	17	35.50
	2007-08	6	13.00
		54	**69.18**
खाद्य एंव लोक संवितरण	1998-99	1	18.03
	1999-00	1	33.5
	2001-02	1	89.72

मंत्रालय/विभाग	अवधि जिससे अनुदान संबंधित है (मार्च 2008 तक)	मार्च 2008 तक जारी अनुदानों के संबंध में बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र जो 31 मार्च 2009 तक देय थे	
		संख्या	राशि
	2005-06	6	1465.45
	2006-07	15	4160.35
	2007-08	14	1331.34
		38	**7098.39**
पंचायती राज	2005-06	11	467.87
	2006-07	22	950.60
	2007-08	87	26500.31
		120	**27918.78**
बायो-प्रौद्योगिकी विभाग	1993-94	5	0.70
	1994-95	4	1.60
	1995-96	5	1.35
	1996-97	5	1.15
	1997-98	10	3.80
	1998-99	5	2.40
	1999-00	3	0.45
	2000-01	3	1.20
	2001-02	3	1.40
	2002-03	3	1.89
	2004-05	21	7.32
	2006-07	42	30.41
	2007-08	19	20.76
		128	**74.43**
सड़क परिवहन एंव राजमार्ग	2005-06	1	76
	2006-07	1	100
	2007-08	-	-
		2	176
ग्रामीण विकास	2000-01	1	39.50
	2001-02	3	47.00
	2002-03	7	65.52
	2003-04	12	124.27
	2004-05	6	51.67
	2005-06	18	221.97
	2006-07	16	1249.00
	2007-08	516	100020.17
		579	**101819.10**
कुल योग		**34845**	**2193011.92**

परिशिष्ट -IX

(पैराग्राफ 10.1 के संदर्भ में)

अक्तूबर 2009 तक बकाया कार्यवाही टिप्पणियां

क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग का नाम	मार्च को समाप्त वर्ष का प्रतिवेदन	अन्य स्वायत निकाय		
			देय	प्राप्त नहीं हुए	पत्राचार अधीन
1.	कृषि	2008	2	1	1
2.	खान	2008	3	3	-
3.	वाणिज्य एवं उद्योग	2007	2	-	2
		2008	1	-	1
4.	संस्कृति	1998	1	-	1
		2001	2	-	2
		2004	2	2	-
		2007	2	2	-
5.	विदेश कार्य	2004	1	-	1
		2008	1	1	-
6.	वित्त	2003	1	-	1
		2004	1	-	1
		2007	1	1	-
		2008	2	2	-
7.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	1999	1	-	1
		2002	2	1	1
		2004	3	-	3
		2005	1	1	-
		2007	2	2	-
		2008	1	1	-
8.	मानव संसाधन विकास	2001	2	-	2
		2002	3	1	2
		2004	5	2	3
		2005	2	1	1
		2006	5	5	-
		2007	7	4	3
		2008	6	6	-

क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग का नाम	मार्च को समाप्त वर्ष का प्रतिवेदन	अन्य स्वायत निकाय		
			देय	प्राप्त नहीं हुए	पत्राचार अधीन
9.	सूचना एवं प्रसारण	2002	2	-	2
		2003	1	-	1
		2005	3	2	1
		2006	5	-	5
		2007	1	-	1
		2008	1	1	-
10.	श्रम एंव रोजगार	2005	2	1	1
		2008	1	1	-
11.	सूक्ष्म,लघु एंव मध्यम उद्योग	2006	1	-	1
		2008	1	1	-
12.	कार्मिक, लोक शिकायत एंव पेंशन	2008	1	1	-
13.	जहाजरानी	2005	1	-	1
		2006	3	1	2
		2007	5	2	3
		2008	7	7	-
14.	जहाजरानी, सड़क परिवहन एंव राजमार्ग	2007	1	1	-
15.	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	2006	1	-	1
16.	सांख्यिकी एंव कार्यक्रम कार्यान्वयन	2008	1	1	-
17.	कपड़ा	2007	1	1	-
18.	शहरी विकास (दि.वि.प्रा.)	1989	7	-	7
		1990	4	-	4
		1991	8	1	7
		1992	9	4	5
		1993	7	1	6
		1994	1	-	1
		1995	7	-	7
		1996	3	-	3
		1998	5	-	5
		2002	1	-	1
		2003	3	-	3
		2004	3	-	3
		2005	2	-	2
		2006	2	-	2
		2007	4	1	3
		2008	4	4	-
19.	महिला एंव बाल विकास	2002	1	-	1
20.	युवा कार्य एवं खेलकूद	2005	3	-	3
		2006	2	-	2

क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग का नाम	मार्च को समाप्त वर्ष का प्रतिवेदन	अन्य स्वायत निकाय		
			देय	प्राप्त नहीं हुए	पत्राचार अधीन
		2007	1	-	1
		2008	1	1	-
योग			**179**	**68**	**111**

© भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू.सीएजी. एनआईसी. जीओवी. इन

मूल्य देश में : 65.00 रूपये
विदेश में : 5 अमरीकी डालर
(डाक खर्च/वायुमेल सहित)